Seventeenth Series, Vol. XIX No. 8

Wednesday, July 27, 2022
Sravana 5, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Ninth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XIX contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Mahavir Singh

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Arora

Joint Director

Pankaj Kumar Singh

Assistant Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XIX, Ninth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 8, Wednesday, July 27, 2022/ Sravana 5, 1944 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER	
Welcome to Parliamentary Delegation from Republic of Mozambique	12
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 141 and 142	13-22
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 143 to 146, 148 to 160	23-74
Unstarred Question Nos. 1611 to 1679, 1681 to 1840	75-596

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 597-608

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

16th Report 609

STANDING COMMITTEE ON ENERGY

Statements 610

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 685 DATED 20.07.2022 REGARDING SUSPENSION OF MPLADS FUNDS 611 – 613

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 659 DATED 20.07.2022 REGARDING MEETINGS OF TELEPHONE DIVISIONS 614 -616

STATEMENTS BY MINISTERS 617 -624

(i) (a) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 359th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science andTechnology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology 617

(b) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 361st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology

Dr. Jitendra Singh 618

(ii) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 11th Report of the Standing Committee on Railways on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Railways

Shri Danve Raosaheb Dadarao 619

(iii)(a) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 144th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on ActionTaken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 139th Report of the Committee on 'Impact of Goods and Services Tax (GST) on Exports' pertaining to the Ministry of Commerce and Industry 620

(b) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 146th Report of the Department- related Parliamentary Standing Committee on Commerce on "Impact of Banking Misappropriation on Trade and Industry" pertaining to the Ministry of Commerce and Industry 621

(c) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 151st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 146th Report of the Committee on "Impact of Banking Misappropriation on Trade and Industry" pertaining to the Ministry of Commerce and Industry

Shrimati Anupriya Patel 622

(iv) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 166th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 160th Report of the Committee on Demands for Grants (2021-22) (Demand No. 11) pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry

Shri Som Prakash 623

(v) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 26th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on "Suspension of Telecom Services/Internet and its Impact" pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications

Shri Devusinh Chauhan 624

MATTERS UNDER RULE 377 627 -630

(i) Regarding establishment of Paramount Training Centre of SAI at Raiganj, West Bengal 635 – 659

Sushri Debasree Chaudhuri 627

(ii) Regarding stoppage of various trains at Tariasujan railway station in Uttar Pradesh

Dr. Ramapati Ram Tripath 628

(iii) Regarding increasing number of Kidney diseases in Deogharh district of Odisha

Shri Suresh Pujari 629-630

(iv) Regarding screening of contents of commercial advertisements

Shri Rajendra Agrawal 635

(v) Need to celebrate 3rd January, the birth anniversary of Savitribai Phule as Women Teachers' Day

Dr. Sanghamitra Maurya 636

(vi) Regarding release of funds for Kosi-Mechi Interlinking Project in Bihar

Shri Pradeep Kumar Singh 637

(vii) Regarding augmentation of healthcare facilities to fight Covid-19 pandemic and to set up a mechanism to check the exorbitant fees charged by private hospitals

Shri Gopal Shetty 638

(viii) Regarding revival of Raxaul Airport

Dr. Sanjay Jaiswal 639

(ix) Regarding setting up of a solar power plant in Salempur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Ravindra Kushawaha 640

(x) Regarding release of captured fishermen by Pakistani authorities

Shri Lalubhai B. Patel 641

(xi) Need for introduction of Shatabdi/superfast chair car train between Gorakhpur and Prayagraj

Shri Ravi Kishan 642

(xii) Regarding reconstruction of embankment on Pairi river and payment of compensation to farmers for loss of crops caused by heavy rain in Mahasamund Parliamentary Constituency,Chhattisgarh

Shri Chunni Lal Sahu 643

(xiii) Regarding Extension of New Delhi- Sogaria Express train to Baran railway station

Shri Dushyant Singh 644

(xiv) Regarding completion of Rail Over Bridges (RoBs) and Rail Under Bridges (RuBs) in Andhra Pradesh

Shri N. Reddeppa 645

(xv) Regarding Agnipath Scheme

Prof. Sougata Ray 646-647

(xvi) Regarding early construction of Metro Corridor No. -13 from Shivaji Chowk (Mira Road) to Virar (DPR UP)

Shri Rajendra Dhedya Gavit 648

(xvii) Regarding establishment of Jharna-Naudiha halt station in Bakhtiyarpur-Rajgir-Gaya Railway Section

Shri Chandeshwar Prasad 649

(xviii) Regarding release of MNREGS funds for Odisha

Shri Chandra Sekhar Sahu 650

(xix) Regarding construction of hostels for students of Jawahar Navodaya Vidyalayas in Shrawasti and Balrampur districts in Uttar Pradesh and deployment of adequate staff in Kendriya Vidyalayas in the districts

Shri Ramshiromani Verma 651

(xx) Regarding accounting of water share of Andhra Pradesh by Krishna River Management Board

Shri Balashowry Vallabbhaneni 652

(xxi) Regarding grant of benefit of pension under the Central Civil Services Pension Rules (1972) to employees of Jawahar Navodaya Vidyalayas who joined services prior to 1.1.2004

Shri K. Muraleedharan 653

(xxii) Regarding measures to tackle the problem of migration from Seemanchal region of Bihar

Dr. Mohammad Jawed 654

(xxiii) Regarding statutory mechanism for compensation to victims of wildlife attacks

Adv. Dean Kuriakose 655

(xxiv) Regarding bookings in trains from Chennai Central to Rasipuram and train No. 17235/36

Shri A.K.P. Chinraj 656

(xxv) Regarding Angipath scheme

Shri P.R. Natarajan 657-658

(xxvi) Regarding establishment of a campus of National Institute of Disaster Management or campus of Forensic Science University in the land owned by NTC in Parvathy Mills Limited, Kollam

Shri N.K Premachandran 659

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Withdrawal of suspension of Members from the sittings of the Lok Sabha 631 - 634

NATIONAL ANTI-DOPING BILL, 2021 678

Motion to Consider 678

Shri Anurag Singh Thakur 678 -686, 755 -769

Shri Manoj Tiwari 680-686

Shri Rahul Ramesh Shewale 687 -690

Prof. Sougata Ray 690 - 694

Shri Chandeshwar Prasad 694 - 695

Shri Bhartruhari Mahtab 696 - 703

Shri Shyam Singh Yadav 705 - 711

Shri P. Ravindhranath	713 - 715
Shri B.B. Patil	717-719
Shrimati Supriya Sadanand Sule	719 - 724
Col. (Retd.) Rajyavardhan Rathore	724 - 729
Shri Prasun Banerjee	729 - 732
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	732 - 735
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	735 - 738
Shri Navneet Ravi Rana	738 - 740
Shrimati Aparajita Sarangi	740 - 744
Shri Anubhav Mohanty	745 - 747
Kunwar Danish Ali	747 – 751
Shri Ravi Kishan	752 – 754
Clauses 2 to 34 and 1	770 - 785
Motion to Pass	786

[*] ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	730
Member-wise Index to Unstarred Questions	731 - 737

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	738
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	739

[*] Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, July 27, 2022/ Sravana 5, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Welcome to Parliamentary Delegation from Republic of Mozambique

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मोजाम्बिक गणराज्य की असेंबली की अध्यक्ष महामहिम एस्पे-रान्सा बियास के नेतृत्व में मोजाम्बिक के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यगण हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं और अभी सदन के विशेष बॉक्स में बैठे हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से शिष्टमंडल के विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ।

वे मंगलवार, 26 जुलाई, 2022 को भारत पहुंचे। दिल्ली में अपने संक्षिप्त प्रवास के बाद वे आगरा भ्रमण भी करेंगे और शनिवार, 30 जुलाई, 2022 को भारत से प्रस्थान करेंगे।

हम भारत में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मोजाम्बिक गणराज्य की असेंबली, वहां की सरकार तथा वहां की जनता को मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप सभी से अनुरोध है कि तालियाँ बजाकर उनका स्वागत कर दें।

11.01hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 141, श्री बालाशौरी वल्लभनेनी।

(Q.141)

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI: Sir, as per your written reply, a total amount of Rs. 4,160 crore for the total length of 221 kilometres has been allocated and doubling work is fully completed and only 40 kilometres electrification is pending. I am thankful to the hon. Minister in this regard.

Sir, Machilipatnam is a district headquarter of my Parliamentary Constituency. Since the line capacity has increased after doubling and electrification, there is a long pending demand of devotees for a direct train from Machilipatnam to Tirupati. There are thousands of devotees going to Tirupati daily from Machilipatnam to Tirupati. In the absence of a direct train, devotees are suffering a lot. In this regard, I had also met the hon. Minister and explained how important the train in this route is. So, I would like to know from the hon. Minister whether he is considering to start a direct train from Machilipatnam to Tirupati. … (*Interruptions*)

11.03 hrs

At this stage, Shri Hibi Eden, Sushri Mahua Moitra, Shri Dayanidhi Maran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Speaker, Sir, the question was about doubling and electrification of the track and we have replied about that.

Regarding the direct train from Machilipatnam to Tirupati, the decisions about all new trains are taken based on the capacity of the track. So, in the next zonal timetable meeting, the hon. MP or his representative can be present and apart from that, I will also request the hon. MP to come and meet me in the office. If there is good capacity available in that area, then we will definitely take a look at this.

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI : Sir, apart from this line Vijayawada – Gudivada and Gudivada – Machilipatnam line, now a new line between Machilipatnam and Repalla is also a long-pending demand from the people of this area, particularly from the residents of Devisemma. If a new line is laid between Machilipatnam and Repalla, then it will help in movement of traffic from proposed port to the southern side without having to pass through the congested traffic at Vijayawada. This will not only help shorten the distance by 50 kilometres, but will also save time and energy.

Since it is an important and viable project, I would like to know if the hon. Minister will agree for laying of this line and if it is so, then how much time it will take to complete this project.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Speaker, Sir, the new projects are mostly taken on cost-sharing basis. I would like to bring to your kind notice that in Andhra Pradesh alone, about Rs. 70,000 crore worth projects are going-on right now. But

somehow, the State Government has not been able to give the share of the cost of the projects and the pending cost is now Rs. 1798 crore. Under such circumstances, it is probably very difficult to take up any new project. I will request you, through your good office, and through the hon. MP's office, if the State Government can be convinced to give its share of the cost for the existing projects, then it will be a real big help and then we can really expedite the projects in Andhra Pradesh.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 142, श्री जगदम्बिका पाल ।

(Q. 142)

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इस समय भारत में कोयले की शार्टेज नहीं है ।… (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि वर्ष 2020-21 की तुलना में 716.083 मीट्रिक टन से वर्ष 2021-22 में 778.19 मिलियन टन का प्रोडक्शन बढ़ा है । माननीय मंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कि देश में कोयले का प्रोडक्शन बढ़ा है, तो कोयले की डिमांड भी बढ़ी है ।… (व्यवधान) वर्ष 2019-20 में 956 मिलियन टन की डिमांड थी, जो वर्ष 2020-21 और 2021-22 में 1227 मिलियन टन बढ़ गई । यदि देश में प्रोडक्शन बढ़ा है तो डिमांड भी बढ़ी है । दूसरी तरफ कोल इम्पोर्ट भी कम हो रहा है ।… (व्यवधान) वर्ष 2019-20 में 248 मिलियन टन इम्पोर्ट हुआ था, जो वर्ष 2020-21 में घटकर 215 मिलियन टन रह गया और वर्ष 2021-22 में और घटकर 209 मिलियन टन रह गया ।… (व्यवधान) यह अच्छी बात है कि कोल इम्पोर्ट कम हो रहा है । कोयले की जो डिमांड बढ़ रही है, उसके लिए आपने तय किया था कि वर्ष 2023-24 तक हम 1200 मिलियन टन का प्रोडक्शन करेंगे, यह प्रेस इंफोर्मेशन की वर्ष 2022, फरवरी की रिपोर्ट है ।… (व्यवधान) एक तरफ आप 1200 मिलियन टन का प्रोडक्शन ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? पिछले दिनों कोयले के उत्पादन की शार्टेज के कारण बिजली के उत्पादन में एक संकट पैदा हो रहा था, ऐसी परिस्थिति में डिमांड के सापेक्ष उत्पादन को बढ़ाने की क्या कार्यवाही मंत्रालय कर रहा है? … (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से प्रश्न पूछा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि कोल इम्पोर्ट घट गया है और कोल का ओवर ऑल प्रोडक्शन भी बढ़ गया है ।**… (**व्यवधान) उनका स्पेसिफिक प्रश्न है कि कोल प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए, कोल डिस्पैच ज्यादा करने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं?… **(व्यवधान)** कोल इंडिया मैकेनाइजेशन वगैरह बहुत अच्छी तरह से कर रहा है । यदि लास्ट टाइम का कोल प्रोडक्शन देखें तो 156 मिलियन टन हुआ था और

इस क्वार्टर का हमारा कोल प्रोडक्शन देखें तो अप्रैल, मई और जून में 204.9 मिलियन टन, ऑलमोस्ट 205 मिलियन टन हमारा ज्यादा उत्पादन हुआ है।

इसका मतलब पहले तीन महीनों में 31 परसेंट ज्यादा उत्पादन हुआ है। … (व्यवधान) इसके साथ ही साथ कॉमर्शियल कोल माइनिंग का हमने वर्ष 2020 में ऑलरेडी ऑपरेशनलाइजेशन किया है। … (व्यवधान) इसका भी प्रोडक्शन आना शुरू हो गया है। … (व्यवधान) इसके साथ ही साथ हमारे जो अबंडेन्ड कोल माइन्स हैं, उनमें स्पेशली कोल इंडिया ने उत्पादन बंद करके रखा है, क्योंकि उधर कोई न कोई कारण तो अवश्य है, जिसके कारण पीएसयू हैंडल नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उसे प्राइवेट को देकर उधर से भी कोयला उत्पादन करने के लिए हमने ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। … (व्यवधान) मुझे विश्वास है कि दो-तीन वर्षों में नहीं, बल्कि बहुत जल्दी ही उसका प्रोडक्शन भी आ जाएगा। … (व्यवधान) इसके अलावा हमने कैप्टिव के लिए वर्ष 2015 से ऑलरेडी दिया हुआ था।

हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म शुरू किया था तथा ट्रांसपेरेंट तरीके से कैप्टिव को दिया था, उसे भी हमने 50 परसेंट सेल करने के लिए अलाउ किया है। … (व्यवधान) कुल मिलाकर हमारा प्रोडक्शन पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ज्यादा हुआ है। … (व्यवधान) जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप वर्ष 2014 से तुलना करते हैं, तो 577 मिलियन टन से आज हमारा प्रोडक्शन करीब 820 मिलियन टन ज्यादा हुआ है। … (व्यवधान) इसीलिए प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हमने जो वर्ष 2023-24 के लिए कहा था, लेकिन कोविड के कारण हम वर्ष 2024-25 तक कोल इंडिया का प्रोडक्शन भी 1 बिलियन टन कर रहे हैं। … (व्यवधान) जहां तक इम्पोर्ट का सवाल है, इस संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि केवल थर्मल कोल इम्पोर्ट नहीं होता है, मैटेलर्जिकल कोल, कोकिंग कोल भी इम्पोर्ट होता है। … (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वह कोविड के कारण प्रभावित अपने टार्गेट को एक साल में पूरा करना चाहते हैं, … (व्यवधान) लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि वर्ष 2022-23 में अप्रैल, 2022 या जून, 2022 तक "As per the Ministry of Power, the all India average gap between energy requirement and energy supplied was only one per cent." Maybe, percentage- wise, it is only one per cent, लेकिन वास्तविक रूप से हमारे पावर जेनरेशन्स के जो पावर प्लांट्स थे, उनके संबंध में आपको भी रिपोर्ट्स आयी होंगी कि नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की कई ऐसी कोयला उत्पादक यूनिट्स थीं, जिनके पास तीन-चार दिन का ही कोयला बचा हुआ था। … (व्यवधान) मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा कि ठीक है, केवल 1 परसेंट ही गैप है, लेकिन वास्तविक रूप से सभी पावर स्टेशन्स या पावर हाउसेज के पास कोयले की कमी थी, जिसके नाते सरकार ने इम्पोर्ट करने का भी फैसला किया था। … (व्यवधान) I want to know whether the Government has proposed to re-open the closed coal mines in the country to meet the demand for thermal power stations producing electricity in the State. If so, I want to know the details thereof. अगर कोयले का उत्पादन आप बढ़ाना चाहते हैं, तो जो बंद पड़ी हुई हैं, उनको फिर से चलाने के लिए क्या सरकार के पास कोई नीति है? … (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : सर, मैंने ऑलरेडी कहा है कि एबन्डन्ड कोल माइन्स हमने ऑलरेडी ऑक्शन में दे दी हैं। … (व्यवधान) उसके ऑक्शन प्रॉसेस की प्रक्रिया चल रही है। बिडिंग भी हो रही है। वह तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है तथा मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस वर्ष भी we are trying to reach – I am making my statement very cautiously – the domestic coal production of up to 900 million tonnes and next year, we will be trying to reach around 1000 million tonnes. हमारा प्रोडक्शन अबन्डन्ड माइन्स में हो रहा है और कॉमर्शियल कोल माइनिंग में भी हमारा

प्रोडक्शन शुरू हो गया है। … (व्यवधान) अब यह तेजी पकड़ रहा है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं पुन: आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी-अपनी सीट्स पर विराजें । यह सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है । आपके द्वारा बनाये गये नियम/प्रक्रियाओं के अंदर, जो नियम आपने बनाए हैं, सदन ने बनाए हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नियम 349 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी माननीय सदस्य वेल में तख्तियाँ लेकर न आए और नारेबाजी न करे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं पुन: आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप नियम/प्रक्रियाओं का पालन करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : तख्तियाँ लेकर सदन में न आएं । यह सदन आपका है । अगर आप संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आप चर्चा करें, संवाद करें, बातचीत करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है । सरकार से आप सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन आप नारेबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से अशोभनीय व्यवहार कर रहे हैं, यह भारत के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं आपसे पुन: आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे आपके द्वारा बनाए गए नियम/प्रक्रियाओं की पालना करनी पड़ेगी। मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त मौका देता हूँ, पर्याप्त समय देता हूँ, लेकिन माननीय सदस्य जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, यह संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित भी नहीं है और आपके व्यक्तिगत रूप से, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी आपके लिए उचित नहीं है। मैं पुन: आग्रह करूँगा कि आप अपनी-अपनी सीट पर विराजें।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस प्राइस राइज के बारे में ये बात करना चाहते हैं, माननीय वित्त मंत्री जी आज पहुँच चुकी हैं। She has reached the Parliament House after recovering from COVID-19.… (*Interruptions*) अगर आप आज निर्णय लेते हैं तो आज भी हम प्राइस राइज पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये अपोजिशन के लोग, यूपीए से लेकर कई अपोजिशन पार्टीज, ये जहाँ स्टेट में रूलिंग में हैं, उनका फ्यूल का टैक्स आदि नहीं घटा है, इसके कारण ये चर्चा से भागना चाहते हैं।

वित्त मंत्री जी हम सबकी शुभकामनाओं के साथ और भगवान के आशीर्वाद के साथ पूरी तरह से स्वस्थ होकर पार्लियामेंट पहुँची हुई हैं। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगर आप आज निर्णय करें तो हम अभी चर्चा के लिए तैयार हैं। कृपया, सदन चलाने के लिए मौका दें।

महोदय, मैं इतनी ही प्रार्थना करता हूँ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। आप अपनी-अपनी सीट पर विराजें। प्रश्नकाल के बाद आप सबसे चर्चा की जाएगी, लेकिन इस तरीके से इस लोकतंत्र के मंदिर में यह आपका उचित व्यवहार नहीं है। मैं पुन: आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। देश के सभी राज्यों की विधान सभाएं और सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं इस सर्वोच्च सदन में आपके आचरण, व्यवहार को देख रही हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से सर्वोच्च संस्था के अंदर माननीय सदस्य आचरण कर रहे हैं, वह उचित नहीं है। मैं पुन: आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपनी-अपनी सीट पर विराजें और नियम/प्रक्रियाओं की पालना करें।

… (व्यवधान)

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 143 to 146, 148 to 160
Unstarred Question Nos. 1611 to 1679, 1681 to 1840)
(Page No. 23-596)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>11.18 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

---

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

12.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Soanki *in the Chair*)

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर**,** मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है **I**… (व्यवधान)

12.0½ hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 – डॉ. जितेन्द्र सिंह जी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री**; **प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री**; **कार्मिक**, **लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री**; **परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री** (**डॉ. जितेन्द्र सिंह**) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7221/17/22]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7222/17/22]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2022 जो 10 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 440(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2022 जो 10 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 441(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2022 जो 13 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 445(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 2022 जो 13 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 446(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2022 जो 24 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 473(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2022 जो 24 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 474(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7223/17/22]

… (व्यवधान)

12.01hrs

At this stage Shri Dayanidhi Maran, Shri Gaurav Gogoi, Adv. A.M. Ariff and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय सभापति : आप बैठ जाइये। मैं फिर आपको मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री अर्जुन राम मेघवाल**): सभापति महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक मापविज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) संशोधन नियम, 2022 जो 28 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 226(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7224/17/22]

(2) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत विवाद निवारण आयोग (गुप 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.

484 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) संशोधन विनियम, 2022 जो 6 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. ए-119/एमसी/एनसीडीआरसी/2020 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7225/17/22]

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री अर्जुन राम मेघवाल**) : सभापति महोदय, मैं मंत्रियों द्वारा पंद्रहवी, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** सभा पटल पर रखता हूं:-

पंद्रहवीं लोक सभा		
1.	विवरण सं. 33	सातवां सत्र, 2011 [Placed in Library, See No. LT 7226/17/22]
2.	विवरण सं. 40	आठवां सत्र, 2011
3.	विवरण सं. 34	नौवां सत्र, 2011
4.	विवरण सं. 35	दसवां सत्र, 2012
5.	विवरण सं. 31	बारहवां सत्र, 2012 [Placed in Library, See No. LT 7227/17/22]
सोलहवीं लोक सभा		
6.	विवरण सं. 29	दूसरा सत्र, 2019
7.	विवरण सं. 30	तीसरा सत्र, 2014
8.	विवरण सं. 25	छठा सत्र, 2015

9.	विवरण सं. 22	सातवां सत्र, 2016
10.	विवरण सं. 24	आठवां सत्र, 2016
11.	विवरण सं. 24	नौवां सत्र, 2016
12.	विवरण सं. 19	दसवां सत्र, 2016
13.	विवरण सं. 22	ग्यारहवां सत्र, 2017
14.	विवरण सं. 21	बारहवां सत्र, 2017
15.	विवरण सं. 16	तेरहवां सत्र, 2017-18
16.	विवरण सं. 17	चौदहवां सत्र, 2018
17.	विवरण सं. 17	पंद्रहवां सत्र, 2018
18.	विवरण सं. 14	सोलहवां सत्र, 2018-19 [Placed in Library, See No. LT 7228/17/22]
	सत्रहवीं लोक सभा	
19.	विवरण सं. 14	पहला सत्र, 2019
20.	विवरण सं. 11	दूसरा सत्र, 2019
21.	विवरण सं. 10	तीसरा सत्र, 2020
22.	विवरण सं. 10	चौथा सत्र, 2020
23.	विवरण सं. 9	पांचवां सत्र, 2021
24.	विवरण सं. 8	छठा सत्र, 2021
25.	विवरण सं. 2	सातवां सत्र, 2021
26.	विवरण सं. 2	आठवां सत्र, 2021 [Placed in Library, See No. LT 7229/17/22]

… (व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7230/17/22]

(3) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 196 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2368(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कतिपय मदों में सीआरएस मंजूरी के वितरण के बारे में है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7231/17/22]

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिंदुस्तान खाद्य तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान खाद्य तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7232/17/22]

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 की उप-धारा (3) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) (संशोधन) नियम, 2022 जो 23 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 384(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7233/17/22]

(4) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित पिरदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2780(अ) जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7234/17/22]

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2020-2021, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above. … (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 7235/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Software Technology Parks of India, New Delhi, for the year 2019-2020, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Software Technology Parks of India, New Delhi, for the year 2019-2020.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7236/17/22]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Digital India Corporation, New Delhi, for the years 2018-2019 to 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Digital India Corporation, New Delhi, for the years 2018-2019 to 2020-2021, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7237/17/22]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Mumbai, for the year 2019-2020, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Mumbai, for the year 2019-2020.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 7238/17/22]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Materials for Electronics Technology (C-Met), Pune, for the year 2019-2020, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of 6 the working of the Centre for Materials for Electronics Technology (CMet), Pune, for the year 2019-2020.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 7239/17/22]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Electronics and Information Technology, New Delhi, for the year 2020-2021, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Electronics and Information Technology, New Delhi, for the year 2020-2021.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 7240/17/22]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development of Advanced Computing, Pune, for the year 2019-2020, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development of Advanced Computing, Pune, for the year 2019-2020.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above. … (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 7241/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Jute Corporation of India Limited, Kolkata, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Jute Corporation of India Limited, Kolkata, for the year 2020-2021, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7242/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Output Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 7243/17/22]

(2) A copy of the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 2022(Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.375(E) in Gazette of India dated 20th May, 2022 under sub-section (2) of Section 28A of the Boilers Act, 1923. … (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 7244/17/22]

12.03 hrs

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

16th Report

HON. CHAIRPERSON: Shri Guman Singh Damor: Not present.

Shri Tapir Gao.

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Sir, I beg to present the Sixteenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (2022-2023) on Action taken by the Government on the recommendations contained in the Fifth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject “Reservation for and Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in New Delhi Municipal Council (NDMC)”. … (*Interruptions*)

12.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON ENERGY

Statements

श्री एस.सी. उदासी (हावेरी): सभापति महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के बाईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय – एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

(दो) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के तेईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय – एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

… (व्यवधान)

12.04 hrs

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 685 DATED 20.07.2022 REGARDING SUSPENSION OF MPLADS FUNDS*

SHRI RAO INDERJIT SINGH (GURGAON): Sir, I beg to lay a statement correcting the reply given on 20.07.2022 to Unstarred Question No. 685 by Shri Shyam Singh Yadav, MP regarding 'Suspension of MPLAD Funds' … (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7211/17/22

606

CORRECTED COPY OF THE LOK SABHA UNSTARRED QUESTION No.685 ANSWERED ON 20.07.2022

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(INDERJIT SINGH)
Minister of State (I/C) M/O
Statistics and Programme Implementation;
MOS (I/C) Ministry of Planning and
MOS M/O Corporate Affairs
Government of India, New Delhi

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No.685
TO BE ANSWERED ON 20.07.2022

SUSPENSION OF MPLAD FUNDS

685: SHRI SHYAM SINGH YADAV:

Will the Minister of STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the total amount of MPLAD funds made unavailable/suspended by the Government during the financial year 2019-20, 2020-21 and 2021-22;
(b) whether the Government has maintained any data about the purposes for which these funds have been utilized;
(c) if so, the details thereof;
(d) the amount of these funds that have remained unutilized;
(e) whether the Government intends to spend MPLAD funds in each Member of Parliament constituency in proportion to the funds suspended/ taken away;
(f) if so, the details in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH)

a. For the FY 2019-20 the entire MPLADS fund was made available and nothing was suspended.

   For the FY 2020-21 the entire MPLADS fund of Rs.5 Crore per Member of Parliament was suspended and nothing was made available.

For the FY 2021-22 a partial of MPLADS fund of Rs.3 Crore per Member of Parliament was suspended and rest of Rs.2 crore per MP was made available.

b. to (d) The above funds to the amount of Rs.6320 Crore [for the year 2020-21(full) and 2021-22(partial)] were placed at the disposal of the Ministry of Finance for managing the health and adverse impacts of Covid-19. on the society for stepping up capital outlay including health infrastructure and various social security measures for the poor and the needy.

(e) & (f) At present, there is no such proposal.

<u>12.05 hrs</u>

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 659 DATED 20.07.2022 REGARDING MEETINGS OF TELEPHONE DIVISIONS *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to make a statement correcting the reply given on 20.07.2022 to Unstarred Question No. 659 by Shri Suresh Pujari, MP regarding 'Meetings of Telephone Divisions'.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7212/17/22

610

CORRECTED COPY OF THE LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 659 ANSWERED ON 20.07.2022

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 659
TO BE ANSWERED ON 20TH JULY, 2022

MEETINGS OF TELEPHONE DIVISIONS

659. SHRI SURESH PUJARI:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there have been any meetings of the Telephone Divisions in Odisha including Sambalpur in the last three years including the meeting of Odisha Circle;

(b) if so, the details thereof and the numbers of such meetings of different Divisions in Odisha and that of Odisha Circle; and

(c) if not, the reasons for not holding such meetings particularly before the pandemic and after the pandemic?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS
(SHRI DEVUSINH CHAUHAN)

(a) to (c) Telephone Divisions form part of the relevant Circle and their internal meetings are held as per organizational requirements.

****

611

दिनांक 20.07.2022 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं. 659 के संशोधित उत्तर की प्रति

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 659
उत्तर देने की तारीख 20 जुलाई, 2022

टेलीफोन डिविजनों की बैठकें

659. श्री सुरेश पुजारी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा सर्कल की बैठक सहित ओडिशा में सम्बलपुर सहित टेलीफोन डिविजनों की कोई बैठकें आयोजित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ओडिशा में विभिन्न डिविजनों तथा ओडिशा सर्कल की उक्त बैठकों की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो विशेषकर महामारी से पहले और उसके बाद ऐसी बैठकें आयोजित नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ग) टेलीफोन डिविज़न संबंधित सर्किल का हिस्सा हैं और उनकी आंतरिक बैठकें संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर आयोजित की जाती हैं।

****

12.06 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) (a) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 359th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science andTechnology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the 359th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7213/17/22

(b) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 361st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the 361st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7214/17/22

12.06 ½ hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 11th Report of the Standing Committee on Railways on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Railways*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय**,** मैं रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23**)** पर रेल संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7215/17/22

12.07 hrs

(iii) (a) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 144th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 139th Report of the Committee on 'Impact of Goods and Services Tax (GST) on Exports' pertaining to the Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the 144th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the Recommendations/ Observations contained in the 139th Report of the Committee on 'Impact of Goods and Services Tax (GST) on Exports' pertaining to the Ministry of Commerce and Industry.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7216/17/22

(b) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 146th Report of the Department- related Parliamentary Standing Committee on Commerce on "Impact of Banking Misappropriation on Trade and Industry" pertaining to the Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the 146th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on "Impact of Banking Misappropriation on Trade and Industry" pertaining to the Ministry of Commerce and Industry.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7217/17/22

(c) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 151st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 146th Report of the Committee on "Impact of Banking Misappropriation on Trade and Industry" pertaining to the Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 151st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 146th Report of the Committee on "Impact of Banking Misappropriation on Trade and Industry" pertaining to the Ministry of Commerce and Industry.

… (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7218/17/22

<u>12.08 hrs</u>

(iv) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 166th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 160th Report of the Committee on Demands for Grants (2021-22) (Demand No. 11) pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 166th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 160th Report of the Committee on Demands for Grants (2021-22) (Demand No. 11) pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

… (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7219/17/22

<u>12.09 hrs</u>

(v) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 26th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on "Suspension of Telecom Services/Internet and its Impact" pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the 26th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on "Suspension of Telecom Services/ Internet and its Impact" pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7220/17/22

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आप सभी वरिष्ठ मेम्बर्स हैं। आप सभी जो मुद्दे उठाना चाहते हैं, उसके बारे में सरकार के मंत्री जी ने, सरकार ने बोल दिया है कि वह चर्चा करने के लिए तैयार है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब अपनी सीट्स पर बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इस लोकतंत्र के मन्दिर में हमारा व्यवहार गरिमापूर्ण होना चाहिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : जब सरकार का मन खुला है, सरकार ने आपको चर्चा के लिए बोला है तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप चर्चा करने के लिए अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>12.11 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

______

14.00hrs

The Lok Sabha reassembled at Fourteen of the Clock.

(Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

माननीय सभापति: नियम 377 में आप लोगों को बोलने की अनुमति दी जा रही है।

सुश्री देबाश्री चौधरी जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: इनको बोल लेने दीजिए। मैंने इनका नाम बोल दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप बोलें।

… (व्यवधान)

14.0 ½ hrs

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Regarding establishment of Paramount Training Centre of SAI at Raiganj, West Bengal

SUSHRI DEBASREE CHAUDHURI (RAIGANJ): I would like to draw the kind attention of the hon. Minister of Youth and Sports Affairs towards establishment of the Paramount Training Centre of SAI at Raiganj, West Bengal. North Bengal, like many other areas, is an under-developed region in the country having high potentialities in so many fields like games, sports and athletics. Specially in Raiganj, so many renowned personalities have left their footprints in various fields. Despite plenty of talents in these fields, scanty training facility in the locality is looming large and hindering the blooming of the talented youths which can be warded off by establishing the Sports Authority of India (SAI)'s Training Camp permanently at Raiganj. It is pertinent to mention here that three delegations of the SAI came and inspected the sports infrastructure of one leading club named Raiganj Sports Club and appeared apparently satisfied with the existing parameters compared to the required ones. Hence, I urge upon the Union Government to establish the Paramount Training Centre of SAI at Raiganj to beneficially explore and unearth the talented youths for their proper and scientific grooming in their respective fields of sports, games and athletics.

(ii) Regarding stoppage of various trains at Tariasujan railway station in Uttar Pradesh

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): सभापति महोदया, मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देवरिया उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आने वाली हमारी दो विधानसभाएं फाजिलनगर और तमकुहीराज कुशीनगर जिले में पड़ती हैं, जो बिहार के बार्डर पर स्थित है और जिसके एक तरफ गंडक नदी बहती है। लोग आजीविका और हवाई जहाज के लिए गोरखपुर आते-जाते है। यह बार्डर पर स्थित तरया सुजान रेलवे स्टेशन जहाँ पर ट्रेन संख्या 15080 जो गोरखपुर से पाटलीपुत्र ट्रेन है, वह गोरखपुर से पाटलीपुत्र जाते समय तरया सुजान रेलव स्टेशन पर रूकती है, पर पटना से वापसी आते समय पर नहीं रूकती। इस ट्रेन को पटना से वापसी पर भी रोका जाये। ट्रेन संख्या 15113 और 15114 गोमती नगर से चलकर छपरा तक जाती है, यह गाड़ी किसी तरफ से नही रूकती है तथा इस गाड़ी को जो गोमती नगर से छपरा कचहरी तक जाती है, को भी तरया सुजान रेलवे स्टेशन पर रोका जाय, जिससे कि यहाँ गोरखपुर के यात्रियों को एवं यहाँ के लोगों को आने-जाने की सुविधा हो सके। साथ ही मेरा आपसे आग्रह है कि जो सिवान से वाया थावे से होकर गोरखपुर होकर जो गाड़ी संख्या 75113 पहुँचती है, यह करोना काल से बंद है जिससे कि यहाँ के लोगों को काफी असुविधा हो रही है, इस गाड़ी को भी चालू किया जाए। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि उक्त ट्रेनों का ठहराव तरया सुजान रेलवे स्टेशन पर कराया जाए जिससे इसकी सुविधा गोरखपुर के लोगों को मिल सके।

माननीय सभापति: श्री सुशील कुमार सिंह।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अभी नियम 377 चल रहा है**,** इसलिए आप बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: नियम 377 में आप लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे।

… (व्यवधान)

14.05 hrs

At this stage, Shri P. R. Natarajan, K. Navaskani and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय सभापति: श्री सुशील कुमार सिंह।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री सुरेश पुजारी।

… (व्यवधान)

(iii)Regarding increasing number of kidney diseases in Deogarh district of Odisha

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Thank you, Madam. The increasing number of kidney diseases in villages Dangbahal, Gourenmunda, Jagalpat, Saidungaripali, etc. of Gaiselet Block, village Kurla, Bardaol, etc. of Bargarh Block, village Bagbahal, etc. of Attabira Block, Bhalupali of Attabira NAC, village Piplipall of Bijepur Block and other areas of Bargarh district, in many rural areas including village Kuakunda and other villages of Lakhanpur Block and other Blocks of Jharsuguda and village Bansajal, Kadaligarh, Pudabalanda, etc. of Rairakhol Block of Sambalpur district, village Madhyapur, Netrabahal and Balanda of Barkot Block, village Kalanda of Telaibani Block, Deogarh district in

Odisha has created panic in the region and heading towards an alarming situation day by day. *....(Interruptions)*

The State media also report it now and then, without invoking any response from the State Government. Many young persons have died and hundreds are suffering from it in many villages. Contaminated water is believed to be the reason behind it. But the reason has not yet been identified, let alone its eradication. The deficiency in health care in the western part of Odisha is adding to the agony. A serious investigation into the matter in all those areas and its eradication is the call of the hour. *....(Interruptions)*

Hence, I request the hon. Union Health Minister through you to kindly call for a report from the State Government, send a team of experts to visit the affected areas, collect samples of water, soil, and other required items, get it examined and find out reasons of the disease and address it, and take necessary steps for the treatment of the patients in specialized hospitals like AIIMS at Government cost. Thank you. *....(Interruptions)*

14.08 hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Withdrawal of suspension of members from the sittings of the Lok Sabha

माननीय सभापति: श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले जी।

… (व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam, we are willing to cooperate. *....(Interruptions)* कल भी हमने कहा… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज आप लोग बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले: कल भी हमने सरकार से विनती की और आज भी कर रहे हैं। हमारे चार मेंबर्स को निकाल दिया है। हमारी सरकार से विनती है कि उनको माफ करके प्लीज वापस भेजें। हम डिबेट चाहते हैं। हम सरकार के साथ कोआपरेट करना चाहते हैं। सिर्फ हमारे मेंबर्स को वापस भेजिए। हम वेल में नहीं जाएंगे। सबकी तरफ से मैं बोल रही हूं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: बहुत अच्छी बात है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री सुदीप बन्दोपाध्याय जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): मैडम, कम से कम वे पीछे तो जाएं। उन्हे अपनी-अपनी सीट पर बैठने दीजिए। पहले उनको बैठने दीजिए। ऐसा क्या है? डिस्टर्ब भी करना है और बात भी करनी है। ऐसे कैसे होगा? … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग प्लीज बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

<u>14.10 hrs</u>

At this stage, Shri P. R. Natarajan, Shri K. Navaskani and some other hon. Members went back to their seats.

माननीय सभापति: श्री सुदीप बन्दोपाध्याय जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, I also wish to propose one thing. Four Members of this House have been suspended. If it is the feeling of the House that if their suspension is withdrawn, then the House can run smoothly, we will all be glad. Hon. Joshiji has already announced that the Government is prepared to have a discussion on the issue of price rise. We are also prepared to take part in the debate. So, let this issue be sorted out as soon as possible and let the debate start. … (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Madam Chairperson, I think what happened yesterday is not good for a healthy democracy. I have been in this House, either on this side or on that side, for a long time, but coming to the well, democratically

making protests with placards is not unknown to this House. Fortunately or unfortunately, it is up to the Government. I think that they wanted to expel the Members and accordingly, it was done by the Chair. I am telling with folded hands that do not believe in numerical strength alone in this House. You may be elected by numerical strength, but a healthy debate will not stand before the numerical strength. … (*Interruptions*) So, we want democracy. Please reconsider the decision and withdraw the suspension. Thereafter, we will think of participating in the debates. … (*Interruptions*) On behalf of the DMK party and my leader, I request that the suspension of Members may be revoked immediately forthwith. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: ये आप लोगों की ही बात को बोल रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: सुदीप बन्दोपाध्याय जी ने बोल लिया।

… (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: सुदीप जी, आपके बोलने के बाद भी ऐसा कर रहे हैं, आपके नेता बोले हैं न। … (व्यवधान) आपके नेता बोले हैं न।

मैडम, मैं यह बोलना चाहता हूं कि डे वन ऑल पार्टी मीटिंग से लेकर आज सुबह तक मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार आपकी मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आज सुबह भी मैंने आग्रह किया, अगर आज भी चर्चा करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। इतना बोलने के बावजूद भी लास्ट वीक पूरा बर्बाद हो गया, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। अभी भी वही हो रहा है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर वे चाहते हैं तो हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये गारंटी लेंगे कि वे फिर से वेल में नहीं

आएंगे, फिर से प्लैकर्ड लेकर नहीं आएंगे। प्लैकर्ड लाकर स्पीकर के मुंह के सामने नहीं लगाएंगे। क्या इसकी गारंटी लेने के लिए ये तैयार हैं?

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: I will give the guarantee for my party. … (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: I would like to make only one request. Rajaji, when you spoke – I have a lot of regard for you – I listened to you. Please listen to me.

I am only going to ask if they are ready to give the guarantee on behalf of their party - even on behalf of the Congress Party also because all the Members who have been suspended are from the Congress Party – and if they are ready to take the responsibility that hereafter, they will not bring the placards.

I would like to recall here, again, that when we were in the Opposition, once I myself had come here. Shri Pranab Mukherjee, who was then the Leader of the House, opposed it. Then, Advaniji called me. I was trying to argue with him. Of course, I was too junior at that time. It was my mistake. Then, Advaniji called me and said that I should not go to that side.

They come to this side. They stand before the Prime Minister. They try to raise the slogans. Not only that, they are trying to show the placard in front of the face of the Speaker. Is it a fair thing? स्पीकर से इजाजत है तो हम विद्रा करने के लिए तैयार हैं, क्या आप गारंटी लेने के लिए तैयार हैं? वे प्लैकर्ड लेकर अंदर नहीं आएंगे और वेल में नहीं आएंगे, यह बोलने के लिए आप तैयार हैं? जब हम बोल रहे हैं कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं तो आपको गारंटी लेने के लिए क्या प्रॉबल्म है।

14.14 hrs

MATTERS UNDER RULE 377 – Contd.

माननीय सभापति: श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी।

(iv) Regarding screening of contents of commercial advertisements

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, आजकल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर मसाले बनाने वाली एक कंपनी का विज्ञापन प्राय: आता है। विज्ञापन में सेना के एक अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारी से भोजन लाकर मेज पर लगाने का निर्देश दिया जाता है। अपने अतिथियों के साथ भोजन की प्रतीक्षा कर रहे इस फौजी तक जब दो-तीन बार कहने के बाद भी भोजन नहीं पहुंचता है तो वह स्वयं रसोई की तरफ जाता है तथा अपने कुक को मसालों के कारण अत्यंत स्वादिष्ट बने व्यंजन को खाते हुए देखता है। नाराज फौजी अपनी बंदूक के साथ विदूषक अंदाज में अपने कर्मचारी को मारने के लिए मेज के चारों ओर चक्कर लगाता है।

महोदया, किसी भी विज्ञापन में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तत्पर रहने वाले सैन्य कर्मी का इस प्रकार की भूमिका में उपहास का विषय बनाना उचित नहीं है तथा सेना के प्रति जन सामान्य के आदर के अनुरूप भी नहीं है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कृपया इसका उचित संज्ञान लेते हुए इस प्रकार के विज्ञापनों को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

(v) Need to celebrate 3rd January, the birth anniversary of Savitribai Phule as Women Teachers' Day

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): माननीय सभापति जी, माता सावित्रीबाई फुले का जीवन कई दशकों से महाराष्ट्र के गाँव कस्बों की औरतों के लिए प्रेरणादायक रहा है। उनकी जीवनी एक औरत के जीवट और मनोबल को समर्पित है। सावित्रीबाई फुले के कार्यक्षेत्र और तमाम विरोध और बाधाओं के बावजूद अपने संघर्ष में डटे रहने के उनके धैर्य और आत्मविश्वास ने भारतीय समाज में स्त्रियों की शिक्षा की अलख जगाने की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे प्रतिभाशाली कवयित्री, आदर्श अध्यापिका, निस्वार्थ समाजसेविका और सत्यशोधक समाज की कुशल नेतृत्व करने वाली महान नेता थीं। सावित्री-ज्योतिबा दम्पति ने इसके बाद अपना ध्यान समाज- सेवा की ओर केन्द्रित किया। 1 जनवरी सन 1848 को उन्होंने पूना के बुधवारा पेठ में पहला बालिका विद्यालय खोला। यह स्कूल एक मराठी सज्जन भिंडे के घर में खोला गया था। सावित्रीबाई फुले इस स्कूल की प्रधानाध्यापिका बनी थी।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बालिकाओं में शिक्षा की ज्योति जलाने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाए, ऐसी सरकार से माग करती हूँ।

… (व्यवधान)

14.17 hrs

At this stage, Shri A. Raja, Shri Sudip Bandyopadhyay, Shri N. K. Premachandran and some other hon. Members left the House.

(vi) Regarding release of funds for Kosi-Mechi Interlinking Project in Bihar

श्री प्रदीप कुमार सिंह (**अररिया**): माननीय सभापति जी, हमारा जिला अररिया, नूना, बकरा, परवान, सुरसर और भलवा जैसी नदियों से घिरा है। नेपाल से सटे होने के कारण इन नदियों में बहुत जल्दी पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से हर साल बाढ़ आ जाने से जिले में फसल के साथ जान-माल की काफी क्षति होती है। बाढ़ से बचाव हेतु केंद्र सरकार द्वारा कोसी-मेची नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी मिली लेकिन योजना आज भी धरातल पर नहीं उतर पाई है।

सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाढ़ से बचाव हेतु कोसी-मेची परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी एवं कब तक हमारा जिला, अररिया सहित कोसी सीमांचल पूरी तरह से बाढ़ मुक्त हो जाएगा । इसके साथ ही सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 'कोसी-मेची नदी जोड़ परियोजना, जो कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पास लंबित है, इस परियोजना के लिए आवंटित राशि को दिया जाए और इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि हमारे किसान भाइयों को बाढ़ से सुरक्षित करने के साथ-साथ सिंचाई की समस्या का भी समाधान हो सके। धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री अजय निषाद जी – उपस्थित नहीं।

श्री गोपाल शेट्टी जी ।

(vii) Regarding augmentation of healthcare facilities to fight COVID-19 pandemic and to set up a mechanism to check the exorbitant fee charged by private hospitals

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदया, यह हम सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में विश्वव्यापी कोरोना महामारी से मुकाबला कर देश एवं देशवासियों को बचाया गया। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में देश के महानगरों एवं ग्रामीण अंचलों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं/चिकित्सालयों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है और साथ ही विशेषतः महानगरों में 300 वर्ग फीट के आवास में रहने वाले नागरिकों को निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु एक आई कार्ड जारी कर उनके 3-4 दिनों के उपचार की आने वाली कई-कई लाख रुपए की राशि को मात्र हजारों की राशि तक सीमित रखने और बाकी राशि को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि देश के निजी चिकित्सालय, जहां मरीजों से उनके 3-4 दिनों के उपचार के कई-कई लाख रुपए वसूल किए जाते हैं, उनके इस तरह के अनुचित व्यवहार पर अंकुश हेतु केन्द्रीय स्तर पर निगरानी तंत्र स्थापित किए जाने के लिए सकारात्मक कार्यवाही करें।

(viii) Regarding revival of Raxaul Airport

DR. SANJAY JAISWAL (PASCHIM CHAMPARAN): Madam, I would like to draw your urgent attention towards the non-operational Raxaul Airport in East Champaran district of North Bihar. As of now, there is no town in East and West Champaran districts of Bihar on any scheduled air service route.

It is pertinent to inform that the PM Package of Bihar in 2015 included Rs. 250 crore for the revival of Raxaul airport, which is still pending due to 121 acres of additional land required for the development of the airport from the State Government.

Presently, owing to the non-operational Raxaul airport, several traders, exporters and industrialists of North and West Bihar are facing a lot of difficulties and are eagerly waiting for revival of the 60 years old airport, which would play a pivotal role in shortening the distance of Patna, New Delhi and other important cities of India with the district.

I urge upon the Government to hasten its valiant efforts and to make the Raxaul Airport operational at the earliest keeping in view its strategic importance in the present scenario.

(ix) Regarding setting up of a solar power plant in Salempur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): सभापति महोदया, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर में आज भी हजारों एकड़ बंजर भूमि है। हम सभी जानते हैं कि बंजर भूमि का देशहित में प्रायः कोई उपयोग नहीं होता है, पर खाली पड़ी इस जमीन पर यदि हमारी सरकार द्वारा सोलर प्लांट लगा दिया जाय या सरकार किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को सोलर प्लांट लगाने के लिए अधिकृत कर दे तो इस जमीन का ग्रीन एनर्जी के लिए बेहतरीन सदुपयोग हो सकता है तथा इसका लाभ पूर्वांचल के अन्य जिलों को भी मिलेगा। इससे एक बड़े क्षेत्र को बिजली आपूर्ति की जा सकती है। आपको अवगत कराना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत लार ब्लॉक के महाल मंझरिया गांव में हजारों एकड़ भूमि है, जिस पर पिछले कई सालों से सोलर पावर प्लांट लगाने हेतु मैं प्रयासरत हूं। समय समय पर कई बार पत्र और सदन के माध्यम से मेरे द्वारा मांग भी की गई है, परंतु अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नही निकला। यहां सरकारी भूमि के अतिरिक्त स्थानीय किसान भाई भी अपनी भूमि सरकार को देने हेतु तैयार हैं।

महोदय, इस भूमि पर सोलर प्लांट के लगने से स्थानीय युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा और इस क्षेत्र की बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी।

अतः मेरा सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सलेमपुर के लार ब्लाक के महाल मंझरिया में एक केंद्रीय सहायता से सोलर बिजली उत्पादन का केंद्र स्थापित किया जाय जिससे, बिजली उत्पादन में वृद्धि और रोज़गार के अवसरों के सृजन हो सके।

माननीय सभापति: श्री बी.एन. बचेगौडा – उपस्थित नहीं।

श्री लालूभाई बी. पटेल जी।

(x) Regarding release of captured fishermen by Pakistani authorities

SHRI LALUBHAI B. PATEL (DAMAN AND DIU): The Pakistani Marine Authorities have been detaining our fishermen and their boats while fishing in deep seas. At this moment, there are 678 fishermen languishing in the jails and 1,513 boats have not been returned by Pakistani authorities. Out of these, 166 fishermen have already completed their term of imprisonment in 2018.

Between 2014 and 2018, our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, was able to bring back 57 boats and about 2,500 fishermen. The Pakistani authorities have not released any such fishermen in the last four years or so, causing lots of hardships to the families of these fishermen as most of them are the only earning member. However, 22 fishermen of Andhra Pradesh origin, who were captured from Gujarat boats, were released by the Pakistani authorities within two months of captivity. I fail to understand why the captured fishermen of Gujarat, Daman and Diu are not released. I and the other MPs of coastal Gujarat have often taken up the matter with the Ministry of External Affairs. I once again request the hon. Minister of External Affairs that the matter may be taken up with Pakistani counterparts for their release and miseries of their families may end.

(xi) Need for introduction of Shatabdi / superfast chair car train between Gorakhpur and Prayagraj

श्री रवि किशन (गोरखपुर) : महोदया, गोरखपुर-भटनी-वाराणसी होते हुए प्रयागराज तक अत्यंत महत्वपूर्ण रेल खंड है। इस रेल खंड पर लाखों यात्री यात्रा करते हैं। गोरखपुर-वाराणसी व प्रयागराज व्यापारिक एवं धार्मिक पर्यटन के रूप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लाखों लोग गोरखपुर में गोरखनाथ मन्दिर, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पुत्र कुश की नगरी कुशीनगर में भगवान बुद्ध की तीर्थ स्थल महापरिनिर्वाण स्थली से पूजा-अर्चना करने आते हैं। इसी प्रकार कबीर दास जी की नगरी संत कबीर नगर एवं देवरिया में देवरहवा बाबा की तपोभूमि घूमने, दर्शन-पूजन करने आते हैं। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, संतकबीर नगर तथा बिहार प्रान्त के गोपालगंज व सिवान के लाखों लोग रोजाना वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर एवं भगवान बुद्ध की तीर्थ स्थली सारनाथ में पूजन-दर्शन करने जाते हैं। इसी प्रकार गंगा, यमुना एवं सरस्वती तीनों नदियों की संगम स्थली व तीर्थ नगरी प्रयागराज में स्नान करते हैं।

महोदया, व्यापार की दृष्टि से भी इन जिलों के लोग व्यापार जैसे पान, फल, फूल व मिठाइयों तथा अन्य व्यापारिक दृष्टिकोण से हजारों लोग इस रेलखंड पर यात्रा करते हैं। इस रेलखंड पर कोई महत्वपूर्ण रेलगाड़ी न होने के कारण लाखों यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

महोदया, मैं इस मान्य सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से ये मांग करता हूं कि गोरखपुर-भटनी-वाराणसी होते हुए प्रयागराज तक शताब्दी रेलगाड़ी या कोई सुपर फास्ट कुर्सीयान रेलगाड़ी का संचालन किया जाए, जिससे व्यापार व धार्मिक पर्यटन को भी बढ़वा मिलेगा।

(xii) Regarding reconstruction of embankment on Pairi river and payment of compensation to farmers for loss of crops caused by heavy rain in Mahasamund Parliamentary Constituency, Chhattisgarh

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द) : महोदया, महासमुंद लोकसभा अंतर्गत गरियाबंद जिले की वनांचल क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण दिनांक 13 जुलाई, 2022 का पैरी नदी में बाढ़ आने के कारण नदी के दांयी तट पर ग्राम कोपरा के समीप निर्मित अस्थाई बण्ड का बहुत कम ऊंचाई होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया और बाढ का पानी ग्राम कोपरा, तर्रा व कुरुसकेरा एवं सुरसा बांध में घुस गया, जिससे बाढ़ के साथ बहाव में आगे रेत-मिट्टी से उक्त ग्राम के लगभग 500 एकड़ खेत में लगे धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। महोदया, उक्त तटबंध का तत्काल निर्माण कराने की आवश्यकता है अन्यथा 1,000 एकड़ कृषि भूमि बर्बाद हो जाएगी। वर्तमान में नष्ट हुई फसल की जांच दल द्वारा मुआयना कर आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा प्रदान करने की कृपा की जाए। अत: सदन के माध्यम से सरकार से मेरे द्वारा पुरजोर गुजारिश है कि किसानों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए अतिशीघ्र उचित कार्रवाई के लिए विभाग को निर्देशित करने की महान कृपा की जाए।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल – उपस्थित नहीं।

(xiii) Regarding extension of New Delhi-Sogaria Express Train to Baran railway station

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Sir, the 20451/20452 New Delhi-Sogaria Super Fast Express train runs between New Delhi and Sogaria, Kota. This express train starts at 7.10 am and reaches at 1:25 pm in the afternoon. However, the only train (No,11603) leaving from Sogaria to Baran, leaves in the morning at 8.38 am, much before the express train arrives. So, there is clearly poor connectivity between Delhi and Baran that is causing severe inconvenience for passengers. There has been a long-standing demand from the people of Baran District for the extension of the New Delhi - Sogaria Express from Sogaria to the Baran station. This connection will help them commute to the districts of Bundi, Sawai Madhopur, Karouli, Bharatput, Mathura and Delhi itself. Baran district also has an NTPC power station and an Adani power plant that employs workers from across India and regularly engages foreign engineers as well. The people of Baran frequently travel to the above-mentioned places to carry out their economic, educational, and medical activities.

Hence, I request the hon. Minister to extend the Sogaria Express to the Baran Railway Station.

(xiv) Regarding completion of Rail Over Bridges (ROBs) and Rail Under Bridges (RUBs) in Andhra Pradesh

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Sir, Andhra Pradesh has a vast railway network covering a distance of 4,000 kilometres. The State experiences heavy traffic on its railway routes throughout the year. To ease the movement of trains within the State, the construction of 12 Rail Over Bridges (ROBs) and Rail Under Bridges (RUBs) have been approved by the Central Government.

These 12 ROBs and RUBs are spread across various railway stations in the State such as Tirupati, Venkatachalam, Venkatagiri, Mallanur, Chandragiri, Gudipalli, Kuppam, Pakala, and Guntur. The specific requirements for these projects have already been submitted by the State Government to the Ministry of Railways. All formalities on the part of the State Government have also been completed.

Despite constant requests from various representatives of the State, these ROBs and RUBs have not been completed by the Ministry. The pending construction is causing inconvenience to the local residents and the visitors of the areas due to the frequent stagnation of rainwater near the construction sites.

Hence, I urge the Ministry of Railways to kindly expedite the construction work of these 12 pending ROBS and RUBS for the welfare of the people of Andhra Pradesh.

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय जी.

… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैडम, मुझे सब वाह-वाह कह रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। अगर आप सस्पेंशन विथ्ड्रा कर लेंगे तो मैं आपके लिए और ज्यादा वाह-वाह बोलूंगा।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप हल्ला करना बंद कर दीजिए।

… (व्यवधान)

(xv) Regarding Agnipath Scheme

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Soldiers would be recruited for four years only under the Agnipath scheme with no retirement benefits like pension and medical insurance. After four years, only 25 percent of recruits will be absorbed as regulars for 15 years while the remaining 75 per cent will be relieved. Youths feel that the Government policy on recruitment to the Armed Forces is playing with their career. Youths are questioning as to what will happen to their career after four years when there is so much unemployment in India. *… **

माननीय सभापति : आप केवल लिखा हुआ पढ़िए, दूसरा रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : While youths are protesting on the streets fearing their career will be jeopardized under the scheme, political and security experts criticize the scheme for other reasons. They argue that if a large number of youngsters with licensed weapons and no adequate source of livelihood are sent back to their villages, it will pose a security threat and it might cause severe

---

* Not recorded.

damage to the law and order situation even if a small percentage of such youths take to crime just to fulfil their basic needs. ... *

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैडम, माननीय सदस्य क्या बोल रहे हैं?

माननीय सभापति : मैं एक-एक लाइन देख रही हूं।

प्रो. सौगत राय: ...*

माननीय सभापति : इनकी इस लाइन को रिकॉर्ड में से निकाल दीजिए।

… (व्यवधान)… **

PROF. SOUGATA RAY: I urge upon the government to consider the serious impacts of such a wrong decision and take immediate steps to withdraw the Agnipath scheme for the interest of the nation. … **

डॉ. निशिकांत दुबे: सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने अभी चेयर के लिए जो बात कही है, उसे एक्सपंज किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति : हाँ, उसे मैंने रिकॉर्ड से निकालने के लिए कहा है। उसे रिकॉर्ड से निकाल दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप क्या से क्या बोलते रहते हैं, आप इतने सीनियर मेंबर हैं।

… (व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair

** Not recorded.

माननीय सभापति : उस बात को रिकॉर्ड से निकाल दिया गया है।

(xvi) Regarding early construction of Metro Corridor No.- 13 from Shivaji Chowk (Mira Road) to Virar (DPR UP).

SHRI RAJENDRA DHEDYA GAVIT (PALGHAR): The Indian Railways, Government of Maharashtra through Mumbai Metropolitan Regional Development Authority (MMR), Mumbai Railway Vikas Corporation and World Bank are involved in implementing investment plan for improving and expanding the transport network of Mumbai. Metro system of 450 kms is to be constructed under MMR. Corridor No. M-13 from Shivaji Chowk (Mira Road) to Virar (DPR UP) of 23 kms length is to be constructed to link Vasai-Virar Corporation area. The corridor is in DPR stage at present. As per the plan, the corridor is to be constructed during 2027-2031 and is likely to be operational by 2031. A large part of the population of Mumbai reside in Virar and go to various parts of Mumbai for their work/jobs through local trains. The local trains are unable to cope up with the increasing number of passengers and the situation is deteriorating day by day. Only early construction of Metro Corridor No. M-13 from Shivaji Chowk (Mira Road) to Virar (DPR UP) could solve the problem to some extent.

I request the Government for early construction of Metro Corridor No. M-13 from Shivaji Chowk (Mira Road) to Virar (DPR UP) of 23 Kms length for the benefit of the people of Vasai, Virar and Palghar.

(xvii) Regarding establishment of Jharna-Naudha halt stations in Bakhtiyarpur-Rajgir-Gaya railway section

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद) : सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद अंतर्गत पूर्व मध्य रेल दानापुर मंडल में बख्तियारपुर-राजगीर-गया रेल खंड (वाया जेठियन) पर झरना-नौडीहा हॉल्ट या उप स्टेशन बनाना अति आवश्यक है। क्योंकि हॉल्ट बन जाने से क्षेत्र के निम्न गावों सहित काफी गावों को फायदा होगा और वे रेल सुविधा एवं विकास से जुड़ जाएंगे। इनमें ग्राम झरना-नौडीहा, महादलित आदर्श ग्राम सोवरन विगहा, जमुनापुर, सीतारामपुर, पंडितपुर सोहारी, ऐर, विकेयपुर, चरबारा, मंझौली हैं। नटेसर जंक्शन से यह प्रस्तावित हॉल्ट 5 कि.मी. की दूरी एवं जेठियन स्टेशन से 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यहां हॉल्ट बनने से भारत सरकार रेल मंत्रालय के लिए भी अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। झरना धाम एक पर्यटक स्थल भी है। इस धाम पर दूर-दूर से पर्यटक आते हैं तथा शुभ कार्य एवं विवाह समारोह का आयोजन होता है। इस स्थान पर प्राकृतिक रूप से ठंडे जल का झरना बहता है। अतः पर्यटन के दृष्टिकोण से भी झरना हॉल्ट की अति आवश्यकता है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त स्थान पर स्थाई रूप से झरना हॉल्ट अथवा उप स्टेशन का दर्जा देकर निर्माण कराने की कृपा करें, जिससे सभी ग्रामवासी रेल सुविधा का लाभ ले सकें एवं विकास से जुड़ सकें।

(xviii) Regarding release of MNREGS funds for Odisha

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Madam, for the Odisha State, Rs.1195.58 crore towards material and admin component for first quarter of financial year 2022-23 in addition to the previous year's liability of Rs.480.82 crore is yet to be cleared by the Ministry of Rural Development. Delays in release of funds was the problem in previous financial years also and then our hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji wrote to the hon. Prime Minister urging him to release MNREGS funds. The livelihood of lakhs of workers from rural areas depends on the wages released by the Central Government and hence, any delays beyond the set 15 days after the closure of muster roll as per MNREGA 2005 must be avoided. Moreover, delays in payments to suppliers and contractors could disrupt progress of future projects due to erosion of trust. Keeping in view the problems of common man, the State has already requested in two separate letters to release material funds to Odisha. Hence, I urge the hon. Minister to immediately pay heed to this problem and facilitate the release of all pending MNREGS funds due to Odisha for the current financial year and previous financial years and also take measures to avoid this recurring problem in the future.

(xix) Regarding onstruction of hostel for students of Jawahar Navodaya Vidyalayas in Shrawasti and Balrampur Districts in Uttar Pradesh and deployment of adequate staff in Kendriya Vidyalayas in the Districts

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सभापति महोदया, हमारे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के जिला श्रावस्ती एवं जिला बलरामपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा संचालित होती है। यहां प्रतिवर्ष क्लास सिक्स में 80 बच्चों का नया एडमिशन होना चाहिए, परंतु विद्यालय में पर्याप्त संख्या में छात्रावास (हॉस्टल) न होने के कारण मात्र 40 बच्चों का ही नया एडमिशन दोनों जनपदों में होता है।

महोदया, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि जिला श्रावस्ती एवं जिला बलरामपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय में पर्याप्त संख्या में छात्रावास (हॉस्टल) का निर्माण कराया जाए, जिससे प्रतिवर्ष 80 बच्चों का दाखिला हो सके। वहीं श्रावस्ती एवं बलरामपुर में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक एवं स्टाफ की कमी होने के कारण बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। श्रावस्ती एवं बलरामपुर में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक एवं स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए।

(xx) Regarding accounting of water share of Andhra Pradesh by Krishna River Management Board

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Madam, we have been screaming day in, day out that water should not be wasted and when Government of Andhra Pradesh (GoAP) uses surplus water going waste into sea, Krishna River Management Board (KRMB) includes such water in AP's account! When all projects – Jurala, Srisailam, Nagarjuna Sagar, Pulichintala and Prakasam Barrage – on Krishna River are brimming with water, KRMB is coming in way when GoAP intends to use such water to divert to other upstream projects without wasting it.

If one looks at the recommendation of the Technical Committee of CWC, it says that flood water going waste into sea should not be included in the State quota. Secondly, Bachavat Tribunal has given liberty to AP to use flood water as it wishes. So, I fail to understand the reasons and justification behind KRMB including flood waters, otherwise going waste into sea from Prakasam Barrage, in AP's account.

In view of above, I request the hon. Prime Minister to intervene and see that AP uses surplus flood water.

(xxi) *Regarding grant of benefit of pension under the Central Civil Services Pension Rules (1972) to employees of Jawahar Navodaya Vidyalayas who joined services prior to 1.1.2004

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): I wish to bring to the kind attention of the Government of India that the Jawahar Navodaya Vidyalayas (JNVs) were actually set up in 1985 itself, well before 01/01/1986 when the official notification was issued for setting up the JNVs. The JNVs are the best schools in rural areas of our country under co-educational residential system. The achievement has been made possible mainly due to the dedicated services of its staff.

The achievements of the JNVs could be assessed from the high positions held by its Alumni across the world, including the selection of more than a 1000 of them through the UPSC exams in India so far. Both the staff and the alumni of the JNVs contribute a lot to nation-building. But unfortunately, the benefit of pension under the Central Civil Services (Pension) Rules (1972) is denied to the JNV employees who joined the services prior to 01/01/2004.

Hence, I request the Government of India to sanction pension under the Central Civil Services (Pension) Rules (1972) to the JNV employees who joined the services prior to 01/01/2004 as per Rules.

* Treated as laid on the Table.

(xxii) * Regarding measures to tackle the problem of migration from Seemanchal region of Bihar

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): The out-migration of unskilled and semi-skilled labourers is a result of less economic opportunities and poor living conditions in the Seemanchal region of Bihar. According to the NITI Ayog's Report on 'Multi-dimensional poverty Index', the level of poverty in Kishanganj district of Bihar has increased to 64.75%. Moreover, Post pandemic, the reverse migration of inter-state labourer to Seemanchal led to a problem of disguised unemployment in agriculture.

To tackle these problems, a dedicated pool of short term & long term measures should be formulated.

Short term measures should focus on skill development of the youth and grassroot level implementation of centrally sponsored schemes like PMKVY in the region. In addition to vocational training, IT based training should also be given to the students based on market demands. Furthermore, Govt should set up Skill Development Board of Seemanchal to look into such matters.

Long term measures should include building higher educational institutions in the region for professional training of the youth of Seemanchal like AMU-K. Opening up of agro-based industries for alternative employment opportunities and development of primary sector.

Together, these measures will led to socio-economic development of the region.

---

* Treated as laid on the Table.

(xxiii) *Regarding statutory mechanism for compensation to victims of wildlife attacks

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): The wildlife attacks have claimed thousands of lives and have made immense damage to property in the country. For instance, Idukki district from Kerala alone has suffered crores of damage and dozens of casualties in the present year. There is no statutory mechanism now to ensure compensation to the victims of such attacks. Now, they are left at the mercy of state and central governments. Hence, there is a compelling case to ensure that enough compensation is guaranteed to the victims. To do this, such a compensation should be made a legal right. A private member bill has been introduced in the Parliament by me, but if the government enacts such a legislation, it will be more effective. I urge upon the Government to take immediate action on this regard.

* Treated as laid on the Table.

(xxiv) *Regarding bookings in trains from Chennai Central to Rasipuram and train No. 17235/36

SHRI A.K.P. CHINRAJ (NAMAKKAL): I would like bring to the kind attention of the Hon'ble Union Railway Minister , that while making booking for the Train No. 22652 from Rasipuram to Chennai Central it shows the option to book but Vice versa is not available, i.e., for booking from Chennai central to Rasipuram for the same train, it's not available. Due to this, the passengers are heavily affected. There are many people who travel from Chennai to Rasipuram and Namakkal for their business related activities are now facing huge problems. The same problem is with train No 17235/36, booking on one way is available while on the other way it is not available. Due to this, commuters are facing huge difficulties as they could not return. The above mentioned trains were stopping before covid, now the situation turned to normalcy, hence the bookings may be resumed.

* Treated as laid on the Table.

(xxv) *Regarding Angipath scheme

SHRI P.R. NATARAJAN (COIMBATORE): I strongly oppose the Government's proposal of 'AGNIPATH' scheme concerning the future of the educated young job seekers which is abandoning the permanent nature of employment.

According to the annual report of the department of expenditure, out of more than 40.78 lakh sanctioned posts about 8.72 lakh posts are vacant in Central Government departments itself as on 3.2.2022. Most of the vacant posts are in Group B & C categories short term contract workers and temporary modes of employment are increasing in all the Central/State departments to the tune of 24.3 lakh according to the National Sample Survey of India. In this present unemployment problem, Similar design of contractual employment proposed by the govt. with the name 'Agnipath Scheme" is nothing but strengthening Low cost jawans in the place of regular employment opportunities. In such a situation, labourers could not have the thinking space of raising their voice and could also be ready to accept lower remunerations and claims on defined rights of labour force.

According to this scheme, 40 to 50 thousand soldiers in the age group between 17.5 to 21 will be recruited annually. After four year in service, one fourth of them will be included in regular defence services. There is no rules of procedure like interviews, physical test etc for such 25% selection of AGNIVEERS. Rest of the persons selected for Agni path will be dropped out. This

* Treated as laid on the Table.

will over the period of time reduce the permanent service personnel soldier within the armed forces. Most importantly, this might breed feudal loyalty often soaked in preference relating to religion, caste and ideology instead of professionalism and impersonal commitment to the norms and discipline of the defence services.

Hence, I request the Union Government to restrain from giving approval to this AGNIPATH scheme.

(xxvi) *Regarding establishment of a campus of National Institute of Disaster Management or campus of Forensic Science University in the land owned by NTC in Parvathy Mills Limited, Kollam

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Parvathy Mills Limited, Kollam has been shut down since 2008. The Mill owned 16.40 acres of prime city land. The land is not in use. The revival package submitted for the Mill has not been considered till this date. Various proposals were submitted for proper utilization of land and the same has not been considered. The land is suitable for establishment of campus of National Institute of Disaster Management and campus of Forensic Science University. The establishment of campus of National Institute of Disaster Management and campus of Forensic Science University is inevitable in Kollam, Kerala.

Hence, I urge upon the Government to constitute a committee to conduct study regarding the feasibility of establishing a campus of National Institute of Disaster Management or campus of Forensic Science University in the land owned by NTC, Parvathy Mills, Kollam.

---

* Treated as laid on the Table.

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, जो शून्य काल के दौरान अपना विषय उठाना चाहते हैं, उन्हें हम एक-एक मिनट का समय दे रहे हैं। कृप्या आप अपने विषय को शून्य काल में उठाएं।

श्री अनिल फिरोजिया जी,

डॉ. ढालसिंह बिसेन,

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती जी।

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Thank you Madam, Chairperson. Indian Toys Industry is estimated to be 1.5 billion dollars, making up 0.5 per cent of global market share. During August 2020, in his 'Mann ki Baat' addressed to the country, hon. Prime Minister Shri Narendra Modi *ji* expressed his desire to establish India as a global toy hub. He also mentioned 'Etikoppaka toys' which is in my parliamentary constituency, Anakapalle, Andhra Pradesh. The Government of India later developed a comprehensive action plan in 2020 to boost local manufacturing by setting up toy production clusters across the country, launching schemes to incentivize manufacturing and exports, strengthening research and development for toys, and building toy clusters on dedicated SEZs. The toy SEZs will create customized and self-sustained ecosystems catering to export markets. Therefore, hon. Chairperson, Madam, the Andhra Pradesh Government, under the dynamic leadership of Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy Gaaru has identified 114 clusters under the Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI), Micro and Small Enterprises-Cluster Development Programme (MSE-CDP), and has proposed to establish an integrated toy park, encompassing the entire gamut of traditional, electronic and

plush toys for domestic and export markets. Hence, I would request the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises to provide financial assistance to Andhra Pradesh for creating an integrated toys park that could emerge as a role model for toy clusters in the country. Thank you, Madam.

माननीय सभापति : डॉ. ढालसिंह बिसेन जी,

सुश्री दिया कुमारी जी।

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदया, मुझे एक आवश्यक विषय सदन के संज्ञान में लाना है।

सांसद के द्वारा अपने क्षेत्र के लिए कोई मांग अथवा केन्द्र की किसी योजना का कार्य करवाने का आग्रह मंत्रालय से किया जाता है। सांसद केन्द्र सरकार को पत्र लिखता है कि मेरे क्षेत्र की यह मांग है, उस पर ध्यान दिया जाए और उसका प्रस्ताव बनाकर इस कार्य को करवाया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में मंत्रालय द्वारा जो जवाब आता है, उसमें यह लिखा जाता है कि राज्य से प्रस्ताव भिजवाया जाए। यदि राज्य में दूसरे दल की सरकार है, तो वह राज्य सांसद की अनुशंसा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और प्रस्ताव नहीं भेजा जाता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रस्ताव केन्द्र सरकार ने राज्य को भेजा है, लेकिन अभी तक संबंधित राज्य सरकार द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और कुम्भलगढ़ में यह टाइगर सैंक्चुअरी बननी चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर कोई भी सांसद पत्र लिखता है, तो केन्द्र सरकार का संबंधित मंत्रालय राज्य सरकार को डायरेक्शन दे। अगर सांसद का कोई पत्र है, तो प्रायोरिटी के आधार पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए,

न कि सांसद को यह कहा जाए कि सांसद राज्य से प्रस्ताव भेजे। अगर केन्द्र, राज्य को डायरेक्शन दे कि वह प्रस्ताव भेजे क्योंकि सांसद ने यह ध्यान में लाया है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब बैठ जाइए। एक मिनट में ही अपनी बात कहनी है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका मैटर आ गया है।

… (व्यवधान)

सुश्री दिया कुमारी : किसी भी सांसद की बात नहीं सुनी जा रही है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब बैठ जाइए। आपका मैटर आ गया। एक लाइन को तीन बार बोलने की क्या जरूरत है?

… (व्यवधान)

सुश्री दिया कुमारी: मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो भेजते हैं, 'जल जीवन' योजना में भी यही हो रहा है। उसमें भी हम लोगों से नहीं पूछा जाता है। राज्य अपने हिसाब से आगे भेज देती है। काम भी होता है, तो उसके बाद हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं मिलती है। जो भी सेन्ट्रल स्कीम्स हैं, उनकी जानकारी सांसद को नहीं मिलती है। सांसद केन्द्र को पत्र लिखता है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं होती है। राजस्थान में राज्य सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अगर सांसद की बात को, अगर केन्द्र ही यहाँ से राज्य को निर्देश दे कि सांसद ने पत्र लिखा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रस्ताव भेजा जाए। मेरा यही कहना है।

धन्यवाद।

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सिवनी जिले में बागरी (बागड़ी) जाति बहुतायत में निवास करती है जो कि म.प्र. के अनुसूचित जाति की श्रेणी के क्रमांक 02 में अनुसूचित जाति के अंतर्गत अधिसूचित है। संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राज्य में किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में अधिसूचित करने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति जी को है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में बागरी जाति पूरे म.प्र. राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में मान्य है तथा संपूर्ण म.प्र. में जाति प्रमाण पत्र लगातार जारी किये जा रहे हैं। महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले में बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं दिये जा रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली के जारी परिपत्र कं. J-22/M.P.-8/2003/SSW-11, दिनांक 08.10.2003 मुख्य सचिव म.प्र. शासन को निर्देश दिया था कि म.प्र. राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति के निर्णय दिनांक 12 मार्च, 2003 एवं उस संदर्भ में जारी पत्र कं. एफ 23-55/98/25/4 भोपाल, दिनांक 14.07.2003 को तत्काल निरस्त करते हुए बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करें। इसके पश्चात्, म.प्र. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पत्र क्र. एफ 23-55/90/25-4 भोपाल, दिनांक 25 नवंबर, 2004 को बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश जारी कर दिये गये थे। किंतु, अभी भी सिंवनी जिले में बागरी जाति को अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाये जा रहे हैं और उनके द्वारा दिये जाने वाले आवेदन पत्रों को लगातार निरस्त किया जा रहा है। जबकि जनगणना में बागरी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। स्थानीय निकायों के चुनावों में बागरी जाति को अनुसूचित जाति का मानकर आरक्षण दिया जाता है, जिसमें वे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निकायों / वार्डों में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद एवं अन्य पदों पर निर्वाचित होते हैं। पर, इन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, जिससे भारी असमंजस की स्थिति निर्मित हो रही है। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में जवाब दिया गया कि बागरी जाति को छानबीन के उपरांत अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं एवं माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र

बनाने के आदेश दिये गये हैं। लेकिन, सिवनी जिले में आवेदन पत्रों को निरस्त करना लगातार जारी है जो कि अनुचित है। जिले में बागरी जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र न मिलने से जाति-समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। अतः मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिवनी जिले की बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु म.प्र. शासन को निर्देश जारी करने का कष्ट करें। यदि इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना है तो जनगणना में इन्हें अनुसूचित जाति से पृथक किया जाये तथा इनके लिये आरक्षित वार्डो निकायों को अनारक्षित वर्ग में रखा जाये ताकि असमंजस की स्थिति समाप्त हो सके।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसका संबंध न केवल मेरे राज्य से है, बल्कि आपके राज्य से भी है और कतिपय अन्य राज्यों से है, जहाँ पर इस साल वर्षा बहुत कम हुई है।

महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि दुनिया के साथ-साथ भारत में भी वर्षा का पैटर्न बदल रहा है। झारखंड राज्य तो यूँ भी ड्राउट प्रोन राज्यों में से रहा है और जिस संसदीय क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, वह तो रेन शैडो एरिया में आता है। वहाँ पर हर अल्टरनेट ईयर में सुखाड़ या अकाल जैसी स्थिति रहती है। चालू वर्ष में हमारे क्षेत्र में वर्षा में भारी कमी हुई है और जून-जुलाई के महीने में झारखंड में क्रमश: 154.4 मिलीमीटर और 344.60 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है, जबकि गत वर्ष जून और जुलाई महीने में इससे कहीं ज्यादा कम वर्षा हुई थी। जुलाई, 2022 में 23 जिलों में बारिश बहुत कम हुई है। झारखंड के विशेषकर 5 जिले पलामू, गढवा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में इस दौरान बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है। इससे राज्य के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उल्लेखनीय है कि राज्य की 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। इस जुलाई माह में कुल खरीफ लक्ष्य की मात्र 19 प्रतिशत ही बुआई हुई है, वह भी बिचड़ा खेत में ही सूख गया है, जबकि

लक्ष्य करीब-करीब 1 लाख 35 हजार 970 हैक्टेयर में बुआई का था । इसके अलावा मक्का और तिलहन फसल की भी अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, क्योंकि वर्षा नाममात्र की भी नहीं हुई है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि झारखंड राज्य को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने तथा आने वाले महीनों में खाद्य संकट के किसी भी प्रभाव को कम करने और पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है ।

महोदया, मैं साथ-साथ केंद्र सरकार से माँग करता हूँ कि झारखंड के किसानों को हुई आर्थिक क्षति का आकलन और खासकर पलामू और गढवा जिलों में सुखाड़ से हुए नुकसान का आकलन, राज्य के फसल पैटर्न का विश्लेषण करने और राज्य के वर्षा पैटर्न में बदलाव के चलते वैकल्पिक फसल पैटर्न और विधियों के लिए विशेष टास्क फोर्स गठन करने की कृपा की जाए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति: नदी से नदी जोड़ने की बात भी तो बोलिए ।

श्री विष्णु दयाल राम: महोदया, नदी से नदी जोड़ने की जो महत्वपूर्ण योजना केन्द्रीय सरकार की है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है । धन्यवाद ।

श्री चन्दन सिंह (नवादा): महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया है।

मेरी लोक सभा नवादा सहित बिहार राज्य के कई ऐसे जिले हैं, जो कि इस वर्ष भयंकर सूखे की चपेट में हैं। चूँकि मेरे यहाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें मुख्यत: धान की ही अधिक रोपाई की जाती है और मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान सिर्फ खेती पर ही निर्भर हैं।

महोदया, मैं आपका ध्यान मौसम विभाग की रिपोर्ट पर भी दिलाना चाहूँगा, जिसमें बताया गया है कि बिहार में वर्ष 2022 में 1 जून से 12 जुलाई तक 192.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी समयावधि में वर्ष 2021 में इससे दो गुना से भी अधिक 480 मिलीमीटर और वर्ष 2020 में करीब 389 मिलीमीटर बारिश हुई थी।

<u>15.00 hrs</u>

पिछले कुछ सालों की तुलना में अब तक काफी कम बारिश हुई है। जितनी भी बारिश अभी तक मौसम विभाग के द्वारा दर्ज हुई है, उसमें भी दुर्भाग्यवश मेरा संसदीय क्षेत्र पूर्ण रूप से वंचित रहा है।

माननीय सभापति महोदया, चिंता की बात यह है कि मानसून उस महीने में रूठा है, जो खरीफ की खेती के लिए निर्णायक होता है। इसलिए यह भी सत्य है कि बारिश न होने के कारण इस बार फसल पैदावार भी बेहद कम होगी। ऐसी परिस्थिति में किसान बेहद लाचार स्थिति में है। अत: मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि पूरे नवादा संसदीय क्षेत्र को अकाल ग्रसित क्षेत्र घोषित किया जाए और मेरे नवादा लोक सभा क्षेत्र के किसानों को विशेष पैकेज देकर उनकी सहायता की जाये। धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री गिरीश चन्द्र – उपस्थित नहीं।

श्रीमती रीती पाठक – उपस्थित नहीं।

श्री प्रतापराव जाधव – उपस्थित नहीं।

श्री धर्मवीर सिंह।

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): सभापति महोदया, देश में मेडिकल शिक्षा दूसरे देशों के मुकाबले बहुत महंगी है। इसलिए हर वर्ष हजारों छात्र मेडिकल शिक्षा लेने हेतु विदेश में जाते हैं। सरकार को मेडिकल शिक्षा सस्ती करने हेतु सख्त कदम उठाने चाहिए। जनसंख्या के हिसाब से देश में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है। हर वर्ष जितने डॉक्टर्स देश को मिलने चाहिए, उससे भी कई गुणा कम डॉक्टर्स निकलते हैं और जो निकलते हैं, उनमें से बहुत से विदेशों में चले जाते हैं। हाल ही में रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद हजारों की संख्या में मेडिकल छात्र, जिनमें कई अपने आखिरी साल में थे, तो कई पहले साल में थे, अपने देश आए थे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने बड़ी सूझ-बूझ से उनको वहां से निकाला। इन छात्रों के माता-पिता ने लाखों रुपये खर्च करके इन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। लेकिन युद्ध के बाद हालात सभी के सामने हैं। सरकार ने आखिरी साल वालों को यहां एडजस्ट करने की बात की है। लेकिन जो हजारों छात्र पहले व दूसरे साल की पढ़ाई कर रहे थे, उनके बारे में क्या सोचा है? सरकार को अपने देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ा कर इन सभी छात्रों को एडजस्ट करना चाहिए, ताकि इन छात्रों के साल बर्बाद न हों। इसके अलावा इनके माता-पिता की सालों की कमाई बर्बाद न हो सके और देश को अच्छे डॉक्टर्स मिल सकें। चूंकि वहां गरीबी के कारण सस्ती पढ़ाई थी, इसलिए सरकार कुछ न कुछ अपने केन्द्रीय बजट में से या प्रदेश के बजट में से उन परिवारों की भी मदद करें, ताकि वे बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई करके हेल्थ के मामले में देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam, hate crimes are defined as physical acts of aggression against the property and person of an individual or group of individuals on the basis of religion. The incidents of same are rising at an alarming rate and the ... * has an active role to play in it. By promoting violence in order to divert the nation's attention from the inflation and developmental challenges, the flames of hatred are being ignited. If strong

* Expunged as ordered by the Chair

measures are not taken immediately, it will become an ... * as correctly pointed by ... *. According to him, "We, in the army, adopt all religions." If people in the country can do the same, most of our problems will be solved. Thus, the Government must wake up from its slumber and take necessary action immediately. Thank you, Madam.

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): मैडम**,** माननीय सांसद ने बगैर तथ्यों के झूठे आरोप लगाने का काम किया है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अगर पश्चिम बंगाल की सरकार उसमें पूरी तरह से विफल हुई है, तो उनको वहां की बात उठानी चाहिए।**… (**व्यवधान) वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की बात हो या आम नागरिक की बात हो या इनके मंत्री के करीबी के पास भ्रष्टाचार के रूप में करोड़ों रुपये पकड़े जाएं, उससे ध्यान हटाने के लिए अगर ये इस तरह के झूठे आरोप लगाए जाते हैं या तथ्यहीन आरोप लगाए जाते हैं तो जो आरोप लगाए हैं, वे वापस लें।**… (**व्यवधान)

कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। … (व्यवधान) और पश्चिम बंगाल उसमें पूरी तरह से विफल हुआ है। … (व्यवधान) यह देश के सामने है। … (व्यवधान) इस पर माननीय सदस्य को अपने शब्द वापस भी लेने चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए। … (व्यवधान) सदन को गुमराह किया जा रहा है। … (व्यवधान) कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। … (व्यवधान) पश्चिम बंगाल में हत्या होती है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: गलत बात नहीं बोलनी चाहिए।

… (व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Thank you so much, Madam, for allowing me to raise a very important issue in 'Zero Hour'. You know that Lakshadweep is geographically very isolated and it is of nearly 400 kilometres from Kerala.

Madam, recently, Lakshadweep started witnessing the death of persons due to non-availability of air ambulance. In Lakshadweep, the air ambulance connectivity is provided by Pawan Hans Limited. There is an agreement between Lakshadweep Administration and Pawan Hans and in that agreement, it is very clearly spelt out that the first priority should be given to the patients and second to the administrative reasons.

Recently, what happened is that the priority is not being adhered to and the helicopters are being utiliised for the purpose of VIPs. There has been a lot of protests in the Island for that and we have lost nearly five persons because of the non-availability of helicopters.

So, I urge upon the Home Minister to look into this matter and conduct a proper enquiry whether the priority is really adhered to. Thank you.

माननीय सभापति : श्री के. नवासखनी – उपस्थित नहीं

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भीलवाड़ा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उपक्षेत्रीय कार्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। अभी भीलवाड़ा उदयपुर से जुड़ा हुआ है। उदयपुर से भीलवाड़ा की दूरी 170 किलोमीटर है। भीलवाड़ा में कुल 1818 औद्योगिक इकाइयां हैं तथा 1136 इकाइयां सुचारू रूप से प्रोविडेंट फंड जमा करवा रही हैं। इसमें लगभग 1

लाख 32 हज़ार 227 सदस्य अंशदाता हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि डेढ़ लाख से अधिक अंशदायी हो तो उपक्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अवगत कराना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा के नज़दीक 50 किलोमीटर की दूरी पर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय है। वहां लगभग 40 हज़ार अंशदायी हैं, उनको भी उदयपुर जाना पड़ता है, जो कि चित्तौड़गढ़ से सौ किलोमीटर दूर है।

इसलिए चित्तौड़गढ़ जिले के अंशदायी सदस्यों को भीलवाड़ा जिले में मिला लिया जाए तो अंशदाताओं की संख्या डेढ़ लाख से अधिक हो जाएगी। इससे भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उपक्षेत्रीय कार्यालय खोलने की राह आसान हो जाएगी एवं इससे हजारों श्रमिकों, कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। वर्षों से भीलवाड़ा की यह प्रमुख मांग रही है।

माननीय सभापति : श्री प्रद्युत बोरदोलोई – उपस्थित नहीं।

श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण भी चाहूंगा, क्योंकि जो बात मैं इस सदन में अभी रखने जा रहा हूँ, वह मेरे लोक सभा क्षेत्र और आपके लोक सभा क्षेत्र दोनों को जोड़ने वाली बात है। महोदया, सबसे बड़ी बात है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के रुन्नी सैदपुर प्रखण्ड के कटौंझा से तिलक ताजपुर होते हुए धनकौल तक जो बांध बागमती नदी पर है, वह जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त हो गया है। अगर उस बांध के ऊपर कालीकरण कर दिया जाए तो बांध का भी रख-रखाव हो पाएगा और रुन्नी सैदपुर से शिवहर जाने वाले लोगों के लिए भी आवागमन में बहुत बड़ी सुविधा होगी। ठीक उसी प्रकार सुरसंद के रातो नदी पर जो बांध का निर्माण हो रहा है, उसकी गति बहुत धीमी है। अगर उसकी गति को बढ़ा कर पूरा कर के तैयार कर लिया जाए और उस पर कालीकरण हो जाए तो सुरसंद के लोगों को भी आवागमन में सुविधा होगी। नेपाल से जो पानी आता है, आज बिहार के अंदर सुखाड़ है, परंतु नेपाल के पानी से हमें अपने क्षेत्र के अंदर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर उस पर कालीकरण हो जाता है तो उससे भी राहत मिलेगी। बांध का निर्माण

बहुत धीमी गति में है, वह जल्दी पूरा किया जाए। कालीकरण हो जाए और लोगों को आवागमन की सुविधा हो जाए।

माननीय सभापति: कालीकरण के अलावा उसकी ढलाई करवाने पर बाँध की रक्षा होने की बात होगी। कालीकरण तो खत्म हो जाता है।

श्री सुनील कुमार पिन्टू : महोदया, यह तो बहुत अच्छी बात है। सरकार उस पर ध्यान दे। अगर सरकार कालीकरण की जगह उसका पक्कीकरण कर देती है तो उसकी लाइफ और बढ़ जाएगी।

सभापति महोदया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में सुखाड़ आया हुआ है। अभी किसान, सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। यहां से केन्द्रीय टीम जाए और सुखाड़ का आकलन करके बिहार के किसानों को जल्द राहत दे। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार में जल्द से जल्द केन्द्रीय टीम भेजकर बिहार में आए हुए सुखाड़ का आकलन करके किसानों को मुआवज़ा और राहत देने का काम करे।

महोदया, आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एक अध्ययन से पता चला है कि हमारे देश में हर साल अंग विफलता और अंगों की उपलब्धता की कमी के चलते लाखों लोगों की मौत होती है। हमारे सभी बड़े अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर ब्रेन डेड पेशेन्ट्स अक्सर पाए जाते हैं। समझ में आने वाले कारणों में चिकित्सक मरीज़ों की ब्रेन डेथ के बारे में खुलासा करने से हिचकिचाते हैं और अंगदान के लिए परिजनों को प्रेरित करने में बहुत असहज महसूस करते हैं। यदि सरकार ब्रेन डेथ के सन्देह के बारे में कोई स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाती है तो वह प्राधिकरण रोगी का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर्स की टीम को सक्रिय रूप से भेजेगा और फिर ये अधिकारी परिजनों को स्थिति के बारे में सुझाव देंगे।

माननीय सभापति महोदया, अंगदान के लिए परिजनों को संवेदनशील बना सकते हैं। यह ऐसे रोगियों का इलाज़ करने वाले चिकित्सकों की परेशानी को कम करेगा और परिजनों को निर्णय लेने के लिए तैयार करेगा। साथ ही, यदि वे सहमत हैं तो अंगदान के लिए तैयार भी कर सकते हैं। उनका यह निर्णय हर साल मरने वाले व्यक्तियों की मदद करेगा। साथ ही, हमारे देश पर जो आर्थिक बोझ आता है, उसे कम करेगा। जैसे किडनी और लीवर को पेशेन्ट्स के अन्दर ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं तो इस तरह के व्यक्तियों को अंग प्रत्यारोपण का भी लाभ मिल सकता है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर देहदान और अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। ब्रेन डेड की स्थिति में जनमानस के लिए समय पर शवदान और अंगदान की बारीकियों से अवगत कराते हुए लोगों को तैयार करते हुए हम हर वर्ष लाखों लोगों की जान इस देश में बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी इस तरह के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर हम उन बीमारों की मदद करें जो किसी एक अंग के कारण मौत के करीब जा रहे हैं। महोदया, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नक्सल प्रभावित ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं मोबाइल टावरों की स्थापना हेतु मैं दो-तीन वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा हूँ, परन्तु अभी तक सफलता नही मिल पाई है, जिसके कारण घाटशिला विधान सभा क्षेत्र के झाटीझरणा, गुडाबांधा, हडियानमजियान, बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र के चाकुलिया प्रखंड के अंतर्गत बुडीकानपुर, फलदोहा, दक्षिणासोल, जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के पटमदा प्रखंड अंतर्गत जुडिसा, हुडुमबिल, बोडाम, लाचलम, मुकरूडीह, भुईया सिनान एवं पोटका विधानसभा क्षेत्र के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत केन्दुआ, भंगबांधडीह, कवाली के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं मोबाइल टावर नहीं रहने के कारण लगभग 74,000 प्रधान मंत्री आवास योजना ऑनलाइन नहीं होने के कारण स्वीकृत नहीं हो पाया एवं जन वितरण प्रणाली की

दुकानों पर राशन लाभुकों को मशीन का बटन नहीं दबने के कारण राशन लेने में, साथ ही यहां के लोगों को बात करने के लिए मोबाइल में भी टावर नहीं होने पर पेड़ों पर चढ़कर बात करनी पड़ती है। उपरोक्त स्थानों पर आज के 'डिजिटल इंडिया' के युग में नेटवर्क एवं मोबाइल टावर नहीं होने के कारण जनता को नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदया, अत: आपसे निवेदन है कि वह स्थान, जो ट्राइबल और नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर इन्टरनेट कनेक्टिविटी न होने की वज़ह से वह 75,000 प्रधान मंत्री आवास योजना ऑनलाइन न होने के कारण वंचित हो गया। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, हम लगातार तीन सालों से अनुरोध कर रहे हैं कि वहां कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल टावर लगाया जाए, ताकि वहां के लोगों को सुविधा हो।

धन्यवाद।

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Hon. Chairman, thank you for giving me this opportunity to raise an important issue of my Parliamentary Constituency Vizianagaram.

A rail over bridge (ROB), Cheepurupalli to Rajam Bridge number 1451, was constructed in the year 1964. It is situated at Cheepurupalli and connecting Vizianagaram to Rajam and Palakonda. Nearly 5000 to 8000 passengers use this ROB everyday. Heavy vehicles were prohibited on this ROB since May 2022. The vehicles having eight feet and eight inches height gauge are restricted due to the bad condition of this bridge. Due to this restriction of height gauge, the public transport vehicles, that is, the APSRTC vehicles, are also not permitted. As a result, the public are getting much inconvenienced by way of wasting their additional one and a half hours' time and money to reach their destination.

Nearby villagers do not have any alternative transportation other than the private transportation, which is costlier for the poor villagers. The initial process of soil testing is not done so far even after 2 months' restriction.

Hence, keeping in view the difficulty of the villagers, I would like to request the hon. Minister for Railways through you, Madam, to give direction to the authorities concerned to complete the construction of the bridge in a fast-paced manner.

Thank you.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका अत्यंत ही आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बुद्धिस्ट सर्किट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। जिस बुद्धिस्ट सर्किट के कारण आज न केवल भारत के बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आते हैं, बल्कि विदेशों में रहने वाले बौद्ध धर्म के लोग, चाहे वह थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, कोरिया हो, जापान हो, चाइना हो, वहाँ से लाखों की संख्या में हर साल आते हैं।

महोदया, मैं आपका ध्यान बुद्धिस्ट सर्किट के कपिलवस्तु की ओर दिलाना चाहता हूँ, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए। सौभाग्य से सिद्धार्थ नगर मेरा लोक सभा क्षेत्र भी है। उसकी ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध को आपके राज्य के बोधगया में बोधिसत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके बाल्यकाल में राजा शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर थी। आज बोधगया के बारे में आप जानती हैं कि वहाँ लाखों पर्यटक आते हैं, सारनाथ आते हैं, कुशीनगर आते हैं, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान कपिलवस्तु में आते हैं और श्रावस्ती आते हैं। लेकिन, हमारे इस कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में, तथागत गौतम बुद्ध की धरती पर कोई विपश्यना केन्द्र नहीं है। वह एक आकांक्षा जनपद भी है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि सिद्धार्थ नगर के विकास के लिए नीति आयोग के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया गया। उन 112 जनपदों में आज विकास की दृष्टि से काम चल रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वहाँ लाखों लोग आते हैं। जब वे गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पर आते हैं तो एक विपश्यना केन्द्र न होने के कारण उनको असुविधा होती है। वहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले काफी लोग आते हैं। गौतम बुद्ध ने करूणा, ममता, शांति और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को दिया है।

माननीय सभापति: अब आप अपनी माँग रखिए।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, मैं तुरंत ही कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं विषय से कहीं अलग नहीं जा रहा हूँ।

महोदया, उन्होंने करूणा, ममता, शांति और अहिंसा का पूरी दुनिया में संदेश दिया। आज रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। उस काल में, 6 ईसा पूर्व में उन्होंने कहा कि दुनिया का रास्ता हिंसा का नहीं, बल्कि केवल अहिंसा का है। गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया। प्रधानमंत्री दुनिया के मंचों पर कहते हैं कि दुनिया ने युद्ध दिया, लेकिन भारत ने गौतम बुद्ध को दिया। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पर विपश्यना केन्द्र बनना चाहिए। यहाँ से आप एक निर्देश कर दें, जैसे आपने पिंटू जी को संरक्षण दिया था, वैसे ही हमको भी संरक्षण दे दें, ताकि वहाँ एक विपश्यना केन्द्र का निर्माण हो जाए। राज्य सरकार ने बहुत प्रयास करके भारत के पर्यटन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। जब आपकी भी कृपा हो जाएगी तो सरकार वहाँ पर विपश्यना केन्द्र की स्थापना कर देगी, जहाँ लाखों लोग आएंगे।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): सभापति महोदया, धन्यवाद।

महोदया, मैं आपको सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा दक्षिण-मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के अंतर्गत अकोला-खंडवा मीटरगेज रेल मार्ग को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह रेल मार्ग मेलघाट रिजर्व फॉरेस्ट के टाइगर रिजर्व कोर हैबिटेट से न ले जाते हुए, बाहर से ले जाने के बारे में केन्द्रीय सशक्तता समिति, वन विभाग, राज्य सरकार और मेरे द्वारा भी विनती की गई थी।

महोदया, मैं आपको सादर अवगत कराना चाहूंगा कि विगत 11 जून, 2022 की वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में पश्चिम राज्यों से संबंधित कुछ निर्णय हुए हैं। अकोला-खंडवा रेलवे मार्ग के निर्माण को जंगल के बाहर से एवं दुर्गम आदिवासी क्षेत्र से निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं। इस रेल मार्ग में मेरे लोक सभा क्षेत्र बुलाढाणा के जलगांव, जामोद, संग्रामपुर तहसील के कई स्टेशंस आते हैं।

अत: मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि अकोला-खंडवा रेलवे मार्ग के निर्माण को शीघ्रातिशीघ्र कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें, ताकि लाखों लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। इस हेतु मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा।

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने क्षेत्र उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी की एक महत्वपूर्ण और जटिल समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूं। हमारे यहां मोक्षदायिनी क्षिप्रा मैया है, जो दिन-प्रतिदिन प्रदूषित हो रही है। मां गंगा मैया जैसी मोक्षदायिनी क्षिप्रा मैया को भी पुराणों में अति महत्वपूर्ण नदी माना गया है। उज्जैन नगरी में सिंहस्थ 12 साल में होता है और वर्ष भर पर्व, स्नान होते हैं। देश ही नहीं, अपितु विश्व से लोग वहां स्नान करने आते हैं। जो खान नदी है, वह त्रिवेणी संगम में क्षिप्रा में विलीन होती है। इंदौर की फैक्ट्रीज़ का, इंदौर नगर का गंदा पानी मां क्षिप्रा में सम्मिलित होता है, जिसके कारण दर्शनार्थी, तीर्थयात्री न तो आचमन कर सकते हैं और न ही उसमें स्नान कर पा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, वैसे ही नमामि क्षिप्रे प्रोजेक्ट अगर होता है तो हमारी क्षिप्रा स्वच्छ होगी और तीर्थयात्रियों व दर्शनार्थियों को उसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। आपने मेरी बात को सुना, बहुत-बहुत धन्यवाद।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Anil Firojiya	Shri Uday Pratap Singh
Shri Uday Pratap Singh	Shri C. P. Joshi
Shri Bidyut Baran Mahato	Shri C. P. Joshi
Shri Jagdambika Pal	Shri C. P. Joshi
Shri Subhash Chandra Baheria	Shri C. P. Joshi

15.23 hrs

NATIONAL ANTI-DOPING BILL, 2021

माननीय सभापति: आइटम नंबर -21.

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Madam, I beg to move*:

> "That the Bill to provide for the constitution of the National Anti-Doping Agency for regulating anti-doping activities in sports and to give effect to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisaton International Convention against doping in sport, and compliance of such other obligations and commitments thereunder and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

माननीय सभापति: मंत्री जी, क्या आप कुछ विशेष बोलेंगे?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सभापति जी, धन्यवाद । खेल और खिलाड़ी सदा मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा कि खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन भी किया है। टोक्यो ओलम्पिक्स की अगर हम बात करें तो आज तक के सबसे ज्यादा मैडल्स टोक्यो ओलम्पिक्स में भारत के खिलाड़ियों ने जीते। इसी तरह से ही पैरालिम्पिक्स की बात करूं तो वर्ष 2012 में 19 लोगों का कंटिनजेंट गया था। 19 मैडल्स इस बार टोक्यो पैरालिम्पिक्स में जीतने

---

* Moved with the recommendation of the President.

का काम हमने किया। डेफ ओलम्पिक्स में भी 16 मैडल्स पहली बार भारतीय दल ने इस बार जीतने का काम किया है।

बैडमिंटन हमारे यहां पर बहुत पॉपुलर स्पोर्ट भी है, इसके बड़े खिलाड़ी भी हुए, लेकिन थॉमस कप 73 सालों में कभी भी भारत ने नहीं जीता था। इस बार भारतीय दल ने थॉमस कप में गोल्ड मैडल जीतने का भी काम किया है।

महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान खेलों में भी रहा, मुझे हाउस को बताते हुए प्रसनन्ता हो रही है और आपको भी जानकारी होगी। इस बार के आईबीए वूमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में निकहत ज़रीन ने गोल मेडल जीता, वहीं मनीषा और बाकी खिलाड़ियों ने ब्रांज मेडल जीतने का काम भी किया। अब नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की जरूरत क्यों? जब खेल और खिलाड़ियों की बात आती है तो एंटी डोपिंग के लिए कानून बने, जिसकी कमी देखने को मिलती थी। हालांकि यूनेस्को कन्वेन्शन पर हामी हमने बहुत वर्ष पहले भर दी थी। वाडा के अनुसार हमने पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले रूल्स और रेग्युलेशन्स भी बनाएं, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी की भी स्थापना भी की, लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे कारण बने, जिसके कारण उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया, उसको वापस रिवोक किया गया, लेकिन कानून की कमी थी।

बड़े-बड़े देशों ने जैसे यूएस, चीन, जर्मनी, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया ने अपने लिए कानून बना लिए थे, लेकिन भारत के पास अपने कानून की कमी थी। आज मैं हाउस के सामने इस बिल को लेकर आया हूं जहां एक ओर कानूनी व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने का अवसर मिलेगा, वहीं पर हमारी निर्भरता दुनिया भर में भारतीय खिलाड़ियों के सेंपल भेजने की खत्म होगी और इस बिल के कारण आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिल पाएगा। यहां टेस्टिंग का लाभ भी मिल पाएगा।

खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण होता है कि डिसिप्लनरी पैनल हो, वह निर्णय करता है, अपील पैनल है, उसमें सदस्य हों, लेकिन अगर इसका कानूनी अमलीजामा नहीं होगा तो कोर्ट के ही चक्कर काटने पड़ेंगे, खिलाड़ियों को समय भी ज्यादा लगता है।

आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि हाउस में हम इसे आम सहमति से पास करेंगे। जितने भी माननीय सांसद यहां उपस्थित हैं, सबके दिल में कहीं न कहीं खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा भाव है और यह बिल हम उसी दिशा में लेकर आए हैं।

मैं विस्तार में इसकी चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि बड़ी सकारात्मक चर्चा यहां होगी और सभी लोग इसका समर्थन भी करेंगे। धन्यवाद।

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि खेलों में डोपिंग रोधी क्रियाकलापों को और खेलों में डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को प्रभावी करने तथा उसके अधीन ऐसी अन्य बाध्यताओं और वचनबद्धता के अनुपालन को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही विशेष विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है। एंटी डोपिंग बिल, अभी तक हमारे देश में एंटी डोपिंग एजेंसी होती थी, लेकिन उसका कोई कानून नहीं होता था, जैसा स्पोर्ट मिनिस्टर जी ने कहा। हम सभी जानते हैं, हम बार-बार बात कहते हैं कि देश का सर्वांगीण विकास हो, लेकिन देश का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब हम प्रत्येक क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को एड्रेस करें और बारीकी से उनका अध्ययन करें। जो भी व्यवधान या समस्या आ रही है, उसको दूर करने का ईमानदार प्रयास हो।

मैं शारीरिक शिक्षक हूं, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और मॉस्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाई है । हम लोगों ने अक्सर देखा है कि अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा दवाइओं का उपयोग कई खिलाड़ी शुरुआत से ही करने लगते हैं। यहां तक की कई लोगों को कॉलेज से इसकी आदत लग जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटे-छोटे टूर्नामेंट में भी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। इससे क्या होता है, कल जो खिलाड़ी पूरे देश का नाम दुनिया में कर सकता है, वह इस डोपिंग के चक्कर में अपना पूरा फ्यूचर खराब कर लेता है।

शुरूआत में कई जगह कोई एजेंसी नहीं थी, ध्यान देने वाली संस्थाएं नहीं थीं इसलिए किसी का ध्यान नहीं जाता था। मैं समझता हूं कि नेशनल एंटी डोपिंग बिल, 2022 एक ऐसा कदम है, जिसमें खेल और खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा कल्याण छिपा हुआ है । हालांकि कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि लगता है बहुत सजा देने के लिए बिल लाया गया है । जिस प्रकार से हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग जी ने कहा, हम टोक्यो ओलम्पिक में कितने पदक जीत गए, यह एक दिन में नहीं हुआ है । इसके पीछे लगातार हमारे देश का खेल मंत्रालय है । हम सबसे बड़ा क्रेडिट दे सकते हैं, जिसमें किसी को ऐतराज नहीं होगा, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जिन्होंने खिलाड़ियों से जाते समय भी बात की, खेलने के पहले भी बात की और पदक जीतने के बाद भी बात करते हैं।

इससे कितनी बड़ी ऊर्जा का संचार होता है, इसे हम, हमारे जैसे खिलाड़ी और खेल शिक्षक समझ सकते हैं। मैं आज बहुत खुशी व्यक्त करता हूं और मुझे आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस देश में छोटी-छोटी चीजें, जो हमारी प्रगति में बाधक होती थीं, उसे हम अभी करैक्ट कर रहे हैं। उसी दिशा में यह कदम है। मैं सदन में बैठे अपने सभी साथियों को और जो सुन रहे हैं, उनको कुछ फैक्ट्स देना चाहता हूं कि एंटी डोपिंग लॉ के लिए सभी देशों द्वारा एंटी डोपिंग नियमों को लागू करने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग संगठन की आवश्यकता पर बल दिया गया। डोपिंग रोधी नियमों का मूल उद्देश्य यही है कि सभी एथलीटों को, खिलाड़ियों को समान अवसर मिले और किसी भी एथलीट

को प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का सेवन करके अनुचित लाभ प्राप्त न हो सके। ऐसा पहले हुआ है। दुनिया की कई गेम्स में अन्य देश के लोगों ने ऐसी ही दवाइयों का प्रयोग किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर गए। इसमें हमारे देश के लोग भी कुसंगति में आ गए।

इसके कारण होता यह था कि बहुत शक्ति न होने से यहां से लोग चले जाते थे और पदक जीत लेते थे या खेल में परफार्म करने के बाद पकड़े जाते थे। इस कारण कई बार हमारे देश की बहुत बुराई भी होती रही है।

सभापति जी, एक बात और ध्यान में रखने वाली है। पहले नाडा काम करती थी, एंटी डोपिंग एजेंसी थी, अपना कानून न होने से कई बार डिसीजन लेती थी लेकिन कोई कोर्ट में चला जाता था, कोई भटका देता था, लटका देता था, इस कारण सही मायने में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वह नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। नाडा के कार्यक्रमों में विश्व डोपिंग रोधी संहिता के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू करना, डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, डोप परीक्षण करना और किसी भी उल्लंघन के मामले में दंड को अधिकृत करना भी शामिल हो गया है। अब भारत में एथलीटों को डोपिंग रोधी के बारे में शिक्षा प्रदान करना एक दायित्व होगा। खेल संबंधी स्थायी समिति ने भी इसकी संस्तुति वर्ष 2021 में की थी कि ऐसा कानून बनना चाहिए। इसने वर्ष 2021-22 में डोपिंग रोधी कानून लाने की सिफारिश भी की है।

सभापति जी, इसमें एक और अच्छी बात है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अपनी बात में कहा और यह बात सभी के जानने लायक है कि कई लोगों को गलत भी फंसा दिया जाता था। यह सिर्फ सजा देने या रोकने के लिए नहीं हैं। खिलाड़ियों को तब अपनी बात कहने का मौका भी नहीं मिलता था। इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि किसी एथलीट को अगर गलत ढंग से फंसाया गया है तो उसे अपील बोर्ड में जाने का अधिकार होगा, उसे सुना जाएगा। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं याद रहनी चाहिए।

हम सदन में बात कह रहे हैं, देश में जो भी खिलाड़ी इसे सुन रहे होंगे, उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि नियमों का कभी उल्लंघन न हो, जैसे किसी एथलीट के शरीर में प्रतिबंधित पदार्थों की उपस्थिति न हो, निषिद्ध पदार्थों या विधियों का उपयोग करने का प्रयास या कब्जा न हो, अधिकारियों द्वारा नमूना संग्रह के लिए प्रस्तुत करने से कोई इंकार न करे, निषिद्ध पदार्थों या विधियों की तस्करी या तस्करी का प्रयास न करे। ये सब सजा के काबिल हैं। ऐसे उल्लंघनों की सहायता करना या छिपाना एक बड़ा दोष होगा।

सभापति जी, उल्लंघन के परिणाम क्या हो सकते हैं, यह हमारे देश के हर खिलाड़ी तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति एथलीट या एथलीट समर्थनकर्मियों द्वारा डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का परिणाम यह हो सकता है कि पदक, अंक, पुरस्कार जब्त किए जा सकते हैं। इससे आप जीतने के बाद भी हार जाते हैं। हमारे देश के खिलाड़ी यह बात ध्यान में रखें कि आपकी क्षमता में कमी नहीं है। हमारे जिन बच्चों ने, खिलाड़ियों ने टोक्यो में, चाहे नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते हों या अन्य ने सिल्वर या ब्रोंज़ जीता है, उनकी और दूसरों की क्षमता में कोई कमी नहीं है।

जब माननीय प्रधान मंत्री जी एक फोन से बात करके इतनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं तो हम शुरू से एंटी डोपिंग के चक्कर में न पड़कर अगर इसको अच्छे ढंग से लेकर जाएंगे तो हमें विश्वास है कि अगले ओलम्पिक में 15 पदक भी पा सकते हैं। इस लक्ष्य को अचीव किया जा सकता है। … (व्यवधान) पदकों की संख्या 50 भी हो सकती है। नियमों के अनुसार एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा निष्पक्ष सुनवाई के बाद उल्लंघन के परिणाम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल द्वारा तय किया जाएगा। इस कानून के द्वारा एक अच्छी बात हुई है, जिसको मैं सदन के समक्ष लाना चाहता हूं। वर्तमान में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा डोपिंग रोधी नियमों को लागू किया जाता है, जिसे एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। अभी तक यह एक सोसाइटी के रूप में था। इस विधेयक के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित कर दिया जाएगा। इसका हम स्वागत करना चाहते हैं। इसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक करेंगे। एजेंसी के कार्यों में सारी चीजें

शामिल हैं। लेकिन, मैं एक स्पष्ट बात करना चाहता हूं कि यह सब कुछ कब सफल होगा? यह तब सफल होगा जब हर प्रदेश की सरकार इसकी नैतिकता को ले। अगर प्रदेश की सरकार नैतिकता नहीं लेगी, जैसे दिल्ली में नैतिकता कहां चली गई है? गली-गली में शराब की दुकान खुल रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें, अगर हम प्रदेश की नैतिकता को हटा दें तो अभी दिल्ली में सरकार की शराब नीति से गली-गली में शराब की दुकान खोली गई है। उसके ऊपर सैंकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। … (व्यवधान) इस पर सीबीआई की एन्क्वॉयरी भी हो गई। वह भी दिल्ली सरकार के द्वारा हुई है। अगर ऐसी नैतिकता का पालन नहीं करेंगे और अनैतिक हो जाएंगे तो हमारा यह बिल किसी काम का नहीं रह पाएगा।

मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूं। इस पर सीबीआई की एन्क्वॉयरी हो गई है। इसमें डिप्टी सीएम तक जेल जा सकते हैं। … (व्यवधान) हम धमका नहीं रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं। मेरे भाई यह इतनी गंभीर बात हुई है कि इस बिल को नैतिकता के साथ प्रदेशों को लागू करना होगा। अन्यथा, हम अपने खिलाड़ियों को कैसे संदेश दे पाएंगे? ऐसी स्थिति में मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है। मुझे पता नहीं कि जांच के बाद क्या होगा? यह एक अलग बात है कि जिस दिन जांच होती है, उसी दिन दिल्ली के मुख्य मंत्री कहते हैं कि फलां जेल जाएगा। वे नाम ले लेते हैं। मैं यहां सदन की गरिमा के अनुसार … * नाम नहीं लेना चाहता हूं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: ये वहां के मुख्य मंत्री बोल रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: केवल आपकी बात रेकॉर्ड में जाएगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: इन्होंने नाम नहीं लिया है। मुख्य मंत्री खुद नाम ले रहे हैं।

---

* Not recorded

… (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी: सभापति महोदया, मेरे कहने का मूल उद्देश्य यह है कि यह एक बहुत बड़ा बिल है। आज हम इस देश में देखते हैं कि रोडवेज बन रहे हैं और उस रोड पर जहाज भी उतर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी सोच है। सर्वांगीण विकास की प्राप्ति भी तभी होगी। उस रोड पर सेना के विमान भी उतरते हैं। अपनी सड़कों पर इतना विश्वास है कि प्रधान मंत्री जी भी स्वयं विमान में उन सड़कों पर उतर जाते हैं।

दूसरी तरफ देखते हैं तो दिल्ली के स्कूल के बच्चों में ड्रग्स की आदत लगती जा रही है। वे सुट्टा मार रहे हैं। एक शब्द सुट्टा होता है। सॉरी, अगर मैं गलत शब्द प्रयोग कर रहा हूं। हम इसको देश के सामने ला रहे हैं। इसको सामने लाना इसलिए आवश्यक है कि आज जो एंटी डोपिंग कानून आया है, यह हमारे देश के एथलिटों में और भी ऊर्जा बढ़ाने वाला है। यह कुसंगतियों से रोकने वाला है। … (व्यवधान) सुप्रिया जी, ये दिल्ली में ऐसा चल रहा है। … (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (**अमरोहा**): सभापति महोदया, सुट्टा पार्लियामेंटरी शब्द नहीं है।

माननीय सभापति: हम सुट्टा शब्द को देख लेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अगर अनपार्लियामेंटरी शब्द होगा तो हटा दिया जाएगा।

… (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी: महोदया, मैंने सिर्फ उस शब्द के बारे में बताया है, जो शब्द चिंता का विषय है, इसलिए मैंने उसके बारे में कहा है। अभी इस कानून के आने के बाद एक बहुत अच्छी बात होगी कि एंटी डोपिंग कानून और डोपिंग रोधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करने के लिए यह विधेयक खेल में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना करता है। पहली बार डोपिंग रोधी बोर्ड की

स्थापना होगी। यह बोर्ड एजेन्सी की गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसमें जिस प्रकार से सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक उपाध्यक्ष, कानूनी विशेषज्ञ, चार सदस्य चिकित्सा व्यवसायी और सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित एथलीट रखे जाएंगे। इसमें एथलीट भी रखे जाएंगे। चूंकि खिलाड़ी खिलाड़ियों को समझता है, इसलिए इस कानून की रचना बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है।

महोदया, मैं समझता हूं कि एक प्रकार से ये पैनल यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिबंध लगाने से पहले एथलीटों की भी निष्पक्ष सुनवाई हो। आज तक यह नहीं होता था। दिल्ली और हरियाणा के कई ऐसे एथलीट्स हैं, जिनके साथ कई बार ज्यादतियां हुई हैं। ऐसा देखा गया है, लेकिन उनको सुना नहीं गया, तो यह कानून उनके लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। हम इस कानून के तहत लेबोरेटरी की स्थापना करने वाले हैं। मौजूदा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को प्रमुख डोप परीक्षण प्रयोगशाला माना जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी इस कानून से यह निश्चित किया गया है कि केन्द्र सरकार और अधिक नेशनल डोप परीक्षण लेबोरेटरी की स्थापना करेगी।

मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अभी माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने देश में सांसद खेल महोत्सव शुरू करवाया है। पता नहीं, कितने सांसदों ने कराया है, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत से सांसदों ने इसे कराया है। हमने उसमें एक नारा सुना है। नारा है कि 'गली-गली से खेल की प्रतिभा चुनकर लाना है, नशामुक्त हो युवा, हमें संकल्प उठाना है'।...(व्यवधान) दिल्ली वाले भी आज नहीं तो कल समझेंगे, अभी थोड़े गलत हाथों में हैं, इसलिए गड़बड़ है।...(व्यवधान) जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी कानून आया है, मैं इस कानून का पूरा समर्थन करता हूं। मैं सदन के सभी विद्वान साथियों से निवेदन भी करूंगा, निश्चित रूप से बहस इसीलिए होती है कि अगर कोई विषय छूट गया हो, तो हम उसको ऊपर लाएं। मैं पूरी आशा करूंगा कि इसको सदन पास करे। मैं अपनी तरफ से बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदया, आज आपने मुझे मेरी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदया, मैं सबसे पहले केन्द्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वह इस विधेयक को लेकर आए हैं। देश के खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए और राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेन्सी की स्थापना करने हेतु सरकार द्वारा उठाया गया यह एक सराहनीय कदम है, जिसका मैं दिल से स्वागत करता हूं।

महोदया, इस विधेयक से देश में खेलों का तंत्र सख्त और मजबूत होता जाएगा, जिससे बचकर निकलना एथलीटों के लिए आसान नहीं होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है, जो कि एक बेहतर भविष्य की ओर इशारा करता है। डोपिंग को रोकने के लिए और इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरुकता फैलाने का काम आज हमारी केन्द्र की सरकार कर रही है, जो कि स्वागत योग्य है।

महोदया, भारत ने खेलों में डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैधानिक एवं सांस्कृतिक संगठन संबंद्धी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और नवबंर, 2007 में इसका अनुमोदन किया था। इसके साथ ही भारत सरकार ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की और इसके अधीन वर्ष 2009 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण ने भारत की प्रतिबद्धता को पूरा किया है।

सभापति महोदया, इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण एवं इससे संबंधित परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन को कानूनी रूप प्रदान करना है, ऐसा मेरा मानना है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ खेल में डोपिंग रोधी कार्य के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की बात कही गई है तथा इसमें संरचना, शक्तियों एवं कार्यों का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें अनुशासन की प्रक्रियाओं को अंगीकृत करने, नमूने, निरीक्षण, संग्रहण एवं सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने की बात कही गई है, जिससे आने वाले समय में खेलों में डोपिंग रोधी नियमों को सुदृढ़ किया जाएगा।

सभापति महोदया, मेरा मानना है कि इससे भारत में खेलों को डोप मुक्त बनाने के लिए तथा खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम चलाने के लिहाज से रूप रेखा एवं तंत्र को मजबूत एवं प्रोत्साहित करने का काम केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो अभिनंदनीय एवं स्वागत योग्य है।

सभापति महोदया, देश में डोपिंग के खिलाफ कानून नहीं होने से नाडा में सुनवाई के बाद मामले अदालत में पहुंच रहे थे। इस कानून के बनने के बाद डोप पॉजिटिव खिलाड़ियों की नाडा में होने वाली सुनवाई भी इसके दायरे में रहेगी तथा नाडा सुनवाई पैनल फैसलों को इसके बाद अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

सभापति महोदया, इस विधेयक के अंतर्गत मौजूदा राष्ट्रीय डोप टेस्टिंग लेबोरेट्री को मुख्य डोप टेस्टिंग लेबोरेट्री माना जाएगा। विधेयक में केन्द्र सरकार को इस बात की अनुमति दी गई है कि वह डोप टेस्टिंग के लिए दूसरी राष्ट्रीय लेबोरेट्रीज भी बना सकती है, जो स्वागत योग्य है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि विश्व में वाडा की मान्यता प्राप्त कुल 29 लेबोरेट्रीज हैं। 29 में से 6 लेबोरेट्रीज एशिया में हैं।

सभापति महोदया, मैं सरकार से आग्रह एवं निवेदन करना चाहूंगा कि एथलीटों, कोचों, सहायक कर्मियों, चिकित्सकों आदि के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता, शिक्षा और सूचना के प्रसार की अत्यधिक आवश्यकता है। खेलों में डोपिंग के खतरे को रोका और समाप्त किया जा सके तथा खेल की शुद्ध भावना को बनाए रखा जा सके। देश के प्रत्येक एथलीट की प्रतिभा के माध्यम से मानव जीव की उत्कृष्टता को नैतिक खोज के रूप में परिभाषित किया गया है, ऐसा मेरा मानना है।

सभापति महोदया, एंटी डोपिंग के बारे में आर्मी के स्पेशलिस्ट ने एक रिपोर्ट बनाई थी। A study was conducted by seven specialists from the Armed Forces Medical College, Army Sports Institute and different military hospitals. उन्होंने वर्ष 2022 में यह रिपोर्ट बनाई है। इसमें उन्होंने बहुत सारे सजेशन्स दिए हैं। मैं उनमें से थोड़े बहुत सजेशन्स पढ़ना चाहता हूँ। “Athlete awareness regarding anti-doping agencies and anti-doping rule

violations was poor.” ऑथर ने यह रिपोर्ट किया है। The study found that 40 per cent or less reported receiving anti-doping updates. यह रिपोर्ट मेल एथलीट्स, जो 18 से 35 वर्ष के थे, उनकी स्टडी करके बनाई गई थी। “Less than seven per cent of those surveyed admitted to consumption of banned substances for performance enhancement and admitted to knowledge about use of similar substances amongst their teammates in national camps. Nine athletes were consuming tablets, powders or injections, and the knowledge regarding this use had been obtained from the internet, team members or friends.” उनके थ्रू उनको इन सबकी नॉलेज मिली थी। The prohibited substances were obtained from local pharmacies. लोकल फॉर्मेसी यहां पर भी अवेलेबल हुई थी। According to the study, an area requiring regulatory action is the proper labelling of and use of dope-free certified supplements. “Dope-free certification by independent bodies should be made mandatory for supplements or nutraceuticals which are regularly consumed by athletes and these should be prescribed by the team physicians or sports physicians only to avoid cases of accidental consumption.”

इसके लिए उन्होंने सजेशन दिया था। इसके अलावा मेरे और दूसरे भी सुझाव हैं। खिलाड़ी द्वारा सख्त डोपिंग रोधी कानून का अनुसरण नहीं करने की स्थिति में एथलीट के साथ-साथ महासंघ और संबंधित कोच को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। डोपिंग रोधी कानून का सख्ती से अनुसरण करने के लिए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जानी आवश्यक है।

आहार विशेषज्ञ निर्धारित आहार पर नजर रखें और खिलाड़ियों के भोजन को टेस्ट करने की आवश्यकता भी है। फेडरेशन और डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दवा का पालन करें, जो भाग लेने वाले

विभिन्न एथलीट्स को दवा प्रदान करते हैं। एथलीट्स एवं भारत को किसी भी तरह की बदनामी से बचाने के लिए एथलीट के साथ-साथ महासंघ अपनी जिम्मेदारियों का सख्ती से पालन करे।

डोपिंग के मामले का मुकाबला करने या बहस करने के लिए भोजन के माध्यम से प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन एथलीट द्वारा करने तथा दवा की जांच जरूरी है। एथलीटों को अनावश्यक मानसिक एवं सामाजिक उत्पीड़न से बचाने के लिए आने वाले समय में हमें की गई प्रतिबद्धता का पालन करना चाहिए। डोपिंग रोधी कानूनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल मंत्रालय या 'NADA' के साथ होना चाहिए, वह तो आपने कहा है। विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा, संसाधन और आहार विशेषज्ञों, चिकित्सकों, प्रशिक्षकों आदि को ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

महोदया, डोपिंग रोधी उपाय के लिए विधेयक में उल्लिखित दृष्टि को प्रचारित करने तथा इसे बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और जागरूकता पर शैक्षिक सामग्री विकसित करने, पाठ्यक्रम चलाने के लिए एक समर्पित संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता है। देश की जरूरत को पूरा करने के लिए देश में और अधिक डोप परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। संसदीय स्थायी समिति ने भी अपने सुझाव में यह कहा है कि हर राज्य में एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। मेरा सरकार और संबंधित मंत्री जी से निवेदन है कि हर राज्य में टेस्टिंग लेबोरेट्रीज को शुरू करना चाहिए।

महोदया, मैं आपके माध्यम से संबंधित खेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य में, मुंबई में एक प्रयोगशाला शुरू की जाए, जिससे देश की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और इसके अलावा, एंटी डोपिंग विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भारत दक्षिण पूर्वी एशिया का एक अग्रणी देश बनेगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Namaskar, Madam. Thank you for letting me speak on this Bill, which is … (व्यवधान) मैं अनइम्प्लायड बन गया था, इधर-उधर भटकता रहता था। … (व्यवधान) हम चाहते हैं कि अपोजिशन यूनिटी बने। फासिस्ट और कम्यूनल

फोर्सेज के खिलाफ यूनिटी बननी चाहिए, लेकिन कोई प्रतिबन्ध बनता है तो उसका हमें अतिक्रम करना है। इसीलिए मैंने इस पर चर्चा शुरू की है। मैडम, मैं नेशनल एंटी डोपिंग बिल, 2021 पर बोल रहा हूं। This Bill was earlier brought to the Parliament and sent to the Standing Committee in November, 2021, and then the Standing Committee gave its Report in February, 2022. It is on the basis of the Standing Committee Report that the Bill has been finalized. Now, the important question is this. How serious is the problem of doping in India? Madam, you know that mainly doping is done through use of the anabolic steroid 19-norandrosterone. This is a performance enhancing drug used specifically for the purpose of enhancing performance in sports. Now, there have been people in India who have been accused of using this drug. First example was that of Anshula Rao of Madhya Pradesh. She was a woman cricketer. Anshula is not the only one. Earlier, National Anti-Doping Agency had let off Smriti Mandhana, Deepti Sharma, Cheteshwar Pujara, Ravindra Jadeja and KL Rahul with a warning for not adhering to the whereabouts clause for the national agency to conduct surprise tests if it wants to.

Now, doping is evil because it distorts the performance of an athlete. It enhances his or her capability at the cost of other people, and in the long-term it causes immense harm to the health of the athlete concerned. यह बन्द होना चाहिए और बन्द होने के लिए अनुराग सिंह ठाकुर ने कुछ कदम उठाए हैं। Anurag Singh Thakur is a lucky man because earlier India’s sports performance was good. Under Kiren Rijiju, we did a lot of work, but unfortunately just before Olympics the portfolio was changed and Anurag Singh Thakur became the Sports Minister. So, instead of Rijiju getting

the full credit, Anurag basked in the glory of India's performance of winning seven medals in Olympics. … (*Interruptions*)

What is to be worried about is that there is a slide. I was closely watching the performance of Indian athletes at the World Athletic Championship. Neeraj Chopra, as usual, did well, but he got only a Silver medal, not a Gold medal as he got in the Olympics. Following that, he retired. He will not join us for the Commonwealth Games. He was our sure-shot medal winner, but he will not attend the Commonwealth Games.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : इंजरी के बाद जॉइन करेंगे।… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : नहीं करेंगे । यह दुख की बात है। … (व्यवधान) He was the sure shot winner. Now, because of injury, he can't perform. So, the Commonwealth Games means, one medal less. जो गुडलक चल रहा था, अभी थोड़ा बैडलक आ गया है। मैं यही बोल रहा था।

डॉ. निशिकांत दुबे: अभी दो दिन पहले उसने सिल्वर जीता है**।** … (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सिल्वर जीतकर, रिटायर हो गए**।** … (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: रिटायर कैसे हो गए? … (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: रिटायर नहीं, वह हट गए हैं। आप शब्द समझिए। मैडम, हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमारे हिन्दुस्तान का उतना अच्छा नाम नहीं है। We have the National Dope Testing Laboratory. You know that urine is tested mainly for these performance enhancing drugs. Our Dope Testing Laboratory was suspended by the World Anti-Doping Agency for not doing its job well. So, in between, samples were to be

sent abroad, which is a matter of shame for us. Anurag *ji* got that sanction/approval from the World Anti-Doping Agency because doping is a world problem and 191 countries in the world are signatories to this Anti-Doping Convention. This doping is controlled by the United Nations Economic, Cultural and Scientific Organisation (UNESCO). So, we have to get their approval.

What Anurag *ji* is doing with this Bill is following the recommendations of the Standing Committee, which suggested no changes to the Bill. They made a few suggestions. Good enough. Now, the main thing is that it gives statutory power to the National Anti-Doping Agency. It also sets up a National Anti-Doping Board. What the Minister has to take great care of is that this means a few people will get good jobs, cushy jobs. The Director General would be of the rank of a Secretary or something. There is already a National Anti-Doping Agency. Now, this Board would be set up under a Director General. I think, it is a sort of top-heavy structure that they are bringing. Just, listen to it, Madam.

There will now be a disciplinary committee. How many members would be there in a disciplinary committee? … (व्यवधान) डिसप्लिनरी कमेटी में बहुत ज्यादा मैम्बर्स हैं। आप भी तो नहीं चाहेंगे कि कुछ लोग आएं और कमेटी में बैठकर पैसा ले जाएं। इतनी बड़ी-बड़ी कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? The main thing is that this job has to be done by the Federations. Our Federations have been lax. There have been complaints about doping by our rowers and rowing people. Now, the Sports Minister must have a meeting with these Federations, to warn them that the Government would not allow any sort of doping because for the purposes of glory, they may give some banned drugs and it will bring bad name to the whole of the country. We wish the

Sports Minister well in his efforts to remove doping. यह नहीं होना चाहिए । ड्रग लेकर अच्छा मेडल मिल जाएगा, फिर बाद में यह निकलेगा कि ड्रग ली थी तो बदनाम हो जाएगा । हमें इस बदनाम बस्ती से बाहर रहना चाहिए। मैं यह समझता हूं कि आप भी इसको पूरा समर्थन देंगे।

With that, I support the Bill. I have given a few amendments, which I will put in later. But otherwise, in principle, I support the Bill.

16.00 hrs

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): सभापति महोदया, खेल जगत में डोपिंग अर्थात् खेल में शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन वास्तव में भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए अभिशाप है । डोपिंग की वजह से मेरिट वाले खिलाडियों को उनका स्थान नहीं मिलता और वे बेईमानी के शिकार हो जाते हैं। भारत खेलों में विश्व की महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन डोपिंग के कारण यह संभव नहीं हो रहा है । अफसोस की बात है कि भारत पहले से ही दुनिया के शीर्ष तीन डोपिंग रोधी उल्लंघनकर्ताओं में से एक है । वर्ष 2013 के बाद डोपिंग से संबंधित वाडा-एडीआरवी रिपोर्ट की सूची में भारत का स्थान शीर्ष दस देशों में है। यह काफी गंभीर विषय है और इसका हल नितांत आवश्यक था, जिसके लिए यह बिल लाया गया है। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

भारत सात पदकों में एक स्वर्ण, दो रजत, चार कांस्य के साथ टोक्यो ओलंपिक में 48वें स्थान पर था, लेकिन विश्व डोपिंग सूची में तीसरे स्थान पर था जो काफी चिंता का विषय था।

सभापति महोदया, देश में डोपिंग के खिलाफ कानून नहीं होने से नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा में सुनवाई के बाद मामले अदालत में पहुंच रहे थे। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी की ओर से लंबे समय से नाडा पर डोपिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था।

महोदया, भारत ने वर्ष 2020 में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी को विश्व स्तर पर खेलों को स्वच्छ बनाने के लिए एक मिलियन अमरीकी डालर का एकमुश्त समर्थन देने का वादा किया जो चीन, सऊदी अरब और मिस्र सहित कई अन्य विदेशी सरकारों द्वारा किए गए योगदानों में सबसे अधिक था, परन्तु

डोपिंग को रोकने में हम अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। इस विधेयक को एक आपराधिक कानून के बजाय एक निवारक कानून बनाने के विचार के अनुरूप तैयार किया गया है। इस बिल में राष्ट्रीय नाडा को डोपिंग अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी करने का अधिकार दिया गया है। यह बिल एथलीटों को डोपिंग में शामिल होने से रोकता है और परिणामों की अयोग्यता के साथ किसी भी उल्लंघन को दंडित करता है, जिसमें पदक, अंक और पुरस्कार जब्त करना, एक निर्धारित अवधि के लिए प्रतियोगिता या कार्यक्रम में भाग लेने की अयोग्यता और वित्तीय प्रतिबंध शामिल हैं। यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महानिदेशक की अध्यक्षता में एक वैधानिक निकाय के रूप में नाडा के गठन का प्रावधान करता है।

महोदया, एजेंसी के कार्यों में डोपिंग रोधी गतिविधियों की योजना बनाना, कार्यान्वित करना और निगरानी करना और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन की जांच करना शामिल है। इस विधेयक के कानून बनने से डोपिंग रोधी नियमों पर सरकार को सिफारिशें करने और डोपिंग रोधी पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन के लिए खेल में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

महोदया, बोर्ड नाडा की गतिविधियों की निगरानी करेगा और उसे निर्देश जारी करेगा। डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के परिणामों को निर्धारित करने के लिए बोर्ड एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल का गठन करेगा। यह पैनल के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने के लिए एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अपील पैनल का भी गठन करेगा। इस विधेयक के कानून बनते ही नाडा की शक्तियां बढ़ जाएंगी और साथ ही खिलाड़ियों को भी डोपिंग के खिलाफ अधिकार मिल जाएंगे। कानून बनने के बाद डोप पॉजिटिव खिलाड़ियों की नाडा में होने वाली सुनवाई भी इसके दायरे में रहेगी। नाडा सुनवाई पैनल फैसलों को इसके बाद अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। देश में डोपिंग के खिलाफ कानून बनाने की दिशा में यह एक अच्छा प्रयास है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं एवं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Madam Chairperson. My speech would be in three parts - the summary of the Bill which has been introduced in Parliament by the Government to prohibit the practice of doping in sports, and this Bill aims to establish the National Board for Anti-Doping, National Anti-Doping Agency, and National Dope Testing Laboratory, and to provide for composition, powers and functions for the investigation. The Bill lays down the procedure on the power of entry, search, and seizure in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure and the procedure for timely disposal of cases involving the anti-doping rule violations within a stipulated period of three months.

When I go to the background of this Bill, it has taken 20 years to frame this Bill and bring it to the Parliament. From 1999 to 2002, the Government was one of the members of Foundation Board of the World Anti-Doping Agency (WADA). Thereafter, the Government signed the UNESCO Convention against doping in sports in 2005 and ratified it in November, 2007. India is also a signatory to the Copenhagen Declaration on Anti-Doping.

Madam, when we analyse the Bill, the existing anti-doping rules were adopted by NADA in verbatim without taking into consideration the realities on the ground in India. The Bill formulates these rules into a legislative framework. This framework is welcome and crucial in the contemporary situation to protect the athletes' rights and regulate them vice versa.

The Bill empowers the agencies to act on their own belief to suspect any athlete. I would draw the attention of the Government and of the Ministry to the point that this creates an unreasonable arbitrary authority in the hands of agency members to enter athletes' premises, seize any equipment, device or substance. The Bill does not provide any clarity on the protection of the data they procure from the testing or investigating the athlete. These are missing in this Bill.

The Ministry of Youth Affairs and Sports constituted a drafting committee comprising eminent legal luminaries, prominent sports administrators, renowned sportspersons, medical experts, and law enforcement officers from investigating agencies like CBI and Narcotics Control Bureau.

The Bill addresses the recommendations of the Committee report and proposes the amendments in accordance with the WADA Code. But the personal data protection is missing and that is one of the major reasons why one feels that this Bill has overlooked that issue.

On 16th November, 2020, the United States Senate passed a legislation in accordance with WADA Code. It would allow prosecution in the US of doping offences at international sporting events in which American athletes, sponsors, or broadcasters participate.

Madam, the Department for Digital, Culture Media and Sport of the United Kingdom also implemented its UK national anti-doping policy framed on the pillar of WADA Code.

In the National Anti-Doping Agency *versus* Jyotsana Pansare, *via* a cosmetic product containing germanium oil, the prohibited substance entered the athlete's body. Similarly, in Manjeet Singh *versus* NADA, by medication administered by a doctor specializing in sports medicine, the banned substance reached the body of the athlete. The case went to the Lausanne Court of Arbitration for Athletics where the players were found at fault and were debarred from playing for four years. In that scenario, one of the athletes was a tribal girl who belonged to a backward region of our country and it cannot be fairly expected from her to conduct research before consuming it on each and every ingredient.

This reminds me of the 16th Lok Sabha when I raised an issue in this House about Dutee Chand who subsequently also participated, as one of the best sprinters of our country, in different Olympics and other games. There, our society was actually moving against her. I had raised this issue in the House. Then, the Sports Minister Mr. Sonowal took it up; the Ministry took it up and also went to the Lausanne Court. We fought that case. India fought that case, I would say, and we won that case. So, in that respect I would say that now with this provision that will be prevalent here today, it will help our athletes to a very great extent. Prof. Sougata Ray mentioned about the Standing Committee Reports. I would say that certain things are still lacking. The Standing Committee recommended that a mechanism may be laid for selection and appointment of Chairperson and Members of the Board.

This should have ensured proper vetting of the person or persons appointed by the Central Government. Currently the Bill does not provide for a selection process for appointments in the Board. The Committee also noted that the Bill does not make any distinction between minor and major athletes. The World Anti-Doping Code states that the protected class of athletes – which includes athletes below 16 years of age amongst others – may be given reduced sanctions. The Committee recommended that the distinction between a minor and a major athlete should be made in the Rules to ensure the protective mechanism for minor athletes. I hope, when the Minister stands up to reply to the debate of today, he can mention or may mention about the distinction between minor and major athletes.

The Committee also recommended that since an athlete's sporting career is limited, there is a need to ensure that the quantum of penalties is proportional to the degree of the violation. The Committee noted that even after the penalty period is over and athletes have resumed their sporting career, they are not considered for national awards. It recommended that since this is a policy decision, the Government has to take a note of this and can examine this issue.

Regarding the Laboratories – of course, Rahul *ji* has mentioned it – the Committee had recommended why not have such Laboratories in each State; why confine it only to Mumbai or to Chennai or to Kolkata. It is because a large number of younger people are moving towards sports activities.

When we analyse the Bill, I would like to draw your attention here to two related issues. The first is the qualification of the Director General, and that is not specified. It is said that it will be notified in the Rules. Second, the Central Government may remove the Director General from the office on grounds of misbehaviour or incapacity or – and this is more alarming – "such other ground". This gives a large scope to the Administration or to the Ministry or to the Government because "such other ground" has a vast scope. One can understand misdemeanour and misbehaviour. That also needs to be probed and the person also can explain. But "such other ground" is something which needs to be deleted from the Bill.

Leaving these provisions to the discretion of the Central Government may affect the independence of the Director General. This also goes against the mandate of the World Anti-Doping Agency which says that such bodies must be independent in their operation. My second point is, under the Bill the Board has powers to remove the members of the Disciplinary Panel and Appeal Panel on grounds which will be specified by regulations and they are not specified in the Bill. There is no requirement of giving them an opportunity of being heard. This will affect the independent functioning of the Panels. Madam, I would like to mention about specific clauses of the Bill: Clause 14(3), Clause 15(1), and Clause 15(8). In order to ensure an effective and credible anti-doping system, such organisations must be independent in their ability to make operational decisions. I would like to mention about the qualification. The respective Acts of the regulators, such as SEBI, TRAI, and National Medical Commission, clearly define

minimum qualification and grounds of removal of members. Giving power to the Government to decide about the qualification through rules, and giving discretion to decide grounds of removal will affect the Director General's independent functioning and will go against the mandate of WADA. I would like to talk about Clause 11 and Clause 12. Grounds for removal of a member of the Disciplinary and Hearing panels are left to be specified in the regulation. These grounds of removal have not been specified in the Bill. Similarly, the Bill does not specify any requirement to give members of the Disciplinary Panel and Appeal Panel an opportunity of being heard before removing them. Now, I come to Clause 11(2), and Clause 12(2). I would say that WADA guidelines require that the members of the Hearing Panel… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: कृपया जल्दी समाप्त कीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री; **कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी)**: मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इन्हें थोड़ा और बोलने दिया जाए।

माननीय सभापति : ठीक है, बोलिए।

श्री भर्तृहरि महताब: धन्यवाद सभापति महोदया।

सौगत बाबू को मालूम है कि बीड़िया पान और कड़ा पान के बीच क्या अंतर है। **… (**व्यवधान)

The Bill specifies the grounds of removal, such as conviction of an offence, and abuse of position, for the members of the National Board for Anti-Doping, and they are also given an opportunity of being heard in such matters.

The Bill has not specified any requirement to give members of the Disciplinary and Appeal Panels an opportunity of being heard before removing them. WADA requires that the members of the Hearing Panel should provide collective expertise in relevant fields such as legal - if the Chairperson does not have a legal background - science, medicine, or sport, and must have anti-doping experience of ten years. However, under the Bill none of the members of the Hearing Panel are required to have anti-doping experience. This should be specified. In Clause 11(2), and Clause 11(5), the National Board for Anti-Doping in Sports will constitute a Disciplinary Panel for determining consequences of violation of anti-doping rules.

This panel will consist of one Chairperson, four Vice-Chairpersons, and ten members, about which Sougata Babu said that it would be top-heavy. My issue is something different. In the absence of the Chairperson, the Vice-Chairpersons will form the hearing panel. It is not clear who among the four Vice-Chairpersons will be responsible for forming the hearing panel in the absence of the Chairperson and who will make that selection. Madam Chairperson, I will conclude here. In a recent case, the Indian athletes, who were gold medallists in the Commonwealth Games, tested positive for the presence of anabolic steroids in their urine samples taken both during and after competition. The matter devolved into a dispute between the athletes and the NADA. The National Dope Testing Laboratory in New Delhi was given a special permission to test all substances taken by the athletes. The NDTL confirmed that the athletes' ginseng supplements contained prohibited substances. It was undisputed that their coach

gave them these tablets. It was the responsibility of the Sports Authority of India to provide for all the supplements. However, after repeated requests, the coach purchased bottles of these supplements. In the end, the athletes were banned for two years. I would say that when an athlete decides to use illegal substance, he or she is not necessarily acting alone. Coaches are under pressure to produce high results. Unlawful practices are common in every sport creating a culture that younger athletes consider difficult to resist. Will the provisions that we have here today or the law which you are going to make create an awareness amongst the athletes against such substances and also discourage the coaches to indulge in such activities? The athletes are the ones who are punished. The coaches are not punished. Therefore, some provisions in the rules, if necessary, can be made. I can understand that as this Bill is now being discussed in the House, there is not much scope left to amend this Bill but I would say that some provisions should be made where the coaches should also be held responsible.

With these words, I support this Bill.

माननीय सभापति: बहुत अच्छा।

एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि टीएमसी की सांसद श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा तथ्यहीन आरोप केंद्र सरकार पर जीरो ऑवर में लगाए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है। बिना सबूत के आरोप लगाना कोई जरूरी नहीं था, यह एक तरह से गुमराह करने की बात आ गई है। कृपया इन्हें वक्तव्य से निकाल दीजिएगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री श्याम सिंह यादव जी।

… (व्यवधान)

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर): मैडम, यह ठीक नहीं है।… (व्यवधान) लॉटरी में मेरा नाम आया था।… (व्यवधान) तब तो इस बारे में नहीं बताया गया।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : जो आरोप है, उसे निकालने के लिए कहा गया है, जो बिना सबूत के हैं।

… (व्यवधान)

श्रीमती प्रतिमा मण्डल: जब मेरा सब्जेक्ट वहाँ पर आया था तब आपने नहीं देखा कि मेरा क्या सब्जेक्ट था? … (व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं-नहीं **।**

… (व्यवधान)

श्रीमती प्रतिमा मण्डल: उसमें तो मेरा पूरा सब्जेक्ट लिखा था।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं-नहीं, वह बात बोलनी नहीं चाहिए थी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सबूत आए, उसके बाद आरोप लगाएं। ठीक है। बिना सबूत के आरोप न लगाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। बिना सबूत के आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री श्याम सिंह यादव जी।

… (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): मैडम, हाउस ऑर्डर में हो तो हम अपनी बात बोलें।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठिए। आप उन्हें बोलने दीजिए। हमने बोल दिया है कि वह कार्यवाही से निकल जाएगा।

... (व्यवधान)

श्रीमती प्रतिमा मण्डल: मैडम, यह अच्छा नहीं किया **।**... (व्यवधान) यह अच्छा नहीं हुआ ।... (व्यवधान) ... *... (व्यवधान)

माननीय सभापति : किसी की कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। केवल श्याम सिंह यादव जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

... (*Interruptions*)... **

माननीय सभापति : आप पहले सबूत लाइए। बिना सबूत के बात नहीं रखी जाएगी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्याम जी**,** आप बोलिये। हल्ला होता ही रहता है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव: मैडम**,** मुझे मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद **।**... (व्यवधान)

माननीय सभापति : बड़ा संघर्ष करके मौका दिया है।

---

* Expunged as ordered by the Chair

** Not recorded.

… (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव : मैडम, जो खेलकूद है, कभी एक जमाना था कि इस खेल में मैं भी कूद गया था, इसलिए इसके बारे में मैं थोड़ा जानता हूं। यह बहुत अच्छा हुआ कि एंटी डोपिंग बिल को आपने स्टैंडिंग कमेटी में भेजा, स्क्रूटीनाइज हुआ और आगे बात बढ़ी I United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation Anti-Doping Convention है, उसके तहत इंडिया 7 नवंबर 2007 के पहले से सिगनेटरी है। अब एंटी डोपिंग बिल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैं एथलीट खुद रहा हूं, मैनेजर रहा हूं, कोच रहा हूं। जैसे महताब साहब और बहुत से लोग कह रहे थे, उसे मैं सुनते-सुनते बोर हो गया। मैं एक दो चीजें ह्यूमर्स-वे में बताना चाहता हूं। जैसे अभी मैंने चन्द्रेश्वर प्रसाद जी को देखा कि वे काफी हट्टे-कट्टे हैं और दुबले-पतले रितेश भाई को देखिये I यह ऐसे ही है कि किसी को वेट उठाने के लिए कहा जाए… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप विषय पर बोलिए।

श्री श्याम सिंह यादव: मैडम, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जो लोग नहीं जानते हैं, वे एंटी डोपिंग को कैसे समझेंगे? अब उनको कहा जाए कि 100 केजी उठा लीजिए, तो वह उठा लेंगे और रितेश पांडे नहीं उठा सकते हैं। अगर वह एक दवा खा लेंगे तो उनका परफॉर्मेंस इनहैंस हो जाएगा। वह 110 केजी उठा लेंगे तो यह है एंटी डोपिंग बिल। मैं समझता हूं कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एंटी डोपिंग बिल क्या है?… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: यह मैम्बर के ऊपर पर्सनल अटैक है।… (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव: नहीं, नहीं I… (व्यवधान) He will agree with my information.

<u>16.27 hrs</u> (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने जो नाडा के अफसर को हैड बनाया है, चाहे डायरेक्टर जनरल हो, चाहे इंस्पेक्टर जनरल हो, चाहे सिपाही जनरल हो, आप कोई भी नाम दे

दीजिए, जब तक आप उसको इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस नहीं बनाएंगे, तब तक यह काम ठीक से नहीं होगा । आप किसी ऐसे अफसर को डायरेक्टर जनरल बनाइये और उसमें कंडीशन भी लगाइये कि डायरेक्टर जनरल के बाद इसे किसी और पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है । जो आईएएस और आईपीएस अफसर हैं, हम जानते हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है । They always work under the Government's pull and pressure. वे चीजों को मैनिपुलेट करते हैं । संक्षेप में मुझे कहना है कि इसका जो हैड हो, वह इंडिपेंडेंट हो ।… (व्यवधान)

श्री विष्णु दयाल राम : यह कह रहे हैं कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर चीजों को मैनिपुलेट करते हैं ।… (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव: आप अपने समय पर बोल लीजिएगा । आप अभी हिन्दुस्तान की हकीकत को नहीं जानते हैं । क्या मैनिपुलेट करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं रहा हूं, आप मुझे नहीं समझाइये । मैं जानता हूं । आप अपने समय पर बोलियेगा । मैं जानता हूं कि कैसे काम होता है? अभी सदन में कह दूंगा तो आपको शर्म आएगी । मैं जानता हूं कि यहां कैसे काम होता है? आप अपने समय पर बोलियेगा ।

माननीय सभापति : श्याम सिंह जी, आप बिल के ऊपर बोलिये ।

श्री श्याम सिंह यादव : मैं बिल पर आ रहा हूं । लैबोरेटरीज़, साइंटिस्ट्स, इक्वीपमेंट्स, डॉक्टर्स, ये सब वैल-इक्विप्ड होने चाहिए and as per standards of NADA. जैसे कई बार नाडा सस्पेंड हुआ है, इसी तरह से बार-बार सस्पेंड होता रहेगा । मैं जानता हूं कि विदेश में जब हम नाडा की बात करते हैं, हालांकि हमारे देश का नाडा है, हमें इसका झंडा उठाना चाहिए, लेकिन झंडा कैसे उठायेंगे? जब इसकी क्रेडिटबिलिटी ही सब लोग मिलकर खराब कर देते हैं तो इसका झंडा कैसे उठायेंगे?

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि *नाडा* के अफसरों को ऐसा बनाइए कि जो इंडिपेंडेंट हों और स्वछंद ढंग से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी दबाव के काम कर

सकें। ... (व्यवधान) आप ऐसी बात कह रहे हैं कि फिर मुझसे कहलवाएंगे कि सीबीआई कैसे काम करती है, सभी लोग जानते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव: मुझे इस बात की खुशी है कि जो एंटी-डोपिंग में पकड़े जाते हैं, ज्यादातर लोग तो जानबूझ कर ही लेते हैं। यह बहुत बड़ा साइंस है। इतना बड़ा साइंस यह अलग से डेवल्प हो रहा है। कोचेज़ तो ऐसा बताते हैं **कि** क्या लेंगे और उसको मास्क करने के लिए, छुपाने के लिए, मफ करने के लिए क्या दवा लेंगे, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और आप पकड़े भी नहीं जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत हाइली क्वालिफाइड साइंटिस्ट्स की जरूरत है और इसी के साथ यह कहूंगा कि ऐसे एथलीट्स, जो इनएडवर्टेंटली बिना जानकारी के किसी वजह से ले लिए, उनका प्रोटेक्शन *नाडा* को और गवर्मेंट को भी करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने ओलंपिक्स में देखा, एक पहलवान नरसिंह यादव था, आपने देखा कि कैसे उसकी बोतल में लोगों ने मिला कर दिया, सीसीटीवी कैमरे में भी आया है, एफआईआर भी हुई, लेकिन अगर अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना लेट उसका जजमेंट देगा तो उसको तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर इसको जल्दी कर दिया जाए, तो इसको *वाडा* को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस एथलीट ने बिना जानकारी के गलती से ले लिया था।

मैं केवल एक छोटी सी बात कह कर अपनी बात खत्म करूंगा। **...** (व्यवधान) अभी दादा कह रहे थे, एक तो यह होता है न किसी काम को करना, मुझे तो बहुत खुशी है कि प्रधान मंत्री जी जो एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स गेम्स या कहीं भी खेल होते हैं तो जाने के पहले उनको इंस्प्रेशन देते हैं और आने के बाद भी उनका स्वागत करते हैं। देखिए यह काम पहले भी होता था। आई वाज़ पार्ट आफ दी टीम। माननीय मनमोहन सिंह जी भी थे। वे भी खिलाड़ियों के जाने के पहले उनके साथ फोटो खिंचवाते थे। हम लोगों के पास फोटो हैं। वे भी बुलाते थे। चाय पिलाते थे। सब

कुछ करते थे। लेकिन इतना कोई चिल्लाता नहीं था। … (व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना कोई चिल्लाता नहीं था। जो इस समय किया जा रहा है। आप देखिए, यह रिकॉर्ड है, मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। वर्ष 2010 के एशियन गेम्स में 34 मेडल आए, ऑल डिसिप्लेन में, शूटिंग में चार मेडल जीते गए। वर्ष 2014 में 36 मेडल आए और शूटिंग में 7 मेडल्स आए। माइंड इट। वर्ष 2018 में 31 मेडल आए। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? यह आप *साई* से पता कर लीजिए। देखिए, एक बात है काम करना। छुप-छुप कर काम करना। पहले लोग काम ज्यादा करते थे, बोलते कम थे। अभी क्या है कि काम कम करते हैं और बोलते ज्यादा हैं। … (व्यवधान) अब आप अगर इसको डिस्प्यूट कर दें तो मैं मान जाऊं। … (व्यवधान) यह आंकड़ा *साई* ने भेजा है। … (व्यवधान) यह सरकारी कागज़ है। यह *साई* ने आंकड़ा भेजा है। एक बात होती है न कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और खेल में बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत नौकरी दे दी, बहुत यह काम कर दिया। इससे कुछ नहीं होता है। आप स्पेसिफिक चीज़ बताते नहीं हैं। हर चीज़ को बड़ी वाहवाही कर के बोलते हैं। यह है एशियन गेम्स का, अब मैं ओपलंपिक्स गेम्स पर भी आता हूँ। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्याम सिंह जी।

… (व्यवधान) *

माननीय सभापति : आप आधा टाइम ले चुके हैं।

… (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव: सर, देखिए वर्ष 2012 में, वर्ष 2008 से ही शुरू करते हैं, बीजिंग ओलंपिक्स से, जहां मैं इंडियन शूटिंग टीम का कोच भी था और पहली बार अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। यह वर्ष 2008 की बात हुई।

---

* Not recorded

अब आइए वर्ष 2012 में। ऑल डिसीप्लीन्स में 4 मेडल्स, शूटिंग में 1 मेडल। वर्ष 2016 में, ऑल डिसीप्लीन्स में 1 मेडल, शूटिंग में 0 मेडल।… (व्यवधान) यह आंकड़ा है।… (व्यवधान)

राज्यवर्धन राठौर जी क्या कहेंगे?… (व्यवधान) वे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वे इस समय बोल नहीं पाएंगे।… (व्यवधान) वे पार्टी से बंधे हुए हैं, वे बोल नहीं पाएंगे।… (व्यवधान) हम लोग साथ ही रहे हैं। उनकी तरफ इशारा मत कीजिए। वे बेचारे बोल नहीं पाएंगे।… (व्यवधान) वे इस समय मजबूर हैं।… (व्यवधान)

महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बस आँकड़ा दे रहा हूं।… (व्यवधान) वर्ष 2020 में ऑल मेडल्स में ब्रौंज मेडल्स 4 मिले, शूटिंग में ज़ीरो।… (व्यवधान) मैं शूटिंग से आता हूं, इसलिए शूटिंग के बारे में जानता हूं।… (व्यवधान) दुबे जी, मुझे बोलने दीजिए।… (व्यवधान) एक ज़माना था कि इंटरनेशनल कम्पीटिशन्स में शूटिंग में इतने मेडल्स आते थे, जितने मेडल्स दूसरे सारे गेम्स को मिलाकर भी नहीं आते थे। अब वह कहां बैठ गया? अगर नियम-193 के तहत चर्चा में मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि उसका क्या कारण है। अगर कोई स्पोर्ट्स कोड का पालन नहीं करता है, चोर चोरी रोकने के लिए है, अगर चोर कहेगा कि बेटा, जाओ, चुरा लाओ तो क्या होगा? … (व्यवधान) मैं बहुत साफ-साफ बात कह रहा हूं। स्पोर्ट्स कोड की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खेल मंत्रालय को खेल मंत्रालय से संबंधित इतने लेटर्स लिखने के बाद वे किसी लेटर का जवाब नहीं देते हैं और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।… (व्यवधान) मैं पहले भी बोल चुका हूं कि … * … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप पाँच मिनट से खत्म कर रहे हैं। आप एक मिनट में खत्म कीजिए।

श्री श्याम सिंह यादव: सर, … *… (व्यवधान) खेल मंत्रालय के ये लोग चला रहे हैं तो क्या हाल होगा? … (व्यवधान) इस कोच से उम्मीद न कीजिए।… (व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair

इन परिस्थितियों में खेल से उम्मीद करना बहुत बेमानी है ।... (व्यवधान) मैं अपनी बात कह चुका और मैं चाहता हूं कि स्पोट्र्स मिनिस्ट्री जो गलतियां कर रही हैं, उसे सुधारे। वह किसी के कहने में न आए कि तुम्हें जो करना है, करो, हम तो अपनी राह पर चलेंगे। नो। खेल के इंटेरेस्ट में बहुत जरूरी है।

महोदय, मैं बिल को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन बिल में जो खामियां हैं, उन्हें दूर किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : निशिकांत जी, आप कुछ बोल रहे थे।

डॉ. निशिकांत दुबे: चेयरमैन सर, यह रूल हम सब सांसदों ने बनाया है।

माननीय सभापति : आप अपना वक्तव्य रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं।

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, इस रूल में कॉन्फिलक्ट ऑफ इंटेरेस्ट के बारे में साफ है कि यदि हम किसी कम्पनी में काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, इन्होंने निशानेबाजी की बात की, निशानेबाजी संस्था में ये खुद चुनाव लड़ते हैं और अपना स्कोर सेटल करने के लिए इस पार्लियामेंट का उपयोग करते हैं।

सर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यह रूल जो कहता है, उसके आधार पर उनका जो भी भाषण है, उसे एक्सपन्ज कर दिया जाए।... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री अर्जुन राम मेघवाल**): श्याम सिंह जी, फैक्चुअली तो ठीक होना चाहिए, विषय यही है ।**...** (व्यवधान) आप फैक्चुअली करेक्ट नहीं बोल रहे थे। यह फैक्चुअली ठीक होना चाहिए ।... (व्यवधान) यह फैक्चुअली ठीक नहीं था ।... (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सभापति जी, जो विषय अभी निशिकांत जी ने उठाया है, रूल्स की बात कही है। आज हम खेल और खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं।… (व्यवधान) खेल और खिलाड़ियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिल आज यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन, कोई माननीय सांसद अपने किसी चुनाव में हारा हो, उसकी भड़ास यहाँ पर निकालने का प्रयास कर रहा हो और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट उसका आता हो तो रूल्स के अनुसार जो बनता है, वह कार्रवाई करनी चाहिए।… (व्यवधान)

तीन-तीन चुनाव ऐसे हुए और मैं सदन की जानकारी के लिए जरूर बताना चाहता हूँ। 19 दिसम्बर, 2010 को जब वह चुनाव लड़े, तब पाँच वोट और दूसरी तरफ 21 वोट थे। वर्ष 2017 में एक वोट और आगे 90 वोट थे। यहाँ पर तीन वोट मिले और दूसरी तरफ 56 वोट मिले।… (व्यवधान) अब चुनाव कहीं और हारेंगे और भड़ास आकर सदन में उतारेंगे, यह सदन देश के कानून के लिए है, आपकी बातों पर पर्दा डालने के लिए नहीं है।… (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव: मैं चुनाव हारा नहीं**,** इन्होंने रोकने के लिए लेटर लिखा**।**… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Let us move around. Whatever has been said, the Chair will consider it and take a decision.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri P. Ravindhranath.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let us hear P. Ravindhranath now.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : कंटेन्ट को देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि Chair will consider it. Chair will consider the verbatim reporting and take a decision on that.

Shri P. Ravindhranath.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: श्याम सिंह जी, जब आप चुनाव नहीं लड़े तो आपको वोट कैसे मिलें?… (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव : आप इनसे पूछिए । … (व्यवधान)

माननीय सभापति: केवल रविन्द्रनाथ जी का वक्तव्य रिकॉर्ड पर जाएगा।

… (व्यवधान)

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Thank you, hon. Chairperson, Sir. … (*Interruptions*) Sir, I rise to speak in support of the National Anti-Doping Bill, 2021 which has been tabled by the NDA Government led by our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi.

This Bill will strengthen anti-doping activities in sports in compliance with the provisions of the UNESCO International Convention. Under Clause 16 of this Bill, the National Anti-Doping Agency has been empowered to work on planning, implementing and monitoring anti-doping activities and investigating violations of anti-doping rules.

The hon. Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur who himself is a sportsman and also having managed one of the distinguished sports bodies in the world, has rightly realised that athletes against whom disciplinary action has been taken by the Disciplinary Panel should have a right before the Appeal Panel under clause 23 of this Bill. I appreciate the hon. Minister for upholding the fundamental rights of athletes.

Our Government has given due attention to maintain the health of the Indian athletes through this Bill. There are situations where medications are required for use by athletes for therapeutic purpose. Clause 5 of this Bill has allowed the uses of those substances, thereby upholding the fundamental rights to life of athletes under Article 21 of the Constitution of India.

Hon. Chairperson, Sir, I have a few submissions which I wish to place before the Government in the interest of our athletes and for the protection of the fundamental right to equality among them.

That Parliamentary Standing Committee that examined the Bill, has recommended for protection of the privacy of athletes during entry, search and seizure. I also subscribe to this suggestion to ensure that Fundamental Rights to privacy of athletes are not compromised as there are so many cases when innocent athletes are subjected to media trial.

Sir, I would also request the Government to make it mandatory for every sports camp to have, at least, one certified sports medicine doctor to advise our athletes. The doctor would also counsel the athletes so that they do not use unethical means to improve their performance.

I would urge the Government to provide statutory protection to whistle-blowers so that it will increase responsibility and accountability.

Sir, I would also request the Government to provide free legal aid to athletes appearing before the Disciplinary Panel as well as before the Appeal

Panel. At the same time, I would request the Government to ensure that the proceedings are conducted virtually.

Sir, the Government under clause 26 of the Bill, provides that the National Dope Testing Laboratory that was functioning earlier, shall be the Principal Dope Testing Laboratory established under this Bill.

So, I wish to learn from the hon. Minister whether the Government has any plan to establish laboratories in each State and district so as to provide better coverage and reduce the time delay. I would request the hon. Minister that one laboratory may be permitted in Chennai in my State of Tamil Nadu.

Sir, I wish to conclude by once again appreciating the efforts of our NDA Government led by our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi-ji in developing India as a multi-sports nation. Sports can certainly develop the youth in our country and inculcate in them the values of self-discipline sportsmanship, leadership as well as promote a healthy lifestyle.

With these words, I support this Bill. Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Now. Shri B.B. Patil.

… (*Interruptions*)

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am on a point of order … (*Interruptions*)

सर, अभी आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री निशिकांत दुबे जी ने रूल 255 कोट किया था। वह कमेटीज़ पर लागू होता है, जो रूल इन्होंने यहां पर कोट किया। … (व्यवधान) जो आपने बोला है, वह कमेटीज़ के ऊपर लागू होता है। ये कान्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट की अगर बात करें तो उसको दिखायें। बाकी जो श्याम सिंह जी ने कहा है, अगर वह एक अन्यथा किसी विभाग के अंडर में होते हैं… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: There is no conflict of interest. … (*Interruptions*)

श्री रितेश पाण्डेय: उसको अगर सदन में रखते हैं, तो इसमें क्या गलती है?…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your point of order is not accepted. It is not relating to conflict of interest.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The issue relating to the point that has been raised by Shri Nishikant Dubey, and the issue that was also mentioned by the concerned Minister and subsequently by the MoS, Parliamentary Affairs, is something which will be under consideration of the Chair -- what Shri Shyam Singh Yadav has spoken. He has not spoken only about shooting; he has spoken on many other issues. But about the portion that is, may be, of conflict of interest, should be deleted or not, will be considered by the Chair.

श्री रितेश पाण्डेय : उसको हाउस के अंदर … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I understand. There is no point of order relating to this.

… (*Interruptions*)

SHRI RITESH PANDEY : Sir, what Shri Nishikant-ji has said relates to Committees and not Parliament. … (*Interruptions*)

DR. NISHIKANT DUBEY : But the Committee also means Parliament. यह मेरी डेफीनिशन नहीं है। कमेटी के चेयरमैन को स्पीकर अपनी पॉवर देते हैं। आप चेयर पर छोड़ दीजिए। … (व्यवधान)

SHRI RITESH PANDEY: It may be your definition. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Patil, you may start your speech.

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on a very important Bill.

The National Anti-Doping Organisations work for the public good and may be subject to the rigorous national regulations. If they face external pressures from their Governments and National Sports Bodies, which could jeopardise their choices on testing appropriate athletes, assessing doping rule violations and imposing punishments against those found in violation, then such organisations must be made independent in their ability to make operational choices in order to ensure an effective and credible anti-doping system.

The provisions of the Bill may not entirely ensure NADA’s independence from the Central Government.

The Central Government will prescribe the Director General's qualifications and experience under the Bill. Furthermore, the Central Government has the authority to remove the Director General from Office for misbehaviour, incapacity,

or for any other reason. The National Board for Anti-Doping in sports will form a Disciplinary Panel under the Bill to determine the repercussions of anti-doping rule infractions. The Board will also form an Appeal Panel to hear appeals against Disciplinary Panel decisions. The Board has the authority to remove members of the Disciplinary Panel and Appeal Panel for reasons outlined in the regulations adopted by it. These grounds for removal are not mentioned in the Bill and they are allowing the Board to decide the grounds for removal by regulations. This may have an impact on the institutions' ability to function independently. According to WADA (World Anti-Doping Agency) criteria, the members of the hearing panel must have anti-doping experience and collective competence in relevant sectors such as law, science, medicine, or sports. But the Bill does not say that anyone on the hearing panels has to have experience with anti-doping. This Bill was needed by India as it was very important to control increasing doping activities in sports and also give statutory backing to NADA to ensure fair play in sports. This Bill has a few positive aspects, such as the authority to conduct raids, increased repercussions for violations, the establishment of dope testing laboratories across States, and many more.

This Bill covers all major issues related to doping activities. But this Bill has some problems, such as the independence of the Director General and the reasons for getting rid of the disciplinary and hearing panels. If these problems are fixed, the Bill will be more effective and clearer. I request the Government to establish one such centre in Hyderabad also.

With these few words, I conclude. Thank you.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. I stand here to support the National Anti-Doping Bill, 2021.

I think, sports is something that should be above all politics. I think, that is what we are all thriving on and that is the only reason I support this Bill wholeheartedly. As the education is on merit, sports should also be on merit. This entire organisation of sports must be autonomous. I hope that this Government will make sure that this entire Committee – they have come up with a lot of recommendations as the selection mechanism of the National Board – would be completely autonomous and, I hope, the hon. Minister in his reply would tell us what would be the selection process and who would be the right person for the job.

I appreciate the work that this Government has done in Khelo India. Actually, this entire Bill is a legacy Bill. When Mahtab ji spoke earlier today, he clearly mentioned that this is a process started in 1999 and further continued to 2005. The act of doping is something which has, unfortunately, occurred in sports which is, something, completely new because of the new availability of drugs now. What happens, actually, is that the life of any sportsman is very, very short. It is highly competitive and it is very, very short. So, everybody wants to peak at a point where he can really benefit his own career and his coach as there is also a lot of social and family pressure. There was a time in India when sports was not a career option. When we were growing up, it was not a career option.

People wanted to prefer study. If somebody did well in sports, families would say, पढ़ाई करो, ये खेलना कूदना बाद में हो जाएगा। But, fortunately, this concept has changed today. Now, there are a lot of people who chose to make their careers in sports. Sometimes, people are not informed about the drug that they could be taking. Mahtab ji, in his own speech, mentioned about the cream that had a drug about which the player was not even aware. So, there are combinations. I think, what is most important in this Anti-Doping Bill is the awareness programme. So, if you could combine Khelo India with information, it would be much beneficial. Khelo India is not about enhancing your performance. In Khelo India, you could make sure that people are even taught about doping, its consequences, about the do's and don'ts and counselling about winning and losing.

It is because sports is not only about winning, it is a team game which is about discipline, good performance and trying to give your best. It is not always important to come first.

The lead speaker, Manoj Tiwari*ji* talked about a lot of issues relating to Delhi. I appreciate where he is coming from. But this 'doping' is not what doping means in common language. This 'doping' is medical doping. That is what I understand, and that is what this Bill is for.

Why do people join sports? They are not smoking and drinking. Sports is a very noble, competitive and a disciplined job. It is like being in the Army. The hon. Minister himself has been a sportsman. So, I am sure he understands what kind of a hard work goes into becoming a high performing sportsman or a

sportswoman. But I would request him to take this very seriously. This is not a slanging match. This is a very important and a serious debate. This is a very important Bill for India. It helps every child. 'Khelo India' has become a very inspirational programme. I am glad to say this and would like to put this on record. Shri Kiren Rijiju was the former Sports Minister and Shri Anurag Thakur now takes the same work ahead. I would compliment both of them because they both really encourage the youth by putting some very nice things on Instagram which actually encourage youngsters to be good sportsmen. I am a mother. I am more than happy when I see that my child is a sportsman and he plays competitive sports. It is because he learns to be in discipline and also learns what team work is. Moreover, it helps to keep the child away from all addictions because he has to sleep on time, he has to eat on time, and all his performance is dependent on that.

We work against tobacco; we work against drugs. So, why can we not make a national programme against doping which is integrated in Khelo India? It is not about what you did or they did in the Government. Sports is above politics. I appreciate somebody praising Manmohan Singh*ji* from this side and Modi*ji* from that side. But I think, these wins and losses are not of the Governments. They are of these hard-working sports people who put a lot of their lives ahead and also of their families who endlessly support them. So, I think, the sense of this House should be not NDA vs. UPA in a sports debate.

It should be about the sportsperson's spirit which unites this country, be it a cricket match, football match, basketball match or a kabaddi match. So, I think, this debate has to be a very serious one.

I would like to make some suggestions to the hon. Minister. I would not repeat the points of minor and major. I would like to recommend one thing about the Therapeutic Use Exemption. This is in the WADA Court. The list of prohibited medicines must be there. Also, the Standard Operating Procedures should be there. What are the Standard Operating Procedures that you would like to have? Mahtab*ji* has already spoken about the penalties. So, I would not go back to it. But do we really have the doping testing labs? It is a great thing. Everybody is asking for one. We must have them. Can we integrate them again in our camps of Khelo India? Can we conduct the awareness programmes about doping and conduct random testing there? Do we have enough technicians for this also? So, I think, that is something we need to focus on. I am talking about all the States. I am not sure that even the State I come from has enough technicians for normal testing. This is a very technical job. So, what are you doing regarding this? For this kind of technical job, we need very high performing people. I think, the dream of any country is to have dope-free sportspersons.

Sir, you talked about Dutee Chand. Now, look at her as a case. Her case was nothing but a high testosterone level which she had not control over. She was not taking an extra drug. She has done nothing. We fought it, your good offices helped her, and the then Minister helped her.

HON. CHAIRPERSON: It is a biological thing.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Exactly, it is a biological thing. What happens in such cases? So, I think, if we integrate all our programmes of Khelo India with such kinds of programmes, that really would create an impact.

Sir, nutrition is something I would like to talk about. Nowadays, there are so many powders which are even available off the shelf. Children are ordering them online. They think that it is a protein supplement, and it enhances energy level. So, I think, this is something the Government needs to work on. The Sports Ministry must take help from the Health Department and the Department of Chemicals and Fertilizers. These things need to be flagged because they are available very easily on Amazon. So, how are you going to control this?

There is a new trend of a lot of gyms. There are a lot of sports people who go to gyms, and that is when they get introduced to all these kinds of tablets which they do not know are even banned. So, I would like to bring this to the notice of the hon. Minister. Your intent may be very good. I appreciate your intent of bringing dope-free sport in India. But it would be good if you make some interventions and take people into confidence. This is a very complicated plan. All these new things or the online medications available on Amazon are an example of it. There is a big dark net on which all these things are available.

So, how are you going to control all these drips? So, when you reply, kindly give us a comprehensive solution. We are happy to work with you by giving technical support through all the agencies possible to make sure we have a dope-

free India and we have great sportsmen who are not belonging to UPA or NDA but belonging to a proud India which I am very proud of.

Thank you.

17.00 hrs

कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं कुछ समय पहले से सदन में था । मैं यहां पर जो चर्चा हो रही थी उसे सुन रहा था । अभी सदन में माननीय सदस्या सुप्रिया जी ने बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव बातें की कि खेलों के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी को मिलकर काम करना चाहिए । स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वही है । लेकिन, सदन के अंदर यदि सत्य नहीं बोला जाए, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो स्ट्रगल करते हैं, सुप्रिया जी आज मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि राजनीति से ज्यादा राजनीति खेलों में होती है । लेकिन, हम इस विषय से दूर रहेंगे । आज का विषय यह नहीं है । सुप्रिया जी ने जो बात रखी है, वह एक पॉजिटिव बात है कि हम सभी को मिलकर खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए ।

थोड़ी देर पहले सदन में एक सदस्य ने एक और बात रखी कि जितने भी खिलाड़ी हैं, प्रधान मंत्री जी उनको जाने से पहले, खेलते समय और आने के बाद बधाई देते हैं और उन्हें एन्करेज करते हैं । मुझे लगा कि वे शायद तारीफ करेंगे, जो होनी चाहिए थी । लेकिन, फिर उन्होंने बात रखी कि ऐसा तो पहले भी होता था । मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता था । लेकिन, मैं जल्दी से जाकर वापस विषय पर आता हूं । मैं सदन के उस सदस्य से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2004 में भारतवर्ष का एक नागरिक जो पदक जीतकर आया था, अगर आप उसकी तस्वीर इस सदन को अगले दो सालों में, यानी वर्ष 2024 तक ढूंढ़कर दिखा देंगे तो हम सब उनकी तारीफ करेंगे । लेकिन, ऐसा नहीं हुआ । जब कोई सरकार, जब कोई प्रधान मंत्री अपना समय निकालकर खेलों को बढ़ावा देते हैं तो उसकी सदन में और पूरे देश में खास तौर से तारीफ होनी चाहिए । पूरे देश के अंदर खेलों के प्रति उत्साह बढ़ रहा

है। एक करियर ऑप्शन बन रहा है। पिछले कुछ सालों से कई प्लेटफॉर्म्स तैयार हो गए हैं, जहां हमारे युवा खिलाड़ी उन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपना हुनर दिखा सकते हैं और भारतीय टीम तक पहुंच सकते हैं। 'खेलों इंडिया' उनमें से एक है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'फिट इंडिया' के माध्यम से पूरे देश को प्रेरित किया है। एक 'टारगेट ओलम्पिक पोडियम' भी प्लेटफॉर्म है। अभी श्री अनुराग जी, जो खेल के मंत्री हैं, जब टारगेट ओलम्पिक पोडियम की तैयारी हो रही थी तो उस कमेटी के हैड थे। आज युवाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर मिल रहा है। प्रधान मंत्री जी इसलिए यह अवसर खड़ा करना चाहते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन सब चीजों से भारत के नौजवान प्रेरित होते हैं।

उनको आइकॉन्स चाहिए। उन्हें पॉजिटिव आइकॉन्स चाहिए। जब खेल के अंदर डोपिंग आती है तो पॉजिटिव आइकॉन्स पर एक झटका लगता है। जब चीटिंग होती है तो लोगों को लगता है कि क्या चीटिंग करके आगे बढ़ना एक सही तरीका है? इसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए कायदे-कानून और नियम बने हुए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी बड़े-बड़े खेल हैं, चाहे वे ओलम्पिक्स हों, कॉमनवेल्थ गेम्स हों या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हों, अलग-अलग जो भी स्पोर्ट्स हैं, सभी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के तहत काम करते हैं।

उनके साथ काम करते हैं। वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ तालमेल बनाकर भारत के अंदर डोपिंग के केसेज न हों, उसके साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रही है। पिछले कई सालों से हमारा जो तजुर्बा रहा है, एक समय था जब हमारे स्पेसिमेन लिये जाते थे तो उस समय भारत में टेस्टिंग नहीं होती थी। उन्हें विदेश भेजा जाता है। उन्हें थाईलैंड और मलेशिया भेजा जाता था, फिर वहां से वापस आते थे। कुछ समय बाद भारत के अंदर टेस्टिंग शुरू हुई। लेकिन, लेबोरेट्री का जो स्टैंडर्ड है, कलेक्शन मेथड है, कलेक्शन के लिए जो फील्ड एजेंट्स हैं, उनके पास सही सामग्री और रिसोर्सेज नहीं रहते थे। मन में एक शक रहता था कि हाथ गंदा है,

यदि उस गंदे हाथ से उस यूटेंसिल को उठाएंगे तो वह खराब हो जाएगा। क्या वह सही तरीके से लॉक नहीं हुआ? हमने फॉर्म सही तरीके से भरा या नहीं भरा?

मन में कई तरह की शंकाएं आती थीं, क्योंकि पूरा करियर समाप्त हो सकता था। आपको मैं बताऊं, जब हम खेलते थे, तो एक बहुत बड़ा भय होता था। जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा कि they should be shamed. अब किसी की गलती ही न हो, उसके बावजूद भी कोई डोप-टेंटेड हो जाए, तो कितनी बदनामी होगी। पूरे परिवार की बदनामी होगी और देश की बदनामी होगी। कई बार तो हम पानी ही नहीं पीते थे कि कोई पानी के अंदर कुछ मिला दे। खुद अपनी बोतल लेकर चलते थे। अगर वह बोतल खुली रह जाती थी, तो दोबारा उसको टच नहीं करते थे। फिर एक समय ऐसा आया कि हमने प्लास्टिक की बोतल छोड़ दी और शीशे की बोतल रखने लगे, ताकि किसी दूसरे देश का कोई खिलाड़ी उसको इंजेक्ट न कर दे। इतना कॉम्पिटिशन होता है कि इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।

आप देखिए कि ऐसे कौन से खेल हैं, जिनमें भारतीय खिलाड़ी पूरे देश के सामने अपना प्रदर्शन कर सकें। वे सारे खेल चार साल में एक बार होते हैं - कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स। एक खिलाड़ी चार साल तक इंतजार करता है, फिर एक दिन आता है, उसमें भी एक क्षण आता है, जिसमें उसको प्रदर्शन करना पड़ता है। बीमार हो जाए, कोई दूसरी बात हो जाए। बीमारी में कौन सी दवाई लेनी है, बड़ी चिंता का विषय होता था। जब हम बीमार होते थे, तो कोई दवाई ही नहीं लेते थे, ज्यादा से ज्यादा पैरासिटामोल ले लेते थे। सही सुझाव देने के लिए डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते थे। एक तरीका होता है, जिसको थैरेपीयूटिक यूज एग्जेम्प्शन (टीयूई)। अगर आप बीमार होते हैं, तो आपको डॉक्टर्स थैरेपीयूटिक यूज इग्जेम्प्शन देते हैं कि आप ये दवाई ले सकते हैं। भले ही वह दवाई उसके अंदर बैन्ड हो या वह उसको सही मात्रा में देते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी और इनके पूरे मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इसको एक स्टेच्युटरी बॉडी बनाकर आज नियंत्रण शुरू किया है। खेलों के अंदर जो खिलाड़ी हैं, उनके समर्थन में

यह बिल आया है, मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं। नाडा आज अपील पैनल बना सकती है। मान लीजिए कि किसी खिलाड़ी के ऊपर दोष लगा है, तो वह अपील भी कर सकता है। सैंपल कलेक्शन के पैनल्स बनेंगे, एजुकेशन के पैनल्स बनेंगे। खासतौर से एक अवेयरनेस शुरू की जाएगी। थैरेपीयूटिक यूज एग्जेम्प्शन और आसानी से खिलाड़ियों को मिल सके, उसके ऊपर काम हो पाएगा।

स्टॉफ है, उनकी सैलरीज़ बेहतर हो पाएंगी, अलाउंसेज़ बेहतर हो पाएंगे, उससे इनके पास बेटर टैलेंट आएगा। बेहतर लेबोरेटरीज बनेंगी, फील्ड कलेक्शन एजेन्ट्स बेहतर होंगे, यह सारा का सारा काम खिलाड़ियों के समर्थन में हो रहा है, इसलिए मैं आज खासतौर से मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। विश्व के जो कायदे-कानून हैं, जो एंटी डोपिंग एजेन्सी है, उन्होंने वर्ल्ड के जो कायदे-कानून बनाए हैं, आज हम उनके साथ और बेहतर तरीके से जुड़ते जा रहे हैं। मैं खासतौर से मंत्रालय से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए, जहां अवेयरनेस और बढ़ाई जाए। सिर्फ नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, वहीं तक ही नहीं, बल्कि जो खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेल रहे हैं, वहां तक भी अवेयरनेस जानी चाहिए। अगर संभव हो तो स्कूल के सिलेबस के अंदर भी इसको डालना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ चीटिंग नहीं है, बल्कि उसके साथ ही साथ शरीर को नष्ट करने वाला भी काम है। आप छोटे इंसेंटिव के लिए, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपने आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश के अंदर इतने बड़े-बड़े इंसेंटिव्स हैं। मैं आज सदन के सामने बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, उसमें से भारत टॉप फाइव देशों में आएगा, जहां खिलाड़ियों के इंसेंटिव्स की बात होगी। जब इतने बड़े-बड़े इंसेंटिव्स हैं, तो बहुत से खिलाड़ियों के सामने शॉर्ट टर्म गेन के लिए आकर्षण बन जाता है कि कुछ ले लें। कई बार उनको भ्रमित भी किया जा सकता है। उनका कोच है, उनका मालिश करने वाला है, उनका मेंटल साइकोलॉजिस्ट है, वे कई बार उनको भ्रमित कर देते हैं। अरे वह दूसरे देश का है, वह लेता है, आप भी ले लो, ये लो, वो लो। उस झांसे में आकर जो इल-इन्फॉर्म्ड खिलाड़ी होते हैं, वे ऐसी गलती कर देते हैं। कई बार तो गलती से डोपिंग हो जाती है, कई बार जान-बूझकर डोपिंग होती है। ये दोनों के दोनों प्यूनिटिव मेजर्स में आना चाहिए। मैं मंत्रालय से इस बात का भी आग्रह करूंगा। मुझे लगता है

कि इस बिल में यह प्रोविजन है कि पहले सिर्फ खिलाड़ी के ऊपर पूरा का पूरा दोष आता था, लेकिन अब जो सपोर्टिंग स्टॉफ है, अगर इंक्वॉयरी में उनका नाम भी आता है, तो सपोर्टिंग स्टॉफ के ऊपर भी गाज गिर सकती है। मैं मंत्रालय को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। इन्होंने इतना ऑल इन्कम्पासिंग बिल बनाया है। मैं चाहता हूं कि स्पोर्ट्स की जो फेडरेशन्स हैं, उनको भी इस काम में शामिल किया जाए। अवेयरनेस के अंदर भी उनको शामिल किया जाए।

आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो खेल मंत्रालय चला रहा है। उस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से थैरेपीयूटिक यूज एग्जेम्प्शन खिलाड़ियों के लिए आसान बनाया जाए। जब वे विदेश में खेल रहे हों और वहां पर वे बीमार पड़ जाए और अगर वहां पर भारत का डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो तो वे इंडियन डॉक्टर से सलाह ले सकें। आपके पास हेल्प लाइन भी है तो आप अपनी हेल्प लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे खिलाड़ी इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग जगहों पर कैंप्स भी लगते हैं। कोई भी छिपकर इजेंक्शन नहीं लगा सकता है। कहीं न कहीं साथियों को पता चल ही जाता है तो उस हेल्प लाइन के माध्यम से मंत्रालय को जानकारी भी दी जा सकती है कि इस तरह की डोपिंग यहां पर चल रही है या so and so coach and so and so physiotherapist or masseur इस तरह की चीजें फैला रहा है।

आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, ताकि अवेयरनेस बढ़ सके। इस सोशल मीडिया के अवेयरनेस के माध्यम से स्कूलों तक भी यह जानकारी पहुंचेगी। अभी मंत्रालय का जो मोबाइल एप है, वह सिर्फ एंड्रॉयड पर काम करता है तो उस एप को आईओएस पर लाया जाए। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं, उनके लिए आम तौर पर सब बोलते हैं कि यह हर्बल है, कोई चिंता की बात नहीं है। उसमें जो स्टेरॉयड का लेवल है या अलग-अलग जो बैन्ड्स सब्सटेंसेस हैं, वे हर्बल में भी हो सकते हैं। इसलिए इस तरह की भी अवेयरनेस की जाए। अगर संभव हो तो जो कंपनीज़ हर्बल सप्लीमेंट्स बनाती हैं, उनमें से कुछेक कंपनीज़ ऐसी हैं, जो शायद इस बात को मान जाए कि हम अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टांप लगाकर देते हैं कि वाडा की जो

गाइडलाइन्स हैं, उसके बेसिस पर ये सप्लीमेंट्स हैं। ऐसी विदेश के अन्दर भी कई कंपनीज़ हैं, जो लिखती हैं "This is WADA supported or WADA cleared." इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। अब लीगल असिस्टेंस की बात आती है। एक बार जिसका नाम डोपिंग के अन्दर आ जाता है, उसका अगर केस चलता है तो उसे लीगल असिस्टेंस भी मिलनी चाहिए, उसे मदद भी दी जानी चाहिए। यहां पर इस बात को कुछ सदस्यों ने रखा भी था।

माननीय सभापति जी, आपने ही इस बात को रखा था कि जो एक बार ड्रग केस में आ जाए और अपना बैन पीरियड खत्म कर ले, उसके बाद में उसकी परफॉर्मेंस हो या उससे पहले हो तो उसको राष्ट्रीय अवार्ड के लिए माना जाना चाहिए, क्योंकि वह बैन पीरियड से अलग है। इसके ऊपर भी खेल मंत्रालय विचार कर सकता है।

मैं एक बार फिर खेल मंत्रालय को इसके लिए बधाई देता हूँ। आप एक बहुत ही पॉजिटिव बिल लेकर आए हैं। खिलाड़ियों के समर्थन में बिल लेकर आए हैं। इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी और इस देश के अन्दर जो जिम कल्चर चल रहा है, जिसमें लोग तरह-तरह के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर रहे हैं, उसके ऊपर भी अवेयरनेस के माध्यम से रोक लगेगी। मैं एक बार फिर मंत्रालय को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Rajyavardhanji.

Now I call another sportsperson, Shri Prasun Banerjee.

SHRI PRASUN BANERJEE (HOWRAH): Sir, I thank you for giving me a chance to speak on this Bill.

I am a footballer. I have been captain of the Indian team. I am an Arjuna Award recipient. I have also been the captain of the Indian team at Olympics at one time. आपने मुझे बोलने के लिए खड़ा किया है। यह मुझे अच्छा लग रहा है। यहां पर सभी

स्पोर्ट्समैन एवं अन्य सदस्य बोल रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको नीरज चोपड़ा के बारे में बोलना चाहूंगा, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हमें उनके लिए तालियां बजानी चाहिए। हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए।

दूसरा, आप यह जो बिल लेकर आए हैं, उसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह बिल सन् 1974, 1978, 1982 तथा 2010 में भी आया था। यह बिल इस टाइम पर आया था, सबने चर्चा भी की थी, लेकिन सब बर्बाद हो गया था। यहां पर मेरे सभी साथी बैठे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि स्पोर्ट्स में किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम स्पोर्ट्स में हमेशा स्पोर्ट्समैन ही रहेंगे। उसका साथ देंगे। पहले इसे लेकर बहस हुई थी, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स की बात अलग है।

हम लोगों का स्पोर्ट्स बहुत अच्छा जा रहा है। अभी प्लेयर लोग, स्पोर्ट्समैन लोग, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि केवल एथलीट्स में डोपिंग होती है। ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं कि हर स्पोर्ट्स में ऐसा होता है। फुटबॉल में होता है, क्रिकेट और हॉकी में भी होता है। अनुराग सिंह ठाकुर मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मिनिस्टर भी हैं, एक टाइम उन्होंने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट भी खेला है। यह उनके ऊपर है, जैसे सब लोग साथ में हैं। मेरी एक ही बात है कि यह जो हो रहा है, यह अच्छा हो रहा है, अच्छे से करना होगा। 1974 से अब तक बर्बाद हो गया, कुछ सिस्टम नहीं रहा, कुछ नहीं चले, अपने आप से चलते थे, मुझे यह कहते हुए दुख होता है। मैं आप लोगों से केवल इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा मुझसे पहले हमारे ओलम्पिक हीरो ने बताया है, जो डोपिंग करते हैं, वे किसलिए करते हैं। कभी हम लोग डरते हैं, कभी गुस्सा आता है और रात में सोचते हैं कि क्या हम जीतेंगे, खेलेंगे या नहीं, क्या करेंगे, इसके लिए ऐसा होता है। Another thing I would like to tell you is that coaches' role is also important. कोच को भी पकड़ना होगा। जो कोच है, आपको उसे पकड़ना होगा। आप बच्चे को जेल में भेज देते हैं, तो उस कोच को भी करना होगा, मैनेजर को भी करना होगा। क्या वह मजाक हो रहा है, वह क्या देख रहा है, बच्चे लोगों को सपोर्ट करे। इतने छोटे-छोटे बच्चे लोग होते हैं। मुझे

लगता है कि उसे भी आप लोगों को करना चाहिए। कोच बोलेगा कि हम कुछ जानते नहीं हैं, इस बच्चे ने खा लिया। नहीं, there is some support from behind. आप भी चाहते हैं कि इस बच्चे को गोल्ड मिले तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। आप भी चाहते हैं कि जैसे भी हमारे प्लेयर को बनाएंगे, मरे तो मरे, कोई बात नहीं, चलो, उसको तो फर्स्ट कराएंगे। प्लीज, इसे आप लोग शुरू करिए, अच्छे से करिए। यह जैसा भी है, आप बोलिए कि डोपिंग आल स्पोर्ट्स में है।

जैसा अभी उधर से हमारे हीरो ने बताया है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, हम लोगों के मन में हमेशा यह बात आती है कि क्या हम जीतेंगे जापान से, रात में सोते नहीं है, इधर-उधर घूमते हैं, क्या करें। हर टाइम इधर जाते, उधर जाते हैं और पूरी रात सो नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा टेंशन होता है। इसीलिए वे कुछ खा लेते हैं। कोई डर से खाता है, कोई डॉक्टर खिलाते हैं, ये सब बन्द होना चाहिए। इतने दिन हो गए, आप लोग जो नया बिल लाए, मैं चाहता हूं कि इसे ऐसा अच्छा बनाइए कि हम लोगों के बच्चे लोगों को ओलम्पिक में, एशियन गेम्स में या कहीं भी कोई टच नहीं कर सके। … (व्यवधान) मुझे बहुत कम समय मिला है। मुझे आपने बहुत कम, चार मिनट समय दिया हैं, फिर भी मैं धन्यवाद जताता हूं। मैं एक और बात बताऊंगा, मैं अनुराग जी को बताऊंगा कि मेहरबानी करके, आप लोगों ने जो 'खेलो इंडिया' शुरू किया है, उसके भीतर कैच देम यंग । आप कभी ठीक करो कि ओलम्पिक में कौन टीम अच्छा खेलेगी। जरूरत नहीं है। जापान ने एक दफा किया था। जापान ने पांच डिसीप्लिन्स लिए थे, जो वर्ल्ड में सबसे अच्छे बनें। मैं चाहता हूं कि आप डिसिप्लिन कर लो, सबको नहीं लेना है। उसको लेकर चलाओ, देखिए हम लोगों को और गोल्ड मिलेगा। मुझे बोलना है कि हमारा फुटबॉल कैसे खराब होता जा रहा है, हम जानते नहीं हैं। आप लोगों ने हमें एशियन गेम्स में जाने नहीं दिया है। हम जानते हैं कि किसलिए नहीं जाने दिया। फुटबॉल को भी जाना चाहिए। मैंने सोचा कि हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि हमारे पॉइंट्स कम हैं, लेकिन पॉइंट्स तो इतने कम नहीं होते हैं। हम एशियन गेम्स में जरूर जा सकते हैं। आप मिनिस्टर हैं, आप करें तो अच्छा लगेगा। सबको बधाई देता हूं, अच्छा रहिए। एक ही बात है कि हम लोगों के स्पोर्ट्स अच्छे चल रहे हैं, अच्छा जा रहा है और आज एक स्पोर्ट्समैन मिनिस्टर बना है। आप सीरियस हैं, आप ऐसा करें कि किसी के पास हम देखें नहीं,

तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में डोपिंग नहीं चलेगी और हमारे बच्चों को ज्यादा गोल्ड मिलेगा, ज्यादा सिल्वर मिलेगा। यह बात मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग साथ में हैं। सब मिलकर एक साथ हैं। मैं आपको एक बात कहूंगा कि कभी-कभी हम लोगों को भी बुलाइए, हम लोगों को आपके साथ कुछ बोलने दीजिए। यहां किसी पार्टी की बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमें भी बुलाइए। हम अपना थोड़ा-बहुत एक्सपीरियंस बोल देंगे। सबको धन्यवाद । नमस्कार । जय हिन्द । वन्दे मातरम् ।

HON. CHAIRPERSON : Now, there are some more Members also to speak and we have to conclude by 6 o'clock. This time includes the Minister's reply and passing of the Bill. So, I would request the remaining Members to speak for a maximum of 3-4 minutes. As I am told from my school days, a wise man only speaks for three minutes.

Shri Lavu Sri Krishna Devarayalu.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I will try to be wise. … (*Interruptions*).

The National Anti-Doping Bill is very much needed at this hour mainly for two reasons. The first reason is that we used to wait for days together when the Olympics would be telecast and when India would win the medal, but in the last Tokyo Olympics, we could get almost seven medals, which means we were going in the direction of being a huge sporting nation.

The second reason why this Bill is very much needed is that India right now stands at the third position. It is not a very happy position with respect to the

number of doping incidents that are happening across the world. After Russia and Italy, India is standing at number three position. So, this Bill is very much needed.

Sir, most of the times, doping happens at two levels. The first is at an individual level in the sense that his whole team put together will try to influence in such a way that doping will happen. The primary example that we all know is of Lance Armstrong who is a seven time Tour De France winner. Not just one athlete can do it, but his whole team has to collude with him and has to do it. So, I appreciate the Treasury Benches that we are not just punishing the athlete, but actually we are punishing the whole team. So, I appreciate that.

The second way that this whole thing happens is the primary example which we saw in Russia wherein the whole system, starting with the doping agency, to the athlete level, to the coach's level, everyone has colluded in such a way that doping happens. So, this is a very serious issue that we should consider when we are looking at this Bill mainly because it has happened in Russia because there is no autonomy given to these doping agencies in the country. With this Bill that is being presented here, I need some clarification with respect to the autonomy that is being given to the people who are being put in place to look after this. Mainly starting with the Director-General of the Doping Agency, there is no mention of what qualification is required for someone to become a Director-General of NADA. There is no clarity on that. Also, there is no clarify on how the Director-General will be removed. There is no clarity. So, I request the hon Minister to give a clarity on that.

A similar thing is with appeals panels and disciplinary panels. There is no clarity on their removal. What reasons are to be given to remove them, there is no clarity on that as well.

The third main clarification which I need is with regard to the hearing panels. There is no mention of anti-doping experience which is required if a hearing panel is convened or put in place. There is no clarity on it whether they will need anti-doping experience or not.

The fourth clarification which I need is with regard to Vice-Chairpersons forming the panels. There are four Vice-Chairpersons who are put in place, but there is no clarity on it. For example, if the Chairperson is not there, which Vice-Chairperson will actually form the Committee. There is no clarity on that. I would request the hon. Minister to give clarity on that as well.

Finally, with regard to random testing, even in this aspect, India is really falling behind. We have seen in 2019, there were over 4,000 samples that have been collected. But in 2020, just a year before we were supposed to go for Olympics, we only collected 1,186 samples. It may be because of COVID-19 and other reasons, but still I think, and as other hon. Members have mentioned, we need to increase the number of testing centres, so that these anti-doping incidents do not happen.

We, YSR Congress Party, wholeheartedly support this Bill, the main reason being that we want the youth of this country to see good in athletes and there are

good role models in athletes. … (*Interruptions*). Also, we want the youth of this country to see that India will play fair and India will play hard.

With these words, I conclude my speech.

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम) : सभापति महोदय, धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे इस एंटी डोपिंग बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं तेलुगू देशम पार्टी से एंटी डोपिंग बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो खेल की व्यवस्था को एक सही दिशा में आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सब उनके साथ में रहेंगे और सब समर्थन भी करेंगे।

सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और आवश्यक भी है। हमारे जो आंकड़े हैं, उनमें वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2017 तक भारत विश्व में तीसरी पॉज़िशन पर था। उस टाइम पर लगभग 57 पॉजिटिव केसेज़ थे। अगर उसके बाद देखा जाए तो वर्ष 2018 में 117 पॉज़िटिव केसेज़ हुए और वर्ष 2019 में 255 केसेज़ हुए।

अगर इस तरह से देखा जाए तो ये केसेज बढ़ते जा रहे हैं। आज भी थोड़ी दु:ख की बात है कि जो कॉमन वेल्थ गेम्स होने वाले हैं, उसमें भी 10 खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए। इस बिल को लेकर आने की बहुत ही जरूरत है। बहुत ही डेलिब्रेशंस के बाद, सेलेक्ट कमेटी के बाद लीगल एक्सपर्ट्स, मेडिकल एक्सर्ट्स, स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स सभी के साथ चर्चा करने के बाद यह बिल लाया गया है। इसके बावजूद भी दो-तीन ऐसे सुझाव हैं, जिन्हें मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। पहले बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई है कि डायरैक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट या उनको निकालने के तरीके में केन्द्र सरकार की जो इंवॉल्वमेंट है, डेफिनेटली वह कम होनी चाहिए या बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। This is what WADA also suggests. वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी भी यही सजेस्ट करती है कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गनाइजेशन की तरह इसको चलना चाहिए, इसमें मिनिमम गवर्नेंस इंटरफेयरेंस होना चाहिए, ताकि वह अपना काम सही तरीके से, बिना

कोई इंफ्लुएंस के साथ करे। हमें वाडा को क्यों इम्पॉर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि एक देश ने वाडा के सजेशन को इसी तरह से नकारा तो वह पूरे ओलम्पिक से ही बैन हो गया। वह रशिया है। इसीलिए हमें उनकी राय को पॉजिटिव्ली लेना चाहिए।

सर, अभी हमने इसके ऊपर क्रिमिनल पीसीसीआर, पीसीबी एड किया है। इस बिल का क्लॉज 19 भी सजेस्ट करता है कि NADA can enter, search, and seize for anti-doping activities under the CrPC. I just want to get a clarification from the hon. Minister that this kind of clause will not be misused by any of the organizational officers. Will they be given any legal warrants before they search any player or not? I would like this kind of clarification from the hon. Minister.

Other than this, सर, मैं एक और महत्वपूर्ण बात यहां नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेट्री के संबंध में रखना चाहूंगा। पहले ऐसा होता था कि एनडीटीएल, इंडिया की जो टेस्टिंग लेबोरेट्री थी, वहां पर उन्होंने छ: केसेज ऐसे टेस्ट किए, जो नेगेटिव आए। जब बाद में मॉंट्रियल, कनाडा में उन्होंने एक टेस्टिंग फैसिलिटी को यहां भेजा तो वहां पर वे पॉजिटिव आए।

इस तरह के काफी इंसटैंसेज हुए थे, जहां हमारे यहां टेस्टिंग हो रही थी, तो रिजल्ट निगेटिव आ रहा था, लेकिन कहीं दूसरे लैब में टेस्टिंग होंगे, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे।

हम लेबोरेट्रीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए कानून लेकर आ रहे हैं, पर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ऐसा क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं कि इस तरह के इंसटांसेज हम रिपीट नहीं करेंगे। This clarification also I would definitely like from the hon. Minister.

The third point that I want to make is इसमें एथलीट को डिफाइन किया है, but the only confusion that I have right here is about a foreign player coming from outside the country and competing in an event in India. Will he be under the ambit of this

law or will he be under their own parent country's law? क्योंकि मैं एथलीट के डेफिनेशन में समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर बाहर के खिलाड़ी जो इस देश में आकर खेलेंगे तो क्या वे भी इस कानून के अंदर आएंगे या नहीं। यह भी एक बार क्लैरिफाई करना पड़ेगा।

It is more like a suggestion, सर, बाकी लोगों ने भी जो सजेशंस दिए हैं – अवेयरनेस। Awareness is definitely a very important point that we should concentrate on. हम भी देखते हैं कि ज्यादातर प्लेयर्स दूसरे लोगों के प्रेशर में आने के बाद, क्योंकि हमारे यहां स्पोर्ट्स में है कि make it or break it. एक ही तरीका है कि अगर आप टॉप में रहना चाहते हैं, तो वह परफॉरमेंस पर ही बेस्ड है। उस दबाव में आकर कुछ लोग जाने-अनजाने में सजेस्ट करते हैं, उनके प्रभाव में आकर वे लोग इस तरह से परफॉरमेंस एन्हांस करने के लिए डोपिंग सब्सटैंसेज यूज करते हैं but not with a negative intention. इसको टैकल करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में पहले भी माननीय स्पीकर्स बोल चुके हैं, तो यह जरूर करना चाहिए।

माननीय सभापति: सारे पॉइंट्स आ गए हैं।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Yes, I know, Sir. But from my Party's side also I have to make some points.

HON. CHAIRPERSON: All your points have come.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Sir, I will just mention two more points and conclude my speech.

The other point is that we are seeing the sports competence of our nation by looking at the medals that we win. विश्व के सारे कॉम्पीटिशंस देखते हैं कि कितने मेडल्स आए, तो उसके हिसाब से हमारे देश की स्पोर्ट्स अच्छा चल रहा है या नहीं। अगर हम सही तरीके से अपने स्पोर्ट्स कॉम्पीटेंस को देखना चाहेंगे, तो हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा, गांव-गांव में देखना

पड़ेगा, स्कूल्स में देखना पड़ेगा कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बन रहा है, वहां किस तरह से बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़ कर दिल से शामिल हो रहे हैं।

इसके लिए मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल्स में भी स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाए। जब हम इसे शुरू करेंगे, तो उसके प्रभाव से हम इंटरनैशनल लेवल पर आगे मेडल्स देख पाएंगे।

HON. CHAIRPERSON: We will have a discussion under Rule 193.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Yes, but I don't know whether it will come or not. So, I would just like to make a point.

HON. CHAIRPERSON: It is being listed every day.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Will it come? I thought only the reply was pending. If there would be a discussion, then, I would save my points for later participation.

HON. CHAIRPERSON: So nice of you.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : I support the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Shri Ram Mohan Naidu ji.

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): माननीय सभापति महोदय, The National Anti-Doping Bill, 2021 पर सभी ने अपनी-अपनी बातें कही, कई प्लेयर मेम्बर्स ने भी अपनी बातें कही, पॉलिटिक्स के ऊपर भी बातें कही। ग्राउंड में भी बहुत-से प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जब हम लड़कियों से बात करते हैं, तो एक महिला होने के नाते वे स्पष्ट तरीके से अपना दुख हमारे सामने जरूर रखती हैं।

We should not go on that. बहुत-से सीनियर मेम्बर्स ने भी उस पर बात की। मैं इतना कहूंगी कि यह जो बिल लाया गया है, पहले बहुत सालों से चलता आया है, पहले जो एथलीट खेलते थे, वे ऑरिजनल प्लेयर थे। Without taking any supplements or drugs वे अच्छी तरह से

खेलते थे और देश का नाम करने के लिए वे मेडल लेकर आते थे। इस बिल के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं या जो ट्राइबल क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी लड़कियाँ हैं, जो ग्राउंड पर खेलना चाहती हैं, जो टैलेंटेड हैं। लेकिन जब वे देखती हैं कि कंपिटिशन में टाउन्स से आने वाले खिलाड़ियों के साथ ग्रामीण इलाके के खिलाड़ियों को कम्पीट करना है, जब सप्लीमेंट्स और ड्रग्स लेकर अपने-आप को डबल स्ट्रांग करके मैदान में जाते हैं और टेस्ट पास करते हैं तब उन्हें लगता है कि हम इसमें कहीं न कहीं पीछे रह गए हैं। इससे अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को पहुंचेगा, तो वह ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों और ट्राइबल क्षेत्र के खिलाड़ियों को होगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।

शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इससे बहुत फायदा होगा, जिसमें इस बिल का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसके लिए मैं मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आजकल बॉडी बिल्डर लोगों को देखिए, वे जिम में जाने के बाद, जब वे रैम्प-वॉक करके अपनी बॉडी बिल्डिंग दिखाते हैं, तो हम तो परेशान हो जाते हैं कि पन्द्रह-पन्द्रह साल से जिम करने के बाद डोले-शोले नहीं बनते हैं, लेकिन immediately after taking drugs or supplements for three or four months, they can totally change their body.

We can't even imagine in dreams. इससे उनको बहुत बढ़िया चांस मिलेगा। जो ऑरिजनल टैलेंट होगा, वे ग्राउंड पर देश के लिए खेलेंगे और चीटिंग करके नहीं, बल्कि ईमानदारी से मेडल लाने का एक सबसे बड़ा सोर्स रहेगा। इससे वे खिलाड़ी मेडल ला सकते हैं और अच्छी तरह से खेल सकते हैं। हमारे यहाँ हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उसके सौ वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे ताऊ जी हमेशा कहते हैं- आगे बढ़ो, सबसे आगे बढ़ो, करते रहो, जो होगा देखा जाएगा। यह हमारे मंत्री महोदय के लिए है। सभी ने कहा कि श्री अनुराग जी बहुत लकी हैं।

पिछले मंत्री महोदय ने इम्प्लीमेंट किया और ये इस पोस्ट पर आए, बहुत सारे मेडल्स आए। मुझे लगता है कि सभी का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। इन्होंने जो किया या पहले के मंत्री ने जो काम किया है, मैं विनती करूँगी और मेरा एक प्रश्न भी है, I don't know whether I am wrong, जितने भी प्लेयर्स ग्राउंड में आएंगे, जो भी गेम्स खेलने आएंगे, उन सभी प्लेयर्स का, जैसा कि राम मोहन जी ने कहा कि अगर कोई इंटरनैशनल खिलाड़ी आता है, तो वह भी हमारे नॉर्म्स को या बिल को फॉलो करेंगे या उनके कंट्री के अनुसार इस बिल को फॉलो किया जाएगा? केवल इतना क्लियरेंस मैं मंत्री महोदय से चाहती हूँ।

माननीय सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद। अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती नवनित रवि राणा : सर, आपने ही कहा है कि स्कूल में तीन मिनट सिखाया जाता है, लेकिन यह पार्लियामेंट है, तो छः मिनट तो बनता है। हम स्कूल की उम्र से बड़े हो गए हैं।

HON. CHAIRPERSON: I am sorry.

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA : So, I wholeheartedly support this Bill, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Sir, it is said, "Brevity is the soul of wit". I certainly would like to be called wise and that is why I will be as brief as possible.

It is my pleasure and privilege to talk about the National Anti-Doping Bill, 2021, which has been presented by the Ministry of Youth Affairs and Sports. I congratulate the Ministry for having gone into it meticulously and with a visionary approach, they have worked on the Bill and they have presented this Bill today.

This Bill indeed is one with a difference. I have been sitting here all through and I have listened to almost sixteen hon. Members from both the sides and not

one hon. Member has objected to the contours of the Bill. This is the beauty of the Bill. Everybody has supported the various provisions of the Bill. Everybody has stood by the concept or the idea of having a legislation related to anti-doping in the country.

The second feature of this particular Bill which actually makes it stand out is the fact that it goes against the general notion among the friends on my right side that this Government does not send Bills to the Parliamentary Standing Committees. Now, this is a Bill which was presented in this Parliament on 17th December, 2021 and this Parliament sent it to the Parliamentary Standing Committee. The Parliamentary Standing Committee carefully analysed the contours of the Bill, examined the Bill, gave its opinion and submitted the Bill again with its recommendations on 23rd March, 2022. So, this particular Bill has gone through tremendous application of mind. That is why, today, it is absolutely visible that not even one hon. Member among the fifteen Members who spoke today has opposed the Bill.

We are all aware of the fact that doping is different from taking alcohol. One of our friends from the other side said it and I entirely agree, it is different from taking drugs. Doping refers to the use of substance or technique to illegally improve athletic performance. I would also like to go by the definition of Interpol. Interpol defines doping as the act of consuming artificial and illegal substance to gain advantage over others.

As we talk about sports and Khelo India, we need to talk about the contribution of the hon. Prime Minister Modi and his entire team. I still recall the tweet he made on the National Sports Day. On the National Sports Day, the hon. Prime Minister had greeted all the sports lovers of the country. He had written on the occasion of the National Sports Day, “I congratulate all the sports lovers from all across the country and I hope the sports and sportsmanship will always shine in our society”. While quoting him, I would definitely like to emphasise the word ‘sportsmanship’. It is very important to have that feeling, that attitude and that approach. Therefore, there is absolutely no place for doping when we talk of sportsmanship. This particular Bill has to be made into an Act. We have to approve it because this particular Government has been talking of clean sports, right sportsmanship and healthy youth. That is why we need to have this.

In 2005, we had signed the UNESCO international convention. We have to be in line with the needs of different countries. Actually, this was ratified on 7th November, 2007, by India and that is why we needed to have a legislation. I must tell you that one of the standing committees of yesteryears had actually pointed out that rules cannot suffice, there has to be a legislation. That is why today, we are discussing the legislation. I can say with all conviction at my command that the country under the leadership of the hon. Prime Minister Modi wants it to be the sporting powerhouse and that is why we need to have this.

Some of my friends from the other side rightly gave some figures. I would kind of corroborate that and rather kind of add to that. The World Anti-Doping Agency brought out a report in 2019.

According to that report, 152 cases of anti-doping rule violations related to Indian athletes. Unfortunately, that number comes to 17 per cent of the total number of cases. That is a major concern, and that is why this Bill is very important.

Sir, I will take two minutes to deal with the contours of the Bill. It contains 34 provisions and seven chapters. It is very well written, very well drafted, meticulously looked into.

HON. CHAIRPERSON: And we have a number of amendments also to be moved. So, keep the time in mind.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI: Yes, Sir.

The Bill streamlines the doping control measures through creating the required institutions and empowering them. As we are aware, it clearly shows that the Government has zero tolerance towards doping, and lays down what would constitute anti-doping rule violations.

Chapter 3 of the Bill seeks to create a National Board for Anti-Doping - we have already talked about it - to be headed by an experienced person with not less than 20 years in the field of general administration, sports administration, or a retired eminent athlete. Section 11 and 12 are very important. Sir, Section 11,

as you were reading out when you spoke, relates to the Anti-Doping Disciplinary Panel which is extremely important. All these issues of rule violations will be taken up there. Section 12 is very important because it talks of the appeal panel. Any sportsperson who is aggrieved can always go there and voice their concerns. Chapter 5 clearly outlines the doping control processes, and empowers the agency with powers of search, seizure, and powers to take necessary action against violators.

Sir, we are going through Amrit Kaal. As we talk of this Bill, we are reminded of Ben Johnson. Ben Johnson is currently ill famous but at one point of time he was the most famous sports personality in the world. His entire glory was taken away because at that time there was not much of consciousness and he got into these techniques to enhance his performance. So, I think, while we discuss the relevance of this Bill, we need to think of personalities like Ben Johnson whose entire sports life was ruined. That is why I say that we all need to commend the efforts of the Minister of Youth Affairs and Sports and his entire team for having worked on this particular Bill. I would like to thank the members of the Parliamentary Standing Committee who have given their best. I would also like to thank all my colleagues on my right side as not one of them objected to the Bill.

With this, I can only say that we all need to unanimously support this Bill. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: The Sports Minister is very sportive; there is no doubt about it.

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सभापति महोदय, मेरे लिए यह गर्व का विषय है कि मैं उस देश का नागरिक हूं, जो आज पूरे विश्व में विशेष रूप से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इतिहास पर इतिहास रचता जा रहा है। मैं खास तौर पर उस राज्य का नागरिक हूं, जहां से हमारे नेता मान्यवर नवीन पटनायक जी आते हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे विश्व में स्पोर्ट्स हेतु उनके एफर्ट्स को सराहा जा रहा है।

Sir, I rise in support of the National Anti-Doping Bill, 2021. My party and all of us here in the Parliament welcome it. मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं ब्रीफ में कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं। वे यह हैं कि नाडा को सिर्फ और सिर्फ पनिश करने के लिए या एथलीट्स को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वे डोपिंग में इनवॉल्व न हों, इस्तेमाल न करके, नाडा का इस्तेमाल इसलिए भी होना चाहिए ताकि हम भारत के युवा को एजुकेट कर पाएं और उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर पाएं। खास तौर पर वे युवा, जो पिछड़े वर्ग के हैं और देश के कोने-कोने से आते हैं। Mostly, the athletes who perform really good come from rural and very remote areas of the country.

वे लोग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से भी होते हैं, उनमें वह क्षमता होनी चाहिए, वह सीख उनमें भरनी चाहिए ताकि वे समझ पाएं कि कौन सा इंग्रेडिएंट, जो सप्लीमेंट वे लें, वह सर्टिफाइड होना चाहिए। वह वेरीफाइड होना चाहिए। उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं, जो आगे चलकर उनके लिए बहुत गलत साबित हो सकता है। यह सिर्फ कम्पटीशंस के वक्त ही नहीं, इसको इनिशियल स्टेज में भी लागू करना चाहिए। सब्सटेंसेज को चेक करना, उनको शिक्षा देना और खासकर युवाओं में एक चीज होती है, जैसे टोबैको, एल्कोहल या ड्रग्स है, यह सब बहुत आसानी से मिल जाता है। युवाओं में एक अलग किस्म का अट्रैक्शन होता है, आप जिस चीज के लिए उन्हें मना करेंगे कि बेटा इस चीज को नहीं करना है, तो उनके मन में यह चीज खलती है, उनमें एक जिज्ञासा बढ़ती है कि हमें इसके लिए

मना क्यों किया जा रहा है। We have to very specially treat them and educate them how to avoid and how to stay away from all these things.

दूसरा, जैसा मैंने कहा कि कम्पटीशन ही नहीं, उससे पहले भी इसको देखना चाहिए। डोमेस्टिक, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में ही सिर्फ नाडा का इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड इवेंट्स में भी एक रोक लगनी चाहिए, एक चेक लगना चाहिए। रोक नहीं, माफ कीजिएगा, एक चेक लगना चाहिए। उन पर भी एक चेक इसलिए होना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर एक-दूसरे से आगे बढ़ने के लिए जोश में कभी कोई कोचेज, कोई मेंटर्स कुछ गलत चीजों का सुझाव भी देते हैं, उनको बताते हैं, तो उससे युवाओं पर बहुत गलत असर पड़ता है, जिससे उनका पूरा भविष्य खराब हो सकता है। So, we have to put a check on that.

HON. CHAIRPERSON: Now, the last point.

SHRI ANUBHAV MOHANTY: My last point – last but not the least – is this.

सर, जैसे कंपटीशन हर जगह पर होता है, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो या राजनीति हो, हर जगह में जीतने की जो भूख होती है, जीतने का जो नशा होता है, उससे बड़ा नशा कुछ नहीं होता है। ऐसी जगहों पर खासकर के सामने वाले को हराने के लिए ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जो निर्दोष लोग हैं, जो जानबूझकर ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि फंसाये जाते हैं, उनके लिए भी एक नियम आना चाहिए कि कैसे उनको इससे बचाया जाए और ऐसी गलत चीजों का फायदा उठाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा भी देनी चाहिए। Thank you so much. I welcome this Bill, Sir. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Thank you Anubhav *ji*. Kunwar Danish Ali.

… (*Interruptions*)

श्री अनुभव मोहंती: सर, एक छोटी सी बात रह गई है।… (व्यवधान) सर, मुझे मात्र 30 सेकेंड का समय दीजिए।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Thank you. I have called the next name. Do not get prompted by other Members. Kunwar Danish Ali.

… (*Interruptions*)

श्री अनुभव मोहंती : सर, युवाओं के लिए एक छोटी सी बात कहनी है**।**… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Allow Kunwar Danish Ali, your colleague, to speak.

… (*Interruptions*)

श्री अनुभव मोहंती: सर, 10 सेकेंड में अपनी बात बोल देता हूँ**।**… (व्यवधान) मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा।… (व्यवधान)

सर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं सबको बोलना चाहूँगा, अभी तो शायद मुझे पूरा विश्व देख और सुन रहा होगा, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मुझसे कुछ पूछता है कि बॉडी बिल्डिंग में जल्द से जल्द बॉडी कैसे बनायी जाए तो मैं सबको यही बताता हूँ कि अच्छा खाओ, मेंटल पीस में रहो और अच्छा पानी पीओ। जितना ज्यादा पानी पी सकते हो उतना अच्छा है, घर का खाना खाओ। Do not dope; do not take drugs. Say absolutely 'no' to all these useless things.

Thank you so much, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

श्री दानिश अली। I do not think you have anything more to say.

कुंवर दानिश अली (**अमरोहा**): महोदय, धन्यवाद।

महोदय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काफी कुछ पहले आपने हाउस और मिनिस्टर को एन्लाइटन कर दिया, बाकी आपकी पार्टी के कुलीग ने कर दिया। बहुत अच्छा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए जो बिल लाया गया है, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। यह बात सही है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि खिलाड़ियों पर इस बात का बहुत प्रेशर रहता है कि वे देश के लिए मेडल

जीतकर लाएं और उस प्रेशर में ही क्या होता है, कई बार गलतियाँ होती हैं या जानबूझकर गलतियाँ कराई जाती हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो खिलाड़ी असलियत में भारत का नाम करते हैं, वे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। खेत और खलिहानों में काम करने वाले बच्चे आते हैं। जबकि उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवलेबल नहीं होता है, लेकिन वे अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचते हैं। अब उनको तो मालूम नहीं होता है कि अगर उसकी मसल्स खिंच गई हैं, उस पर जो तेल मालिश की जा रही है, उसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर वह कल टेस्ट के लिए जाएगा तो एंटी डोपिंग टेस्ट में वह पकड़ा जाएगा। यह काम तो कोच का होता है। हमारे यहाँ कितने ऐसे लर्नेड कोचेज हैं, जो उनको सही तरह से गाइडेंस देते हैं। मेरा सुझाव माननीय मंत्री जी को यह है कि आप इसमें कोचेज की भी लाइबिलिटी तय कीजिए कि जब टेस्ट होगा तो उसमें उन खिलाड़ियों के साथ-साथ उनके कोचेज की भी रिस्पांसबिलिटी तय की जाए।

यह पहले से तय होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि केवल खिलाड़ी तो दोषी पाया गया, उसको जो गाइड कर रहा था, वह उससे निकल जाए। यह बात सही है कि हम ज्यादा प्रेशर रखेंगे या जल्दी करेंगे तो हाल ऐसे ही होता है। मान लीजिए कि आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, उसको कह दो कि यह छ: महीने में बननी है, कोई सड़क बननी है, यह छ: महीने में बननी है और उसका उद्घाटन कर दो तथा बाद में बारिश पड़े तो वह धंस जाए। इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए। यहां पर ड्रग्स की चर्चा हो रही है और एंटी डोपिंग से शराब का कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, जिन्होंने डिबेट की शुरुआत की, उन्होंने अपना पूरा भाषण ही शराब की नीति पर कर दिया। चाहे दिल्ली की शराब नीति हो या गुजरात की शराब नीति हो। गुजरात में शराब बंदी के बावजूद 27-28 लोग मर गए। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं।

माननीय सभापति: आप बिल के ऊपर बोलिए और आपके पास एक मिनट बचा है।

कुंवर दानिश अली: मैं इसलिए बिल पर ही बोल रहा हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी रिक्वैस्ट करूंगा कि वह अगले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर से यह मांग करें

कि खेलो इंडिया के ऊपर कोई बजट एलोकेशन नहीं है। वहां बजट होना चाहिए, क्योंकि जब हम दिशा की मीटिंग में उस इश्यु पर रिव्यू करते हैं तो कहते हैं कि बजट ही नहीं है। 'खेलो इंडिया' का नारा तो हम दे रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बजट ही नहीं है।

मैं आखिरी सुझाव देते हुए अपनी बात को खत्म करूँगा कि जो डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट है, जो मैंने बिल में देखा, एज यूजवल, जो सरकार की नीति है कि सारी एजेंसीज को अपने कब्जे में रखो और पुरानी एजेंसीज की भी ऑटोनॉमी खत्म कर दो। कम से कम यह नई एजेंसी आप बना रहे हैं, इसको ऑटोनॉमी दीजिए। ऐसा मत करिये कि जो डीजी होगा, वह रात-दिन आपसे डरकर बैठा रहे कि कब आप उसको निकाल देंगे? मेरी आपके माध्यम से यही गुजारिश है। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।

کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کافی کچھ پہلے آپ نے ہاؤس اور منسٹر کو اینلایٹین کر دیا باقی آپ کی پارٹی کے ساتھی نے کر دیا، بہت اچھا۔ نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کے لئے جو بِل لایا گیا ہے میں اس بِل کی تائید میں کھڑا ہوا ہوں، یہ بات سہی ہے کہ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کھلاڑیوں پر اس بات کا بہت پریشر رہتا ہے کہ پر کہ وہ ملک کے لئے میڈل جیت کر لائیں، اور اس پریشر میں ہی کیا ہوتا ہے کئی بار غلطیاں ہوتی ہیں یا غلطیاں کرائی جاتی ہیں جان بوجھ کر۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو حقیقت میں بھارت کا نام کرتے ہیں وہ رورل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں۔ کھیت اور کھلیانوں میں کام کرنے والے بچے آتے ہیں، جبکہ ان کو پورا انفراسٹرکچر بھی مہیا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنی محنت سے یہاں پہنچتے ہیں۔ اب ان کو تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس کی مسلس کھِچ گئی ہے اس پر جو تیل مالش کی جا رہی ہے اس میں کوئی ایسے انگریڈینیس ہیں کہ اگر وہ کل ٹیسٹ کے لئے جائے گا تو

اینٹی ڈوپنگ ٹیسٹ میں وہ پکڑا جائے گا۔ یہ کام تو کوچ کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کتنے ایسے لرنڈ کوچز ہیں جو ان کو سہی طرح سے گائیڈینس دیتے ہیں میرا مشورہ معزز منتری جی کو یہ ہے کہ آپ اس میں کوچز کی بھی ذمہ داری طے کیجئے۔ کہ جب ٹیسٹ ہوگا تو اس میں ان کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ ان کے کوچز کی بھی ذمہ داری طے کی جائے۔

یہ پہلے سے طے ہونی چاہئیے۔ یہ نہیں ہونا چاہئیے کہ صرف کھلاڑی تو دوشی پایا گیا، لیکن جو اس کو گائیڈ کر رہا تھا وہ اس سے نکل جائے۔ یہ بات سہی ہے کہ ہم زیادہ پریشر رکھیں گے یا جلدی کریں گے تو حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ مان لیجئے کہ آپ کوئی بلڈنگ بنوا رہے ہیں، اس کو کہہ دو کہ یہ 6 مہینے میں بننی ہے، کوئی سڑک بننی ہے، یہ 6 مہینے میں بننی ہے اس کا افتتاح کر دو اور بعد میں بارش پڑے تو وہ دھنس جائے۔ اتنا پریشر نہیں ہونا چاہئیے۔ یہ پر ڈرگس کی چرچا ہو رہی ہے اور اینٹی ڈوپنگ سے شراب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن رولنگ پارٹی کے جو ممبر آف پارلیمینٹ ہیں ، جنہوں نے ڈیبیٹ کی شروعات کی تھی، انہوں نے اپنی پوری تقریر ہی شراب کی نیتی پر کر دیا۔ چاہے دہلی کی شراب نیتی ہے یا گجرات کی شراب نیتی ہو۔ گجرات میں شراب بندی کے باوجود 28-27 لوگ مر گئے اس کے لئے کون ذمہ دار ہے، میں اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں۔

میں اس لئے بِل پر ہی بول رہا ہوں چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے معزز منتری جی سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ وہ اگلے بجٹ میں فائننس منسٹر سے یہ مانگ کریں کہ کھیلوں انڈیا کے اوپر کوئی بجٹ ایلوکیشن نہیں ہے وہاں بجٹ ہونا چاہئیے۔ کیونکہ جب ہم دِشا کی میٹنگ میں اس ایشو پر ریویو

کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بجٹ ہی نہیں ہے۔ کھیلوں انڈیا کا نارہ تو ہم دے رہے ہیں لیکن انفراسٹرکچر کے لئے کوئی بجٹ ہی نہیں ہے۔

میں آخری مشورہ دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جو ڈائریکٹر جنرل کا اپوئنمنٹ ہے جو میں نے بِل میں دیکھا ایس یوسول جو سرکار کی نیتی ہے کہ ساری ایجینسیز کو اپنے قبضے میں رکھو اور پرانی ایجینسیز کی بھی آٹونومی ختم کر دو۔ کم سے کم یہ نئی ایجینسی آپ بنا رہے ہیں اس کا آٹونامی دیجیئے۔ ایسا مت کرئیے کہ جو ڈی۔جی۔ ہوگا وہ رات دن آپ سے ڈر کر بیٹھا رہے کہ کب آپ اس کو نکال دیں گے۔ میری اُپ کے ذریعہ سے یہی گزارش ہے، بہت بہت شکریہ ۔

(ختم شد)

माननीय सभापति : डॉ. निशिकांत दुबे।

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, रूल 356 है।

माननीय सभापति **:** आप बताइये।

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, कल भी इन्होंने अपने भाषण में गुजरात की बात अननेसेसरी लाई थी और आज भी लाई है। रूल 356 में साफ है कि यदि अपने ऑन ऑर्ग्युमेंट में रिपीटेशन होता है, तो उसको एक्सपंज कर देना चाहिए। मेरा यह मानना है कि आप रूलिंग दीजिए। ये बार-बार इसको लाते हैं। … (व्यवधान)

KUNWAR DANISH ALI : This was initiated by the Ruling Party Member.… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, यह रूल 356 है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह रिलेवेंट है या इर-रिलेवेंट है, हम उनका वक्तव्य पढ़ कर बाद में देख लेंगे।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: थैंक यू सर।… (व्यवधान)

KUNWAR DANISH ALI: Sir, it is applicable to Shri Manoj Tiwari also.… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : श्री रवि किशन।

श्री रवि किशन (गोरखपुर): सर, उनकी बात अभी निकाल दीजिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय एंटी डोपिंग बिल, 2021 पर भाग लेने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। इससे पहले कि मैं इस बिल के मुख्य बिंदुओं की विशेषताओं पर अपने विचार रखूं, some of the hon. Members wanted to know about WADA. मैं वाडा के बारे में बात रखूंगा। It is called the World Anti-Doping Agency, and not 'Vadra'. यह वर्ष 1999 में बना था। लेकिन दु:खद यह है कि आज हम यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि इस देश में जो ओलंपिक का जुनून छाया हुआ है, वह अद्भुत है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग जी हैं, किरेन रिजीजू रहे थे, उनको धन्यवाद है कि पिछले ओलंपिक में हमने एक अद्भुत पारी खेली और हम मैडल्स लेकर आए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आज इस बिल को क्यों लेकर आए हैं। यह डोप क्यों? we have the highest, 65 per cent, youth population. यह डोप कहां से आ गया? हमारे कुछ धावक पहले भी थे, अपर हाउस में पीटी ऊषा जी भी आई हैं, मैरीकॉम जी भी हैं, हमारी सरकार ने उनको भी मौका दिया। खिलाड़ियों को बहुत सारे मौके हैं। हमारे मिल्खा सिंह जी भी रहे हैं, लेकिन यह ड्रग्स या डोप आता कहां से है? मुझे भी कुछ माननीय सांसद मित्रों ने कहा था कि बॉडी बिल्डिंग मैं भी करता हूं। मुझे कहा था कि तुम्हें सिक्स पैक्स चाहिए तो एक ऐसा इंजेक्शन आता है,

जिससे ढाई महीने में तुम्हें सिक्स पैक्स आ जाएंगे। ढाई महीने में सिक्स पैक्स आते हैं और उसकी कीमत बहुत है। यह पूरे देश के हर जिम में, हर कोच के पास इसका नाम है। यह ड्रग्स आती कहां से है? यह कोच ट्रेंड क्या करते हैं? ये कोच कौन हैं, यह कौन से देश की साजिश है कि हमारे यूथ को खत्म करे, हमारे सपोर्ट्स को खत्म करे? यह शॉर्ट-कट वाला स्पोर्ट्स क्या है?

यह शॉर्टकट से क्या जीतना है? शर्म आनी चाहिए कि ऐसे जीत के जो आप इंजेक्शन का शॉट मार कर भाग रहे हो और आप जीत रहे हो और मेडल पा रहे हो। सर, बड़ा दुखद है कि हम ऐसे भारत में जहां योग और आयुर्वेद के लिए यह भारत जाना जाता है, वहां हमको इस योद्धा शरीर में इस ड्रग्स की जरूरत पड़ी। ऐसी मिट्टी जहां बारिश भी होती है। हमारे भारत में तीन सीज़न हैं। We do not need all these things. स्पोर्ट्स मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि we need a good coach. We need a counsellor. We need people…. जो उनको तिरंगे के लिए जुनून पैदा करें। देश के प्रेम के लिए जुनून पैदा करें। राष्ट्र के प्रेम के लिए, उसको जीतने के लिए। न कि we need a drug to run. मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूँ। नाडा एंटी डोपिंग नियमों को लागू करती है। सभापति महोदय, चूंकि बिल में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग बोर्ड में डिसीप्लिनरी इत्यादि के बारे में ब्यौरा दिया गया है, इसलिए मैं उन क्लॉजेस पर समय नहीं लगाऊंगा। सभापति महोदय, इस बिल के आलोचक प्राय: यह आरोप लगाते हैं कि चूंकि राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संगठन जनहित में कार्य करते हैं और कठोर रेगुलेशंस को खेलों में क्रियान्वित करते हैं, इसलिए उन्हें पूरी ऑपरेशनल स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। परंतु इस बिल में जो प्रावधान हैं, उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि नाडा केन्द्र सरकार से स्वतंत्र होगा। सभापति महोदय, मेरी छोटी बिटिया भी है। She is a shooter.

माननीय सांसद राज्यवर्धन जी ने उनको अभी सम्मानित भी किया। मेरी बिटिया भी स्पोर्ट्स में आना चाह रही है। मेरी बिटिया भी फौज में आना चाह रही है। मेरे बच्चे, मेरे देश के अनगिनत बच्चे, गांव-देहात के बच्चे दिन-रात मेहनत करते हैं, हाईवे पर दौड़ते हैं, सड़क पर दौड़ते हैं, दाल-रोटी खा कर मेहनत करते हैं, पुशअप्स मारते हैं, कई दंड मारते हैं और उसके बाद जब वे तैयारी करने जाते

हैं, जैसे कि माननीय सांसद नवनीत जी ने कहा कि वहां पर एक शहरी लड़का या जिसके पास कुछ पैसे हैं, वह डोप ले कर खड़ा है और तेज़ दौड़ रहा है, क्योंकि उसने इंजेक्शन के शॉट अपने पैर में मारे हैं, या बगल में or wherever he has taken a shot. It is very sad. We must take care of this. We need a counsellor. मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि We need a coach जो जूनून पैदा करे। We need *junoon*. इस देश में जुनून देंगे। जैसे हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी देते हैं और देश दौड़ने लगता है और देश चलने लगता है। We do not need all such things. ये बातें रहें। सभापति महोदय, एंटी डोपिंग की दुनिया अत्यंत गतिशील होती है और समय-समय पर नए-नए प्रतिबंधित पदार्थों तथा प्रक्रियाओं से निपटना पड़ता है। महोदय, हमारा देश एक विशाल देश है। वर्तमान में हमारे देश में केवल एक राष्ट्रीय डोप टेस्टिंग लैबोरेट्री है। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा कि डोपिंग टेस्ट के लिए और अधिक राष्ट्रीय डोपिंग लैबोरेट्रीज़ स्थापति करें, because such laboratories are less in number. मुझे विश्वास है कि हमारे आदरणीय और लोकप्रियता की पराकाष्ठा प्राप्त हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार नाडा में इस बिल के माध्यम से यथापक्षित सुधार लाने में सफल होगी और वाडा के रेगुलेशंस के साथ सामंजस्य पैदा करने में नाडा के एंटी डोपिंग मानकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। … (व्यवधान)

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The deliberation is complete now.

Now, the hon. Minister.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : छह बजने वाले हैं। If the House agrees, we may extend the time of the House till the decision of the House is conveyed and the Bill is passed.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Okay. The time of the House is extended till the decision is conveyed and the Bill is passed.

Now, hon. Minister, Shri Anurag Singh Thakur.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय सभापति जी, राष्ट्रीय डोप रोधी विधेयक की आज की चर्चा में 18 माननीय सांसदों ने भाग लिया है। जिनमें श्री मनोज तिवारी जी, राहुल शेवाले जी, सौगत राय जी, चंदेश्वर प्रसाद जी, भर्तृहरि महताब जी, श्याम सिंह यादव जी, रविन्द्रनाथ जी, बी.बी. पाटिल जी, सुप्रिया सुले जी, राज्यवर्धन राठौर जी, प्रसून बनर्जी जी, लावू श्रीकृष्णा जी, राम मोहन नायडू जी, नवनीत राणा जी, अपराजिता सारंगी जी, अनुभव मोहंती जी, दानिश अली जी, और रवि किशन जी। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि सभी ने ही इस बिल का समर्थन किया है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

सर, इन्होंने न केवल समर्थन किया, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। खेल और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए यह जो महत्वपूर्ण बिल लाया गया है, इसके लिए आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। कुछ बातें, जो आपको लगती थीं कि वे बिल में सीधी नज़र नहीं आती हैं, उनको रूल्स का हिस्सा बनाने के समय इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, इस बात के लिए भी आपको आश्वस्त करता हूं। जो-जो सम्भव होगा, उसको करने का प्रयास किया जाएगा।

<u>18.00 hrs</u> (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

माननीय सभापति जी, मैंने शुरुआती समय में कहा था कि खेलों की दृष्टि से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। टोक्यो ओलम्पिक्स में सात मेडल्स जीतना आज तक के सबसे ज्यादा मेडल्स थे। डेफलिम्पिक्स में 16 मेडल्स जीतना अपने आप में सबसे बड़ी बात थी। टोक्यो पैरालिम्पिक्स में 19

मेडल्स जीतना हमारे आज तक की सबसे बड़ी पदक तालिका थी। इसी तरह से ही हमने थॉमस कप में भी 73 वर्षों में जो पहली बार गोल्ड मेडल जीता, यह भी बैडमिंटन टीम ने जीता। खेलों में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।

सौगत राय जी वरिष्ठ सांसद हैं। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में बहुत अच्छा नहीं कर पाए। मैं इतना ही कहूंगा कि 121 वर्षों में अगर एथलेटिक्स में किसी ने गोल्ड मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है तो उसे नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए करने का काम किया है। सर, जहां तक वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात है तो हाल ही में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई, उसमें भी नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत के नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले मेल एथलीट बने। इससे पहले वर्ष 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्राँज मेडल जीतने का दर्ज़ा प्राप्त किया था। वर्ष 2003 में और वर्ष 2022 में लगभग 19 वर्षों का अन्तर है, लेकिन नीरज चोपड़ा ने यह किया। मैं पूरे सदन की ओर से नीरज चोपड़ा जी को इस अचीवमेंट पर बहुत-बहुत बधाई भी देता हूं। यही नहीं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में कुल मिलाकर हमारे छ: इंडीविजुअल्स फाइनल में पहुँचे थे, जिसमें से तीन टॉप-8 में आए और एक मेडल जीतकर आए, जो नीरज चोपड़ा हैं। यही नहीं, पारूल चौधरी ने आज तक का अपना पर्सनल बेस्ट यहां पर स्टीपल चेज़ 3000 मीटर में 9 मिनट 38 सेकण्ड का रिकॉर्ड दर्ज़ किया।

माननीय सभापति जी, आखिरकार, इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे खिलाड़ियों की अगर डोप टेस्टिंग करनी हो तो उसके लिए भी सुविधा हमारे देश के अन्दर हो। वर्ष 2008 में यह सुविधा देश में नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरैट्री के रूप में बनाई गई थी। वर्ष 2009 में इसके रूल्स एण्ड रेगुलेशंस गठित किए गए। वर्षों तक इसका कामकाज चला, लेकिन इसे वैधानिक दर्ज़ा प्राप्त नहीं था। स्टैटुटरी दर्ज़ा प्राप्त करने के लिए हमने इसमें प्रयास किया है क्योंकि अगर भारत को अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट करने हैं तो अपनी टेस्टिंग क्षमता को भी बढ़ाना होगा।

आपको याद होगा कि वर्ष 2017 में हमने यहां पर अन्डर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाया था। उसका बहुत सफल आयोजन हुआ और इसी साल अक्टूबर में विमेन का भी अन्डर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन भारत करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात कल चेन्नई में भारत पहली बार चेस ओलम्पियाड करवाने जा रहा है। कल उसका उद्घाटन भी होगा। यह 44वां चेस ओलम्पियाड है तो भारत एक के बाद दूसरा बड़ा आयोजन कर रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ हमें अपनी क्षमता को भी बढ़ाना है, इसे कानूनी दर्ज़ा भी प्राप्त करना है। यहां पर एन.डी.टी.एल. के सस्पेंशन की जो बात की गई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसकी सस्पेंशन हुई थी। उसके कई कारण थे, लेकिन हरसंभव प्रयास किए गए और इसके सस्पेंशन को रिवोक करने का भी काम पिछले वर्ष कर दिया गया है। अब एन.डी.टी.एल. फिर से काम कर रही है। जब तक यह सस्पेंड थी, तब तक हमें एथलीट्स के सैम्पल्स को भी यहां से बेल्जियम और दूसरे देशों में भेजना पड़ता था। भेजने का खर्च और टेस्टिंग का खर्च भी तीन गुणा से ज्यादा आता था। अब हमारी अपनी क्षमता इतनी है कि हम अपने एथलीट्स का भी कर सकते हैं और आपने जो अन्तर्राष्ट्रीय एथलीट्स की टेस्टिंग करने की बात कही, उसके लिए कहीं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, भारत वह भी कर सकता है, ये अधिकारी भी यहां पर होंगे।

यही नहीं, यह भी पूछा गया कि रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स तो थे, 'वाडा' के नियमों के अनुसार ही थे, तो आपको ये स्टैटुटरी एंटी डोपिंग लेजिस्लेशन लाने का काम क्यों करना पड़ा, तो जो बाकी देश हैं, जैसे यू.एस.ए., चीन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों ने यह पहले ही कर लिया था। दुनिया के गिने-चुने देशों में अब भारत भी एक देश होगा जिसका अपना कानून भी होगा और अपनी टेस्टिंग लैबोरैट्री भी होगी। इससे खेल जगत में भारत की साख और बढ़ेगी।

सर, यही नहीं, बल्कि हमारी जो इंस्टीट्यूशनल कपैसिटी है, उसको भी बढ़ाने और उसका सशक्तिकरण इसके माध्यम से होगा। हम साल भर में 6000 सैम्पल्स टेस्ट करते हैं। जब हम कोई बड़ा टूर्नामेंट करते हैं तो हमें लगभग 10,000 की टेस्टिंग कम से कम एक से डेढ़ महीने के अंदर

करनी पड़ेगी, इसलिए एक लैबोरेटरी से हमारा काम चलने वाला नहीं है। इससे ज्यादा ही हमें इसकी क्षमता को बढ़ाना होगा, अगर भविष्य में और बड़े टूर्नामेंट्स करने हैं।

मैं सदन में बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, जो कुछ सदस्यों ने अपने क्षेत्रों में भी माँग की है या देश के अलग-अलग हिस्सों में खोलने की बात कही, भविष्य में जरुरत के अनुसार हम और लैबोरेटरीज़ को भी खोलने का काम करेंगे। आपने जो सुझाव दिए हैं, उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। राहुल जी, कृष्णा जी और कुछ और सदस्यों ने ऐसी माँग की है।

हम उन सभी को लेकर आपके सुझाव को ध्यान में रखेंगे। एक बिल्डिंग और टेस्टिंग लैबोरेटरी बनाने में लगभग 70 से 100 करोड़ रुपये तक खर्च आता है। लेकिन, इसमें पैसे की बात नहीं, हमें इसकी सुविधाएं भी देनी हैं और अपनी क्षमता को भी बढ़ाना है। इसमें भारत की सरकार कहीं पीछे नहीं रहेगी। इस बात का मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ। इससे हम दुनिया पर निर्भर नहीं रहेंगे, आत्मनिर्भर भारत को भी इससे बल मिलेगा और हम डोपिंग के टेस्टिंग में भी देने का काम करेंगे। हम एंटी डोपिंग का केवल कानून ही नहीं पारित करें, बल्कि टेस्टिंग की क्षमता को भी बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी और मजबूत करेंगे।

इसमें एक दूसरा प्रश्न आता था कि कंस्लटेशन कितनी की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बार-बार यह मानना है कि कोई भी कानून लाए, उसकी वाइडर कंस्लटेशंस होनी चाहिए। देश की जो खेल संस्थाएं हैं, चाहे इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन हो, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो या राज्यों के खेल संघ हो, वहाँ से लेकर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो वर्ल्ड की एक संस्था है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखकर, अपने नाडा के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वहाँ से लिया गया है। हमें यूनेस्को और दुनिया भर से जैसे उनके मार्गदर्शन मिलते हैं, वहाँ से भी हमें जो एडॉप्ट करना है, उसे भी किया गया जाएगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थीं, उसको बहुत गंभीरता से लेकर हम इस बिल को लाये हैं। शायद, इसीलिए आप सब का सहयोग-समर्थन मिला है। अगर कहीं पर और सुधार करना है, आपने भी कहा कि रूल्स में उसको करने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं सदन को आश्वस्त

करना चाहता हूँ कि हम उसको भी वहाँ पर करने का काम करेंगे। यूनेस्को का जो मॉडल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, उसको भी हमने पढ़ा है और फैक्ट्रेन करने का काम किया है। इसके अलावा, दुनिया भर के देशों के एंटी डोपिंग एजेंसी के राष्ट्रीय कानून बने हैं, चाहे वह आस्ट्रेलिया का हो या यू.के., कनाडा, जर्मनी, फ्रांस का हो, हमने उसका भी अध्ययन करके, उससे बहुत कुछ प्राप्त करके अपने इस बिल में रखा है। आपने प्राइवेट लैबोरेटरीज़ की बात कही। निश्चित तौर पर जब हमें अपनी क्षमता बढ़ानी होगी तो केवल सरकारी नहीं, बल्कि प्राइवेट लैबोरेटरीज़ की भी स्थापना भविष्य में हो, हम उस दिशा में भी देखेंगे। इस लेजिस्लेशन के माध्यम से हमारे खिलाड़ियों के अधिकारों को सेफगार्ड करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उनके राइट्स एंड इंट्रेस्ट को सेफगार्ड किया जाए। हमारी स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात आयी थी कि प्रोटेक्टेड पर्सन्स का इसमें ध्यान रखा जाए। प्रोटेक्टेड पर्सन्स कौन है? इसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई। इसमें माइनर एथलिट्स भी हैं, रिक्रिएशनल एथलिट्स भी हैं और हमारे एथलिट्स विद डिसएबिलिटीज़ भी हैं। यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्लॉज है और इसको रखना इसलिए आवश्यक था, इसको रूल्स में समय-समय पर डिफाइन किया जाएगा। माननीय भर्तृहरि महताब जी ने इस विषय को उठाया था तथा कुछ और माननीय सदस्यों ने भी यहाँ उठाया। क्योंकि, वाडा भी समय-समय पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव लाता है, कभी तीन साल बाद, कभी दो साल के बाद लाता है। बार-बार सदन को और सदन की कीमती समय न लेना पड़े, हम सुनिश्चित करेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव करके, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव किए जाएं और जो समय की माँग हो, उसके अनुसार हम रूल्स के अंतर्गत करने का काम करेंगे। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।

इसमें प्रोटेक्टेड पर्सन्स को भी रिलैक्स किया गया है। फॉर एग्जाम्प्ल, यहाँ बॉडी बिल्डिंग की एक बात आई और वह ओलम्पिक स्पोर्ट नहीं है। लेकिन, बॉडी बिल्डिंग को लेकर कई लोग अपनी परफॉर्मेंस इन्हैन्समेंट के लिए सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिह्न खड़ा किया गया।

सुप्रिया जी और कुछ अन्य सदस्यों ने इस बारे में बात कही । यह चिंताजनक विषय भी है । मैं सदन को बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात और फिर कहना चाहता हूं कि ये जो परफॉर्मेंस इन्हैंसमेंट के लिए सप्लीमेंट्स चाहे जिम के बाहर हो या बाकी ऑनलाइन या ऑफ दी शेल्फ एवलेबल हों, इसके बारे में जागरुकता की कमी या टेस्टिंग न होना, इसके बारे में भी हम जो कदम उठाने वाले हैं, उसकी मैं डिटेल में आपको आगे जानकारी दूंगा । हमने इसको बड़ी गम्भीरता के साथ लिया है । इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा । इस कानून से हमारे एंटी डोपिंग अवेयरनेस एजुकेशन और रिसर्च फैसिलिटीज़ को भी और सशक्त करने का अवसर मिलेगा ।

सुप्रिया जी और कुछ माननीय सांसदों ने यहां पर कहा कि आप अवेयरनेस कैंपेन चलायें । पिछले एक वर्ष के अंदर मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हमने क्या-क्या किया, जब से हमने एन.डी.टी.एल. की, सस्पेंशन को रिवोक भी किया, लेकिन साथ ही साथ हमने जागरुकता अभियान भी चलाया । नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा लगभग सौ एंटी डोपिंग एजुकेशन और अवेयरनेस वर्कशॉप्स हाईब्रिड फॉर्म में देश भर में एक साल के अंदर की गई, जो आज तक की शायद सबसे ज्यादा है । मैं विश्वास दिलाता हूं कि एथलीट्स और एथलीट्स के सपोर्ट पर्सनल्स जो हैं, इनका अवेयरनेस का कैंपेन चलेगा । शिक्षा मंत्रालय के साथ हम प्रयास करेंगे कि राज्यों में भी और देश में भी, उनके साथ अपनी बात को साझा करके बच्चों, विद्यार्थियों से लेकर खिलाड़ियों तक जागरुकता लाएं । हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और खेल के टूर्नामेंट्स के समय भी उनको जागरुक करने का काम करेंगे, ताकि खिलाड़ी ऐसी किसी भी चीज का सेवन न करें, जिससे उसके ऊपर कोई प्रश्नचिह्न खड़ा हो । यही नहीं नाडा ने तीसरी मीटिंग फंड अप्रूवल कमेटी की होस्ट की और सेकंड मीटिंग कॉप-8 ब्यूरो की दिल्ली में, यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन की अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, यहां पर हमने इसका आयोजन भी किया था । यह अपने आप में दिखाता है कि भारत आयोजन भी कर रहा है । आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इसमें भारत को फंड अप्रूवल कमेटी का चेयरपर्सन चुना गया और ब्यूरो का मेंबर भी इसमें चुना गया । जहां एक ओर सस्पेंशन थी, वहां से एक ही साल के अंदर हमने बिल का लाने का काम भी किया, टेस्टिंग को और बढ़ाने का काम भी और जागरुकता अभियान को बढ़ाने का

काम भी किया है। नाडा ने 157 लीगल हियरिंग्स को बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। एंटी डोपिंग डिसिप्लनरी पैनल और एंटी डोपिंग अपील पैनल ने 87 आर्डर्स भी पास किए हैं । यही नहीं एफएसएसएआई के साथ हमने अपने विचार भी साझा किए थे जो माननीय सदस्यों ने यहां उठाये हैं कि जो प्रोडक्ट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स अवलेबल होते हैं, उनकी टेस्टिंग हो, यह हमने उनके साथ भी उठाया और उन्होंने भी डायरेक्शन देने की बात कही है। टेस्टिंग की सुविधायें हों, यह होना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए, हमने जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, उसको लेकर भी एमओयू साइन किया है, ताकि वे एक टेस्टिंग लैब, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए अपने यहां पर बना सकें। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जब अपनी टेस्टिंग लैब बनाएगी, तो हमारी ताकत भी बढ़ेगी जिससे ऐसे सप्लीमेंट्स के खिलाफ वहां पर जांच हो सकेगी और लोगों को इसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी मिल सकेगी। इस सबसे क्या होगा, जो हमारे स्टैंडर्ड डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं और जो नॉन स्टैंडर्ड हैं, उनके बीच में जानकारी नहीं मिलती कि कौन स्टैंडर्ड वाले हैं और कौन नॉन स्टैंडर्ड वाले हैं, उनकी जानकारी भी इस टेस्ट के माध्यम से मिल पाएगी और इस गैप को, कमी को भी हम पूरा कर पाएंगे।… (व्यवधान)

नाडा ने एंटी डोपिंग एजुकेशन और अवेयरनेस टूल किट को भी तैयार किया है, जो इंगेज करने के लिए है कि स्टेक होल्डर्स के साथ इवेंट्स और उनकी वर्कशॉप की जाए। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि आज आपने जिसकी कल्पना कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हों या यूनिवर्सिटी गेम्स हों, यहां पर भी डोपिंग के बारे में अवेयरनेस की जाए। इस साल जो हमने चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किया था और दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किया, इसमें हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और फिजिकली भी वहां पर खिलाड़ियों के लिए अवेयरनेस कैंपेन किया और इसका सभी खेल और खिलाड़ियों ने बहुत स्वागत किया। हम भविष्य में भी इसको करेंगे, इस बात का आश्वासन भी आपको देना चाहता हूं।

नाडा ने इनिशिएट किया है कि हम ऑटोमेशन और डिजीटाइजेशन करें ताकि मैन्युअल सिस्टम पर डिपेन्डेंसी कम हो। हम अपने सिस्टम को भी ज्यादा जवाबदेह बना सकें, ऑपरेशन को पारदर्शी कर सकें और उसमें इफिशिएंसी को भी बढ़ा सकें, इसलिए पेपरलेस डोप कंट्रोल प्रोसेस हो, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल क्विज और एजुकेशनल रिर्सोसेज को भी डेवलप किया है, डिसेमनैशन वेब पेज अप्लीकेशन भी डेवलप की है ताकि और मैसेज भी एथलीट तक पहुंचा सकें। NDTL has synthesised eight reference materials which are used as standards and rarely available at the global level. दुनिया में अभी जो अवेलेबल है हम उससे भी आगे जाने का काम भारत में कर रहे हैं। यह तब हुआ है जब हमने नाडा के बोर्ड में डीजी की नियुक्ति की है। पिछले चार-पांच महीनों में बहुत बड़ा बदलाव वहां पर लाने का काम किया है। यह सरकार नहीं चला रही है, ऑटोनोमस बॉडी है और हमने इनको वहां पर भी सशक्तीकरण करने का काम किया है। जहां उनको लगता है कि स्ट्रैन्थ को बढ़ाना है, नियमों में सुधार करना है, उस तरह से उनको स्वतंत्रता भी दी गई है और सशक्तीकरण करने का काम भी किया गया है। आगे इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए, एनडीटीएल ने एक ड्राफ्ट एमओयू आईआईटी, दिल्ली के साथ भी कोलैबोरेशन करने के लिए किया है।

18.16 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा, कुछ और बातें यहां आईं। राम मोहन नायडू जी ने कहा था कि क्या यह फॉरेन एथलीट पर भी लागू होगा? मैं कहना चाहता हूं कि हां, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां की फेडरेशन भी यहां टेस्टिंग करवा सकती है।

जब टूर्नामेंट का आयोजन यहां पर हो रहा है तो उसकी टेस्टिंग भी यहीं पर होगी, वैसा भी एक प्रावधान किया गया है, इसलिए हम लोगों को अपनी क्षमता भी बढ़ानी है। थर्ड पार्टी सैंपल कलैक्शन के लिए भी हमने पारदर्शी तरीके से किया है ताकि किसी को शंका न हो कि उसका सैंपल लिया और

रास्ते में कहीं खराबी हो, इसको हम बहुत ही फुलप्रूफ तरीके से और टेक्नोलॉजी ड्रिवेन भी करने वाले हैं।

दूसरा यह कहा गया, सरकार ने नाडा का जो बोर्ड है, उस पर सीईओ या डीजी की नियुक्ति सरकार कैसे करेगी, वाडा रुल के अनुसार ही नाडा के डीजी की नियुक्ति यहां की गई है। मैं सदन को बताना चाहता हूं, जो नियम और कानून कहता है, उसके अनुसार नियुक्ति की गई है। आस्ट्रेलिया के भी खेल मंत्रालय ने नियुक्ति की है, यहां सरकार ने नियुक्ति करने का काम किया है।

दूसरा, आपने सर्च एंड सीज़र की बात कही, यह इसलिए भी करना पड़ा कि उसके बिना तो बगैर किसी अधिकार के शायद एडिक्वेट लीगल अथॉरिटी नहीं बन पाती। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं इसका कोई भी दुरुपयोग न हो, इसका हम सब प्रयास करेंगे क्योंकि यह खिलाड़ियों के हित में है। किसी को राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए नहीं है, यह खेलों में सुधार और खिलाड़ियों को नशा से दूर रखने के लिए किया गया है।

माननीय अध्यक्ष : क्या इस विषय पर किसी ने कुछ कहा है?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदय, ऐसा कुछ सदस्यों ने सर्च एंड सीज़र के लिए कहा कि इसकी चिंता की जाए कि ऐसा कुछ न हो। हम प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ भी न हो, ऐसा संभव नहीं होगा।

दूसरा, बजट की बात की गई, मात्र साढ़े चार करोड़ रुपये एनडीटीएल के लिए बजट होता था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि साढ़े 21 करोड़ रुपये लगभग पांच गुना करने का काम किया है। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स भी हमने इंसटॉल कर दिए हैं। वहां पर फंड की कोई कमी नहीं आने दी, उसे भी किया गया है। नाइपर और सीएसआईआर के साथ कोलैबोरेशन की है कि देश में जितने भी साइंटेफिक एजेंसी या संस्थान हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। आईआईटी, नाइपर, सीएसआईआर और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट और कोलैबोरेशन करने का काम किया है ताकि इस दिशा में हम दुनिया से पीछे न रह जाएं। We should not follow the world, but we should

become the world's leader in the coming years. अगर हम देखें तो एशियन रीजन में गिने-चुने लोगों के पास ही टेस्टिंग लैब है। भारत केवल देश के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी बना रही है क्योंकि हमारी कॉस्ट दुनिया के मुकाबले वन थर्ड या वन फोर्थ होगी। हम बहुत इफेक्टिव भी हो सकते हैं, न केवल भारतीय खिलाड़ियों के लिए बल्कि दुनिया भर की संस्थाओं के लिए भी भारत एक हब बन सकता है। हम उस दिशा में भी काम करेंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वाडा की एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज के साथ जापान, जर्मनी और स्पेन के साथ कर रहे हैं। राहुल जी ने सर्बोडिनेट लेजिस्लेशन की बात कही थी, मैंने एजुकेशन अवेयरनेस पर काफी विस्तार से यहां पर कहा है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की बात कह दी है।

मैंने एफएसएसएआई के बारे में पहले बताया कि सप्लीमेंटरी सब्सटेंस की जांच करने के लिए एनएफएसयू और एफएसएसएआई रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के साथ टाईअप किया है, कोलेबोरेट किया है।

सौगत दा ने कहा कि कोच रिस्पांसिबल है और बाकी लोगों ने भी कहा है। निश्चित तौर पर जहां कोच ने खिलाड़ी को भ्रमित करके कुछ ऐसा सब्सटेंस लेने की बात कही हो जो कि नहीं लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि इसमें कोई कमी न रहे।

कैश दैम यंग की बात प्रसून दा ने कही। खेलो इंडिया की शुरूआत ही माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने की थी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में 8500 से ज्यादा खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने भाग लिया। यह दुनिया के सबसे बड़े यूथ गेम्स के रूप में खड़ा हुआ। इसी तरह से यूनिवर्सिटी गेम्स में लगभग 5000 खिलाड़ियों और एथलीट्स ने भाग लिया। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गेम्स में से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत में तैयार हुई।

महोदय, महताब जी ने भी कुछ विषय उठाए थे, जैसे पर्सनल इन्फार्मेशन जग जाहिर न हो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डेटा प्राइवेसी के बारे में हम लोग बहुत गंभीर हैं। यह डिपार्टमेंट

के पास ही रहेगी। पूरी दुनिया में जो प्रोटोकाल फॉलो किए जाते हैं, हम भारत में उसे फॉलो करेंगे और किसी एथलीट का कोई भी डेटा किसी गैरजिम्मेदार व्यक्ति के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। हमें इसे जिस एजेंसी के साथ शेयर करना है, केवल उसी से करेंगे और कहीं पर शेयर करने की नौबत नहीं आएगी।

महोदय, रिमूवल ऑफ डीजी की बात क्लॉज़ 14(3), 15(1) और 15(8) में कही गई है, हमने मॉडिफाई करके क्लॉज़ 14(4) में प्रावधान किया है ताकि कोई दिक्कत न आए। क्लॉज़ 11 और 12 में एपाइंटमेंट और रिमूवल की बात बार-बार आई है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं that in order to provide brevity and endurance to the Bill, though minute details are not laid down in the Bill, we will take care of that in the rules and regulations, and we will ensure that it will happen. However, Clause 29 provides for the subordinate legislation on all those aspects, and all the concerns and suggestions of the Parliamentary Standing Committee as well as of the hon. Members will be duly considered while framing the rules and regulations, as I rightly said earlier also. The Board, NADA, the NTTL, Disciplinary and Adjudicating Panel -- इसके लिए रूल्स बनाते समय हम सारे सुझावों का ध्यान रखेंगे।

महोदय, एक और माननीय सांसद ने कहा कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार ही इसे किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे इसका स्ट्रक्चर हो, हमने जो कानूनी प्रावधान किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी वाडा, यूनेस्को के प्रावधान, रैगुलेटरी फ्रेमवर्क और दुनिया के देशों के कानून जो अब तक बने हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए इसे तैयार किया है।

महोदय, यहां एड्जुडिकेशन की बात कही गई है। डिसिप्लेनरी पैनल और अपील पैनल अलग बनाए गए हैं। तीन मैम्बर्स की कमेटी होगी, लीगल मैम्बर, स्पोर्ट्स मैम्बर और मेडिकल मैम्बर होंगे। 15 मैम्बर हैं तो पांच पैनल बन सकेंगे, इससे खिलाड़ियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी

तरह से अपील पैनल में भी तीन मैम्बर्स की कमेटी है । इसके भी तीन बैंच होंगे ताकि समय रहते खिलाड़ियों को न्याय मिल सके । मैंने इसीलिए कहा कि यह बिल खिलाड़ियों के कल्याण के लिए है, खिलाड़ियों के हितों के लिए है और खिलाड़ियों के हितों के संरक्षण के लिए है ।

महोदय, इंडीपेंडेंस की बात भी कही गई । स्ट्रेट्यूटरी बॉडीज़ बनाई गई हैं और बजट का प्रावधान भी किया गया है । हमें केवल बजट का ही प्रावधान अपनी ओर से करना है । खर्च करने का काम नाडा बोर्ड और एनडीटीएल का है । क्लियर टर्म्स टेन्योर के लिए तीन साल दिए गए हैं । अगर इसे बढ़ाना है तो इसका प्रावधान भी डीजी नाडा और बाकी अधिकारियों के लिए किया गया है । बिल में यह भी प्रावधान है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैंथ को एक्सपेंड या एन्हांस करना हो तो उनको ही अधिकार दिए गए हैं ताकि वे खुलकर पूरी क्षमता के साथ काम कर सकें ।

महोदय, मैंने टैस्टिंग सप्लीमेंट के बारे में पहले ही कहा है कि वाडा कोर्ट और यूनेस्को कन्वेंशन के अनुसार जो भी स्टैंडर्ड सैट करने हों, हमने उसका भी यहां प्रावधान किया है ।

हमने डेटा के बारे में पहले ही कह दिया है कि हम केयरफुली उसको प्रोटेक्ट करेंगे और प्राइवेसी और एथलीट्स को भी रखेंगे । खेलो इंडिया यूथ गेम्स और जिम्स के विषय आ गए हैं । क्योंकि, बार-बार कुछ रिपीट्स हुए थे । यहां पर एक विषय आया है कि जो वैरियस पैनल्स और कमेटीज होंगी, How will they conduct their business? What are the standard operating procedures? ये भी लेड डाउन कर दिए जाएंगे, ताकि खिलाड़ियों को अपील पर जाने से पहले वहां पर सारा प्रावधान हो जाए । इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा । यहां पर टोटल मेडल्स की और कुछ बजट की बात की गई है । मुझे लगता है कि कुछ सदस्यों को गलत जानकारी थी, जिसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि मेडल्स और खेल का बजट कम हो गया है । ऐसा नहीं है । मैं समझ सकता हूं कि आपको पोलिटिकल स्टेटमेंट बनानी है तो आप कह सकते हैं कि प्रधान मंत्री जी फोटो क्यों खिंचवाते हैं? लेकिन, आप उन खिलाड़ियों से पूछिए, क्योंकि जब खिलाड़ी ओलम्पिक्स में खेलकर आए, वहां जो खेल रहे थे या जो पैरा ओलम्पिक खिलाड़ी थे, आप किसी भी देश के खिलाड़ी

से पूछिए, दुनिया में शायद ही कोई प्रधान मंत्री ऐसा होगा जो देश के खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में जाने से पहले और आने के बाद उनका स्वागत और उनका मनोबल न बढ़ता हो।

सर, इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि सभी माननीय सांसद भी अपने यहां के खिलाड़ियों को सम्मानित करें, खेलों का आयोजन करें और खेलों की सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास भी करें। मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध रहेगा। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी माननीय सांसद ने भी नहीं किया। एक-दो को छोड़कर, क्योंकि मैं उनको रोक नहीं सकता। … (व्यवधान)

न मैं उन सांसद को छोड़ सकता हूं और न वे राजनीति को छोड़ सकते हैं। वर्ष 2013-14 में खेलों का बजट 874 करोड़ रुपये बजटरी एस्टीमेट था। वह वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2,254 करोड़ रुपये हो गया। यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2015 तक 62 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए थे, जबकि वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक 300 प्रोजेक्ट्स खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के मंजूर किए गए, जो पांच गुना ज्यादा हैं। यही नहीं वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक 342 करोड़ रुपये खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए गए। अब उसको बढ़ाकर 2,753 करोड़ रुपये किये गये हैं। कहां 342 करोड़ रुपये और कहां 2,753 करोड़ रुपये। हम सबको खुशी मनानी चाहिए कि कम से कम खेलों का बजट बढ़ना शुरू हुआ है। हालांकि, खेल राज्य का विषय है। यह राज्य को करना है। केंद्र सरकार तो 'टारगेट ओलम्पिक पोडियम' स्कीम लाकर 100 करोड़ रुपये इलीट एथलीट्स पर खर्च करती है, जो मेडल जीतने की क्षमता रखती है। जो डेवलपमेंट एथलीट्स भी होंगे, उनके रहने, खाने-पीने और ट्रेनिंग के लिए देश और दुनिया भर में पार्टिसिपेट करने का पूरा खर्च मोदी सरकार ही वहन करती है और आगे भी करेगी।

दूसरा, मुझे लगता है कि यहां पर कुछ बातें ग्रासरूट लेवल के एथलीट के बारे में की गई है। हमने 3000 एथलीट्स के लिए आउट ऑफ पॉकेट एलाउंस देने का प्रावधान किया है। हम एक साल में लगभग 1,20,000 रुपये 3000 खिलाड़ियों को देते हैं। यह 'टारगेट ओलम्पिक पोडियम' स्कीम के

खिलाड़ियों के अलावा है। हमने जो स्कीम्स लांच की हैं, उनके बारे में मैं नियम 193 की चर्चा में सब कुछ अलग से बता दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : यहां पर कई सदस्य बहुत जागरूक हैं। नियम 193 की चर्चा जो पिछले सत्र में बाकी रह गई थी, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, हम उसको आगे कर लेंगे। ... (व्यवधान) मैं बिल पर रिप्लाई देकर खत्म कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलिए। कुंवर दानिश अली जी को केवल परेशान करने आता है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो-तीन विषय आए हैं। एक विषय कंफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट का है, जिसको निशिकांत दुबे जी ने उठाया है। हम सबने यह तय किया था कि यहां पर कोई राजनीति नहीं करेगा और सभी माननीय सदस्यों ने नहीं किया। केवल एक सांसद महोदय ने बीच में अपना गुस्सा कहीं पर चुनाव हारने का यहां पर निकालने का प्रयास किया है। मैं उनकी पृष्ठभूमि या बाकी चीजों के पीछे नहीं जाना चाहूंगा।

SHRI SHYAM SINGH YADAV : There is no conflict of interest. …. (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, मैंने तो नाम भी किसी का नहीं लिया। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी है। माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (*Interruptions*) … *

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, एक ऐसा समय था…**(**व्यवधान**)** जो लोग अपनी संस्थाओं के चुनाव न जीत पाएं, वे कहीं और जाकर अपनी भड़ास निकालें। मेरा केवल इतना कहना है कि हम खेलों को बढ़ावा देने के लिए इकट्ठे मिलकर अपनी ताकत लगाएं। चुनाव में हार-जीत होती है, वह होगा, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, क्योंकि पूरे सदन का माहौल बहुत अच्छा है। पिछली बार भी नियम 193 में कुछ लोगों ने गड़बड़ करने का प्रयास किया था।**…**(व्यवधान)

महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह बिल खेलों और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए है। …(व्यवधान) लगातार हमारा यह प्रयास है कि सिल्वर मेडर जीतने से लेकर गोल्ड मेडल जीतने का काम हुआ है, यह काम अच्छी दिशा में हो रहा है। सभी राज्यों की सरकारें भी अपनी ओर से प्रयास कर रही हैं। बहुत सारे माननीय सांसदों ने भी सांसद खेल प्रतिस्पर्धा करवाई है। बहुत सारे विधायकों ने भी अपने यहां पर खेलों के टूर्नामेंट कराए हैं। हम सब इकट्ठे मिलकर खेलों को आगे बढ़ाएं और नाडा के माध्यम से हम एंटी डोपिंग गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि भारत और खेल डोपिंग मुक्त हो, हम इस दिशा में कदम उठाएंगे। आप सबने अपना-अपना सहयोग दिया, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खेलों में डोपिंग रोधी क्रियाकलापों को और खेलों में डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को प्रभावी करने तथा उसके अधीन ऐसी अन्य बाध्यताओं और वचनबद्धता के अनुपालन को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Definitions

Amendments made:

Page 2, lines 12 and 13,-

omit "which constitutes violation of anti-doping rules as laid down under the Code." (3)

Page 3, line 7,-

after "end of such competition"

insert "and the sample collection process related to such competition". (4)

Page 3, line 45,-

after "means the"

insert "utilisation,". (5)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I shall not move any of the amendments which are listed under my name because the hon. Minister has given a good reply. … (*Interruptions*) His intentions are good. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है **:**

"कि खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 Prohibition of doping in sport

Amendments made:

Page 4, *for* line 13,-

substitute *"(4)* Every athlete, athlete support personnel and other persons participating or involved in sport" (6)

Page 4, *after* line 18,-

insert *"(6)* The provision of this Act shall apply to such persons who are specified by the Central Government to be protected persons, to such extent and in such manner, as many be prescribed.". (7)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है **:**

"कि खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 Anti-Doping rule Violation

Amendments made:

Page 4, line 19,-

after "acts"

insert "or". (8)

Page 4, *for* line 45,-

substitute "prohibited method to any athlete.". (9)

Page 5, line 5,-

for "athlete support personnel"

substitute "athlete, athlete support personnel

or other persons". (10)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है **:**

"कि खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 Therapeutic use exemptions

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है **:**

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 Consequences of Anti-Doping rule Violations

Amendment made:

Page 5, *for* lines 35 and 36,-

substitute "(e) public disclosure and such other consequences as may be specified by the Agency by regulations.

(2) The consequences of Anti-Doping Rule Violations for team sports and protected persons shall be such as”.

(11)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

“कि खंड 6**,** यथा संशोधित**,** विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6**,** यथा संशोधित**,** विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7 Establishment and Constitution of National Board for Anti-Doping in Sports

Amendments made:

Page 6, line 43,-

for “interest:”

substitute “interest; or”. (12)

Page 6, *after* line 43,-

insert “(vi) has been found to have committed any Anti-Doping Rule Violation:”. (13)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

"कि खंड 7, यथा संशोधित**,** विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, यथा संशोधित**,** विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 10 Powers and functions of Board

Amendments made:

Page 7, line 18,-

for "provisions of the Convention"

substitute "international obligations and commitments".

(14)

Page 7, line 20,-

for "compliance with the Convention"

substitute "international obligations and commitments".

(15)

Page 7, lines 22 and 23,-

omit "for ensuring compliance with the provisions of the Convention and the Code". (16)

Page 7, line 25,-

omit "and standards laid down by the World Anti-Doping Agency". (17)

Page 7, *for* lines 31 and 32,-

substitute "(4) The Board may make such recommendations to the Agency as may be necessary for elimination of doping in sport.". (18)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

"कि खंड 10, यथा संशोधित**,** विधेयक का अंग बने **।**"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 10**,** यथा संशोधित**,** विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 11 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

Clause 14 Incorporation of Anti-Doping Agency

Amendment made:

Page 9, line 15,-

after “Board”

insert “and the Director General”. (19)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

“कि खंड 14**,** यथा संशोधित**,** विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 14**,** यथा संशोधित**,** विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया **।**

Clause 16 Powers and functions of Agency

Amendments made:

Page 10, *for* lines 2 and 3,-

substitute “rules, regulations and policies which conform to international obligations and commitments for promoting, coordinating, and monitoring the doping control programme in sports to ensure dope-free sport.”. (20)

Page 10, line 16,-

for “with the Code and the international standards”

substitute “to international obligations and commitments”.

(21)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

“कि खंड 16, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 16, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सौगत राय जी, बिल पास होते समय पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया जाता है। मैं आपको बाद में मौका दे दूंगा।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, यह बहुत सीरियस इश्यू है। हमारे यहां हाउस में राज्य सभा के मैम्बर हैं, जो कि मंत्री हैं, वे यहां भाग ले सकते हैं, लेकिन हरदीप सिंह पुरी जी वोटिंग के समय हाथ उठा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उन्हें थोड़ा सिखाइए।... (व्यवधान) वे क्यों हाथ उठाते हैं।

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I completely accept that. I am so emotionally attached to the Bill that I raise my hands. But I am here on roster duty. यह मेरी भावना है । मैंने मुंह से कुछ नहीं निकाला है, सिर्फ मेरा हाथ ऊपर जाता है । मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा ।… (व्यवधान) So, I am just emotionally attached to the Bill. But the point is well taken. अगर मैं सेन्ट्रल हॉल में चाय पी रहा होता तो वहां पर भी मैं हाथ उठा देता ।… (व्यवधान) Also, if a Division is taken separately, I will not sit in the House even if I am on roster duty. But I appreciate the sentiment. I am so emotionally attached to the Bill. I am against doping.

Clause 17 Powers to constitute Committees

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करें ।

Amendment made:

Page 10, lines 43 and 44, -

for "Result Management Committee, Education Committee and Sanction Committee"

substitute "Result Management Committee and Education Committee". (22)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष : मैंने यह व्यवस्था दे दी है कि हाथ खड़े करने वालों का मत नहीं माना जाएगा, अब सिर्फ बोलने वालों का मत माना जाएगा। माननीय सदस्य ने एक गंभीर सवाल उठाया, अगर मैं व्यवस्था नहीं देता तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती, क्योंकि माननीय मंत्री जी खड़े हो जाते।

श्री प्रहलाद जोशी: सर**,** उन्होंने गंभीर सवाल उठाया**,** मंत्री जी ने गंभीर रिप्लाई दी और आपने गंभीर व्यवस्था दे दी।

कुंवर दानिश अली: पहले आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे**,** यह बात पहली बार आपने माना है **।**… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मुझे ज्ञान दे रहे हो क्या?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

"कि खंड 17, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 17, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 18 से 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

Clause 23 Hearing of appeal by Appeal Panel

Amendment made:

Page 12, line 36, -

omit "and the Code". (23)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

"कि खंड 23, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 27 Data of athletes and maintainance of database

Amendments made:

Page 14, lines 11 and 12, -

omit "including the International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information,". (24)

Page 14, line 26, -

for "Andi-Doting"

substitute "Anti-Doping". (25)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

"कि खंड 27, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

<u>खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 29 Power to make rules

Amendments made:

Page 14, line 35, -

omit “(1)”. (26)

Page 14, *after* line 36, -

insert “(*a)* the protected persons and the extent and manner of application of the provisions of this Act to such persons under sub-section (6) of section 3;”. (27)

Page 15, line 5, -

omit “be”. (28)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

“कि खंड 29, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 29, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 30 Powers to make regulations by the Board

Amendments made:

Page 15, line 23, -

omit "(1)". (29)

Page 16, omit lines 10 and 11. (30)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

"कि खंड 30, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 31 Powers to make regulations by Agency

Amendments made:

Page 16, lines 16 and 17,-

for "for giving effect to the Code and for complying with the requirements of the international standards"

substitute "for complying with the requirements of international obligations and commitments including the Code". (31)

Page 16, lines 19 and 20,-

omit “based on the Code and the international standard for testing and investigation as issued by the World Anti-Doping Agency”. (32)

Page 17, line 33,-

after “team sports”

insert “and protected persons”. (33)

Page 18, lines 15 and 16,-

omit “, for giving effect to the Code and for complying with international standards”. (34)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 31, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>खंड 31, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u>

<u>खंड 32 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

Clause 1 Short title and Commencement

Amendment made:

Page 2, line 5,-

for "2021"

substitute "2022". (2)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Enacting Formula

Amendment made:

Page 2, line 1,-

for "Seventy-second"

substitute "Seventy-third". (1)

(Shri Anurag Singh Thakur)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं पारित होने से पहले एक और जानकारी दे देता हूं। प्रोफेसर साहब सीनियर हैं और वॉइस वोट से ही माना जाता है। इसलिए अपने यहां हाथ खड़े करने वाली व्यवस्था नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वॉइस वोट ही है न, हाथ खड़े होने की व्यवस्था नहीं है न।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने हाथ खड़े करने की व्यवस्था पर बहुत गम्भीर सवाल उठाया है। इसलिए सदन में भविष्य में व्यवस्था रहे, इसको देखते हुए हमारी नियम-प्रक्रिया में भी वॉइस वोट के आधार पर ही माना गया है।

… (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : सर, उन्होंने हाथ उठाया था। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने हाथ उठा दिया है तो भी आपकी आपत्ति उचित नहीं थी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वॉइस वोट माना जाता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है**:**

"कि विधेयक**,** यथा संशोधित**,** पारित किया जाए।**"**

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.48 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 28, 2022 / Sravana 06, 1944 (Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)